सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2023–2024

श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री
का
बजट भाषण

10 फरवरी 2023

फाल्गुन कृष्ण ४, विक्रम संवत् २०७६

बजट 2023—2024

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं, राज्य के वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. बजट के माध्यम से हमने, प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली लाने एवं आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश को विकास के नये आयाम तक पहुँचाने का प्रयास किया है। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना से उत्पन्न विषम स्थिति के उपरान्त भी कुशल वित्तीय प्रबन्धन कर 80 प्रतिशत से अधिक जनघोषणाओं तथा 4 वर्षों के कुल 2 हजार 722 बजट घोषणा बिन्दुओं में से 85 प्रतिशत से अधिक को धरातल पर उतारने में हम सफल हुए हैं।

3. हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि सरकार में निर्णय, सभी वर्गों से विचार–विमर्श कर, उनके हितों का ध्यान रखते हुए एवं आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हों। इसी क्रम में इस वर्ष प्राप्त हजारों बजट सम्बन्धी सुझावों का परीक्षण कर हमने यथासम्भव जनसामान्य की भावनाओं को बजट में समावेशित करने का प्रयास किया है।

4. दो वर्षों तक कोरोना की मार झेलने के बाद अब जनजीवन सामान्य होने लगा है तथा अर्थव्यवस्था भी धीरे–धीरे पटरी पर आने लगी है। हमारे द्वारा कोरोना के प्रारम्भ से ही **'राजस्थान सतर्क है'** की पहल के साथ, Covid-19 महामारी का सामना करने के लिए, **भीलवाड़ा मॉडल** लागू करते हुए कुशल प्रबन्धन किया गया। हमने कोरोना काल में **'कोई भूखा ना सोये'** के ध्येय के साथ काम करते हुए लगभग 33 लाख परिवारों को 5 किश्तों में DBT कर 5 हजार 500 रुपये की सहायता भी उपलब्ध करवायी थी। हमारे इस प्रबन्धन की सराहना

देश ही नहीं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी हुई। हमने जहाँ एक ओर **2 हजार करोड़ रुपये** से अधिक राशि व्यय कर कोरोना की विभीषिका से पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 25 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही निजी क्षेत्र व सरकारी विभागों में नौकरियों के अवसर सृजित कर जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। किन्तु आज भी देश का आम आदमी महंगाई व बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित हैं, वहीं युवा भी भविष्य को लेकर चिन्तित व आशंकित है। इन समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को और अधिक कदम उठाने होंगे।

5. हमारी सरकार के इस कार्यकाल में कई चुनौतियाँ आयीं, किन्तु जन–जन की सेवा के ध्येय के साथ हम सदा तत्पर रहे और आगे भी रहेंगे–

"कर्म में अगर सच्चाई है, तो कर्म कहाँ निष्फल होगा।
हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा।।"

प्रदेश की जनता, विशेष कर निम्न आय वर्ग के परिवारों को महंगाई की मार से बचाने के लिए हमारी सरकार ने पेट्रोल/डीजल पर वैट तथा घरेलू बिजली की दरों में कमी करने जैसे कदम उठाये, जिससे लगभग 13 हजार करोड़ रुपये वार्षिक का वित्तीय भार आया है, किन्तु आज भी आमजन केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई से त्रस्त है। अतः महंगाई से और अधिक राहत प्रदान करने की दृष्टि से –

I. मैं, समस्त लगभग **एक करोड़** NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) परिवारों को आगामी वर्ष निःशुल्क राशन के साथ–साथ

प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा Food Packet दिए जाने की घोषणा करता हूँ। इस Packet में एक–एक किलो दाल, चीनी व नमक, एक लीटर खाद्य तेल तथा मसाले उपलब्ध कराये जायेंगे। इस पर लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. इसके साथ ही, BPL तथा PM Ujjwala Yojana में शामिल निम्न आय वर्ग के परिवार LPG Cylinder की अधिक दर के कारण रसोई गैस का उपयोग नहीं कर पाते। इन लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से LPG गैस Cylinder 500 रुपये में उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर एक हजार 500 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

III. प्रदेश की जनता को राहत देते हुए पिछले बजट में मैंने 50 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली निःशुल्क करते हुए समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को slab अनुसार जो छूट दी थी, उसे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से मैं, **मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना** प्रारम्भ करते हुए **100 यूनिट प्रतिमाह** तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को **निःशुल्क बिजली** देने की घोषणा करता हूँ। इससे प्रदेश के एक करोड़ 19 लाख में से एक करोड़ 4 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। इसके साथ ही, अन्य समस्त 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को भी slab अनुसार 300 से 750 रुपये प्रतिमाह तक की दी जा रही छूट मिलती रहेगी। इससे लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का भार आयेगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि ना सिर्फ प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियाँ ऋण भार की समस्या का सामना कर

रही हैं, बल्कि केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में लायी गई 'उदय योजना' के साथ ही वर्तमान Energy Reform Linked Borrowing Scheme से राज्य सरकार पर भी अतिरिक्त वित्तीय भार आया है। हम Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS), Smart Meters का उपयोग, विद्युत तंत्र (GSS, Transformers एवं बिजली की लाइनें आदि) का सुदृढ़ीकरण एवं जन सहयोग से विद्युत छीजत में कमी लाने आदि कदम उठाते हुए विद्युत कम्पनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए भी प्रयासरत हैं। इसके परिणामस्वरूप AT&C Losses वर्ष 2018–19 के 28.07 प्रतिशत से कम होकर वर्तमान में 17.39 प्रतिशत रह गये हैं। इस प्रकार जहाँ एक ओर विद्युत कम्पनियों की स्थिति सुदृढ़ करना हमारा उद्देश्य है, वहीं इसके साथ ही चरणबद्ध रूप से **300 यूनिट प्रतिमाह** तक उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को **निःशुल्क बिजली** उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है।

इस प्रकार, हमारे द्वारा डीजल–पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर, लगभग 7 हजार 500 करोड़ रुपये की छूट को आगे भी जारी रखने के साथ–साथ आगामी वर्ष सस्ते LPG गैस सिलेण्डर, निःशुल्क Food Packet एवं निःशुल्क घरेलू बिजली का **19 हजार करोड़ रुपये से अधिक** का **'महंगाई राहत पैकेज'** दिया जाना प्रस्तावित है।

युवा विकास एवं कल्याण :

6. देश के पूर्व **राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम** ने कहा था कि–

"The ignited minds of the youth is the most powerful resource on the Earth. I am convinced that the power of the youth, if properly directed, will bring about transformed humanity by meeting its challenges and bring peace and prosperity."

अर्थात् **"युवाओं का प्रज्वलित मस्तिष्क धरती पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मेरा विश्वास है कि यदि युवा शक्ति को सही दिशा दी जाये, तो वह मानवता की चुनौतियों का सामना कर शांति व समृद्धि के साथ नये समाज का निर्माण कर सकती है।"**

7. युवाओं को संबल प्रदान कर उन्हें प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने की दृष्टि से मैंने वर्ष 2023–24 का बजट युवाओं पर केन्द्रित करने का प्रयास किया है। आज की युवा पीढ़ी को यदि सबसे अधिक आवश्यकता है तो, वह है रोजगार, कौशल व क्षमता विकास तथा व्यक्तित्व संवर्द्धन की।

8. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने युवाओं के रोजगार, शिक्षा, skill एवं personality development हेतु कई कदम उठाये हैं। अब मैं, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन **युवा नीति** बनाना प्रस्तावित करता हूँ तथा इस नीति के तहत **500 करोड़ रुपये** के **'युवा विकास एवं कल्याण कोष'** का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है। इस कोष के अन्तर्गत–

I. 200 करोड़ रुपये दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण व रोजगारोन्मुखी संसाधन उपलब्ध कराने,

II. 100 करोड़ रुपये समग्र व्यक्तित्व विकास, तथा

III. 200 करोड़ रुपये शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं सम्बन्धित संसाधनों हेतु व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

9. युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारे 4 वर्ष के कार्यकाल में एक लाख 42 हजार से अधिक नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं तथा एक लाख 81 हजार से अधिक प्रक्रियाधीन हैं। इस प्रकार मेरे द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा के विरूद्ध 3 लाख 23 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं। अब आगामी वर्ष में भी **रिक्त होने वाले पदों पर** प्राथमिकता से भर्तियाँ की जायेंगी।

10. युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम सतत् रूप से प्रयासरत हैं, किन्तु कभी–कभी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक होने की घटनाएं घटित हो जाती हैं। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए **राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022** लाया गया है, तथा इस अधिनियम के अंतर्गत संलिप्त व्यक्तियों व संस्थाओं के विरूद्ध त्वरित कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अब मैं, SOG (Special Operations Group) के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित **Special Task Force (STF)** गठित करने की भी घोषणा करता हूँ।

11. साथ ही, सरकार में भर्तियाँ सुचारू रूप से निर्धारित कैलेण्डर के अनुरूप हो सकें, इस हेतु–

I. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

II. भर्तियाँ सुरक्षित व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हों, इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में online examination सुविधायुक्त Examination Centre

बनाना प्रस्तावित करता हूँ। इस हेतु 250 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

III. परीक्षा में बैठने वाले और चयनित उम्मीदवारों के साथ–साथ विभागों की योजनाओं में भी identification सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक को काम में लिया जायेगा।

IV. सदन के माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश के युवाओं द्वारा विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में **'One Time Registration'** प्रणाली के माध्यम से एकबारीय निर्धारित registration fees देने के बाद apply करने पर राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को मैं, निःशुल्क करने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग 200 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा।

12. युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष आयोजित रोजगार मेलों से लगभग 30 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आगामी वर्ष **100 Mega Job Fairs** लगाये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, प्रदेश के प्रमुख Colleges में **campus placement** की व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी।

13. विद्यार्थियों को professional courses एवं competitive exams की तैयारी कराने के उद्देश्य से हमारे द्वारा लागू की गई **'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना'** की आशातीत सफलता को देखते हुए इस योजना के अन्तर्गत 15 हजार युवाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाते हुए मैं, आगामी वर्ष 30 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने की घोषणा करता हूँ।

14. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली में **Nehru Youth Transit Hostel and Facilitation Centre** बनाया जा रहा है। इसी क्रम में अब मैं, जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ रुपये की लागत से 100–100 आवासीय क्षमता के **'विवेकानन्द यूथ हॉस्टल'** बनाये जाने की घोषणा करता हूँ।

15. गत बजट के अनुसार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर **सावित्री बाई फूले वाचनालय** स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसे और आगे बढ़ाते हुए अब मैं, समस्त **ब्लॉक मुख्यालयों** पर **सावित्री बाई फूले वाचनालय** मय digital library स्थापित करना प्रस्तावित करता हूँ।

16. आर्थिक विकास में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के साथ–साथ enterpreneurship की भी महती भूमिका है। इस दृष्टि से 18 से 35 वर्ष के उद्यमियों हेतु **मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना** प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इसमें युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ के साथ–साथ पुरुष व महिला उद्यमियों को क्रमशः **10 एवं 15 प्रतिशत margin money** भी 5 लाख रुपये की सीमा तक दी जायेगी। इससे 5 हजार युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे। इस पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

17. अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग यथा–हस्तशिल्पी, केशकला व माटी कला कारीगर एवं घुमन्तू आदि को स्वरोजगार के लिए **'विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना'** शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत–

I. आवश्यक किट/उपकरण–सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5–5 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। इससे **एक लाख युवा** लाभान्वित हो सकेंगे।

II. साथ ही, प्रदेश में ऐसे 30 हजार हस्तशिल्पी एवं artisans को उनके उत्पादों के विपणन (marketing) हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों व मेलों में भाग लेने के लिए आगामी वर्ष 10–10 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी।

18. प्रदेश के युवाओं को Startups तथा आधुनिकतम तकनीक आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए Rajasthan Venture Capital Fund (RVCF) के तहत 250 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जायेगी। साथ ही, iStart Fund के माध्यम से Startups को सरकार की ओर से उपलब्ध कराये जाने वाली matching share की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर **एक करोड़ रुपये** करने की घोषणा करता हूँ।

19. प्रदेश में युवाओं को अपना Startups स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 75 करोड़ रुपये की लागत से–

I. ग्रामीणों तथा स्कूल के विद्यार्थियों हेतु चयनित विद्यालयों/महाविद्यालयों में **iStart लॉन्चपैड नेस्ट** की स्थापना और संचालन किया जायेगा।

II. **Rajiv Gandhi Innovations Challenge** के अन्तर्गत प्रथम award की राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर **5 करोड़ रुपये** करने के साथ ही 35 करोड़ रुपये राशि के कुल 100 पुरस्कार दिये जाने प्रस्तावित हैं।

III. जनजाति क्षेत्र के युवाओं हेतु गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में Incubation and Innovation Centre स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

20. युवाओं में वैज्ञानिक सोच एवं Scientific Temper को बढ़ावा देने के उद्देश्य से–

I. जयपुर, जोधपुर व उदयपुर के Science Parks/ Centres का विकास करते हुए इनमें IT, Nuclear Energy, खनिज सम्पदा, वन एवं पर्यावरण इत्यादि विषयों पर नवीन Galleries शुरू की जायेंगी। इन पर 30 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

II. जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में लगभग 10–10 करोड़ रुपये की लागत से **Planetariums** का निर्माण करवाया जायेगा।

21. प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति **Franklin D. Roosevelt** के अनुसार–"**We can not always build the future for our youth, but we can build our youth for the future.**" अर्थात् **"हम सदैव अपने युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, किन्तु हम अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं।"**

22. हमारे द्वारा युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से Rajasthan Centre of Advanced Technology (RCAT), Rajiv Gandhi Digital Fintech University cum Institute, Rajasthan Institute of Advanced Learning, Institute of Tropical Diseases and Virology एवं Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences की स्थापना की जा रही है। अब मैं, युवाओं को Health/ Pharmacy, Agriculture

व Bio Informatics से सम्बन्धित High end Research and Development एवं Certification Courses कराने हेतु जयपुर में **APJ Abdul Kalam Institute of Bio Technology** की स्थापना किये जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 300 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही, प्रदेश की Bio Diversity तथा Bio Technology के क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए **Bio Technology Policy-2023** लायी जानी प्रस्तावित है।

23. Civil Aviation में सम्भावनाओं के साथ–साथ Drone के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए युवाओं की क्षमता विकास के लिए फुर्सतगंज (अमेठी)–उत्तरप्रदेश में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA) की तर्ज पर जयपुर में **Rajiv Gandhi Aviation University** बनाये जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत Pilot Training Academy की स्थापना के साथ ही Aircraft Maintenance Engineering (AME), Flight Attendants, Aviation Management Course, Simulator Training एवं Drone related समस्त ground courses भी शुरू किये जायेंगे। इस पर 350 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

24. प्रदेश में खनिज एवं पेट्रोलियम के क्षेत्र में अपार सम्भावना को देखते हुए कोटा संभाग में राज्य सरकार के उपक्रम RSMML के सहयोग से **Mining University** स्थापित की जानी प्रस्तावित है। साथ ही, राजस्थान ILD Skills University का नाम **विश्वकर्मा Skill University** किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु राजकीय महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

I. **राजकीय महाविद्यालय**–नांद (पुष्कर), बड़ाखेड़ा (टाडगढ़), पीसांगन–अजमेर, परतापुर (गढ़ी)–बांसवाड़ा, सिसवाली–बारां,

अंटाली (हुरड़ा), फूलिया कलां, हमीरगढ़—भीलवाड़ा, गोलिया जैतमाल (नौखड़ा), गिड़ा (बायतू)—बाड़मेर, मोमासर (श्रीडूंगरगढ़), गोडू (बज्जू)—बीकानेर, तालेड़ा—बूंदी, कल्लावास (लालसोट) —दौसा, बीरमाना (सूरतगढ़), लालगढ़ जाटान (सादुलशहर) —श्रीगंगानगर, संगरिया, पल्लू (नोहर)—हनुमानगढ़, जगतपुरा, जयसिंहपुरा खोर—जयपुर, मोहनगढ़, नाचना—जैसलमेर, असनावर—झालावाड़, कैलाश नगर—सिरोही, बागोड़ा (भीनमाल) —जालोर एवं बड़गांव, वल्लभनगर—उदयपुर।

II. **कन्या महाविद्यालय**—बहादुरपुर, नारायणपुर—अलवर, रूदावल (रूपबास), नदबई, सीकरी (नगर), कामां, निठार (वैर)—भरतपुर, शाहपुरा—भीलवाड़ा, नापासर, मुरलीधर व्यास नगर—बीकानेर, गलियाकोट—डूंगरपुर, बुड्ढा जोहड़ (रायसिंहनगर), पदमपुर —श्रीगंगानगर, परसरामपुरा (नवलगढ़)—झुंझुनूं, लूणावास भाखर (लूणी)—जोधपुर, नादौती—करौली, डेगाना—नागौर, रानी (मारवाड़ जंक्शन)—पाली, अजीतगढ़—सीकर एवं पीलीबंगा—हनुमानगढ़।

25. प्रदेश के मेधावी युवा अपनी skills को upgrade कर राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें, इस दृष्टि से विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें अध्ययन के अवसर देने के लिए हमारे द्वारा **Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence योजना** शुरू की गई है। इसके तहत प्रतिवर्ष 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष से इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए **500 विद्यार्थियों** को लाभान्वित किये जाने की घोषणा करता हूँ।

26. युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु—

I. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के ऐसे शोधार्थी, जो NET/ SLET उत्तीर्ण है, परन्तु किसी प्रकार की फैलोशिप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन सभी को शोध कार्य हेतु अधिकतम तीन वर्षों तक 20 हजार रुपये प्रतिमाह फैलोशिप दी जायेगी।

II. ऐसे शोधार्थियों का जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में Interns के रूप में भी सहयोग लिया जा सकेगा। इस हेतु 25 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

III. राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शोधार्थियों को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थानों में इन्टर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप, कान्फ्रेन्स में सहभागिता के लिए 25 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

27. उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं शोध संवर्द्धन की दिशा में—

I. राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को देश–विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में Research एवं Training की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से **Teachers' Interface for Excellence (TIE)** कार्यक्रम आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 500 शिक्षकों का चयन किया जायेगा।

II. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार एवं orientation हेतु जयपुर में **Faculty Development Academy** स्थापित की जायेगी। इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

28. राज्य में तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विभिन्न ब्रांच एवं पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

I. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बारां एवं बीकानेर में केमिकल ब्रांच,

II. महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर तथा जोधपुर में फैशन डिजाइन व फाइन आर्ट्स विषयों में स्नातक पाठ्यक्रम, तथा

III. अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर व टोंक के राजकीय सहशिक्षा (co-ed.) पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में Non-Engineering शाखा प्रारम्भ की जायेगी।

29. प्रदेश के युवाओं के शैक्षणिक विकास एवं उनको तकनीकी क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर व रोजगारोन्मुखी बनाने की दृष्टि से नवीन आईटीआई खोले जाने के साथ–साथ विभिन्न ट्रेड शुरू किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

I. **नवीन आईटीआई**–हरसोली (किशनगढ़ बास)–अलवर, पूगल (खाजूवाला), श्रीकोलायत–बीकानेर, नैनवां (हिण्डौली) –बूंदी, रामसागड़ा–डूंगरपुर, अणवाणा (औसियां)–जोधपुर, नोहर –हनुमानगढ़, मोहनगढ़ –जैसलमेर, गंगापुर सिटी–सवाई माधोपुर, धोद, नीमकाथाना–सीकर एवं भटेवर–उदयपुर में आईटीआई खोली जायेंगी।

II. भिवाड़ी–अलवर, खेतड़ी–झुंझुनूं, शाहपुरा–जयपुर, बालोतरा –बाड़मेर, नाथद्वारा–राजसमंद, रतनगढ़–चूरू व अनूपगढ़ –श्रीगंगानगर के साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी एक ITI को **'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस'** के रूप में विकसित किया जायेगा। इस पर लगभग 90 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

III. संभागीय मुख्यालयों के ITIs में Remotely Piloted Aircraft व Drone Pilot ट्रेड शुरू किये जायेंगे। साथ ही, जिला मुख्यालयों पर संचालित ITIs में Solar Technician ट्रेड प्रारम्भ किया जायेगा। इस पर 25 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

IV. ITI भीलवाड़ा, जालोर, सिरोही, किशनगढ़–अजमेर व राजसमंद में माईनिंग ट्रेड तथा महिला ITI–अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक एवं आरआई केन्द्र, जयपुर व बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, कोटा में इलेक्ट्रिक ट्रेड शुरू किये जायेंगे। इन पर लगभग 16 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

V. ITI–अलवर में मैकेनिक व प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, चित्तौड़गढ़ में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) व फायर टेक्नोलॉजी एवं इण्डस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट तथा भिवाड़ी–अलवर में रेफ्रिजरेशन व एयरकण्डीश्नर टेक्नीशियन एवं टर्नर के ट्रेड प्रारम्भ किये जायेंगे।

30. प्रदेश की उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आवश्यकतानुसार classrooms, पुस्तकालय, ICT लैब निर्माण व repair एवं maintenance के लिए 140 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

31. अध्यक्ष महोदय, समाज के सही दिशा में विकास के लिए हमें अपनी भावी पीढ़ी को प्रारम्भ से ही शिक्षा का उपहार देना होगा। मैं सदन को नोबल शान्ति पुरस्कार व भारत रत्न से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति **नेल्सन मंडेला** का कथन याद दिलाना चाहूँगा–**"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."** अर्थात् **"शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल कर आप दुनिया को बदल सकते हैं।"**

32. **कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं** के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को उपलब्ध करायी जा रही स्कूटियों की संख्या को 20 हजार से बढ़ाकर **30 हजार** करने की मैं, घोषणा करता हूँ। इन बालिकाओं को Electric Scooty लिए जाने का विकल्प दिया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही–

I. स्कूल शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षण संस्थानों में भी छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने–जाने की सुविधा हेतु **ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम** लागू की जायेगी।

II. स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज बसों में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक दी जा रही छूट की परिधि को 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर किया जाना प्रस्तावित है।

33. वर्तमान में Right to Education Act (RTE) के अंतर्गत कक्षा I से कक्षा VIII के विद्यार्थियों हेतु ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। मेरे द्वारा पिछले बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा IX से XII तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। अब मैं, छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने

के उपरान्त कक्षा I से XII तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किये जाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु कक्षा IX से XII में शिक्षण के लिए देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा। हमारा केन्द्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि वह हमारे निर्णय के अनुसार ही RTE के अंतर्गत कक्षा I से VIII के स्थान पर कक्षा I से XII तक के विद्यार्थियों के लिए प्रावधान करें।

34. प्रदेश के मेधावी छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से National Talent Search Exam (NTSE) की तर्ज पर दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु **Rajasthan Talent Search Exam (RTSE)** Scholarship प्रारम्भ किये जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत 10 हजार मेधावी विद्यार्थियों को Scholarship दी जायेगी।

35. मैं, आगामी वर्ष में भी इस वर्ष की भांति प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को **नि:शुल्क school uniform** दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 560 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

36. प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों की अध्ययन सुविधा का विस्तार करने की दिशा में–

I. प्रदेश में 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के साथ ही 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा तथा 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोले जायेंगे।

II. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विज्ञान को ऐच्छिक विषय के रूप में लिए जाने का विकल्प दिया जायेगा।

III. प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारों संकाय–कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि की सुविधा उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित है।

37. राजकीय विद्यालयों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं सुविधाओं के विस्तार हेतु–

I. प्रदेश के 358 शैक्षणिक ब्लॉकों पर विशेष आवश्यकता वाले (Specially Abled) विद्यार्थियों हेतु Learning Aid सामग्री युक्त संदर्भ कक्षों का निर्माण करवाया जायेगा। इस हेतु 40 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

II. विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं यथा–classrooms, labs, शौचालयों के निर्माण तथा जर्जर भवनों के repair आदि के 200 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जायेंगे।

38. मैं, आगामी वर्ष में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में **एक–एक हजार महात्मा गांधी** English Medium स्कूल और खोले जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, वहाँ भी प्राथमिकता से **English Medium Wing** प्रारम्भ की जायेगी।

39. प्रदेश में विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

I. ब्यावर–अजमेर, मालाखेड़ा–अलवर, भवानी मंडी–झालावाड़, गंगापुर सिटी–सवाई माधोपुर, सूरतगढ़–श्रीगंगानगर, रायपुर

–पाली, प्रतापगढ़ व कानोड़–उदयपुर में **सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास** खोले जायेंगे। इन पर लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

II. उमरेण–अलवर, प्रतापनगर–जयपुर व निवाई–टोंक में देवनारायण बालक छात्रावास तथा मानसरोवर–जयपुर में बालिका छात्रावास खोले जायेंगे।

III. कल्याणपुर (पचपदरा)–बाड़मेर, जैतासर (सरदारशहर) –चूरू व श्रीगंगानगर में **अनुसूचित जाति बालक छात्रावास,** नारायणपुर –बांसवाड़ा, शाहबाद (किशनगंज)–बारां, हींगलाट –प्रतापगढ़ व सरमथुरा (बसेड़ी)–धौलपुर में **जनजाति छात्रावास** तथा बिलिया बडगमा (सागवाड़ा)–डूंगरपुर में **जनजाति बालिका छात्रावास** खोले जायेंगे।

IV. साथ ही, श्रीपुरा (देवली)–टोंक, चिखली–डूंगरपुर एवं सवाई माधोपुर में **अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय** तथा रावतभाटा–चित्तौड़गढ़ में **अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय** खोला जायेगा।

40. प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से–

I. बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, पाली, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में संस्कृत महाविद्यालय शुरू किये जायेंगे। इससे समस्त जिलों में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित हो जायेंगे।

II. साबूवाना (टिब्बी)–हनुमानगढ़ में संस्कृत महाविद्यालय एवं मारवाड़ (मुण्डवा)–नागौर में शास्त्री स्तर का राजकीय महाविद्यालय खोला

जायेगा। साथ ही, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, हमीरगढ़–भीलवाड़ा को शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नत किया जायेगा।

III. संस्कृत महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के नवीन भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण तथा जीर्णोद्धार हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

41. वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु राज्य के 19 जिलों में वेद विद्यालय खोले गए तथा वर्ष 2021–22 में बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ की स्थापना की गयी। इसी कड़ी में अब शेष जिलों–जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक, सिरोही, पाली, प्रतापगढ़, अलवर, राजसमंद, बारां एवं जालोर में भी वेद विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

42. हमारे द्वारा प्रदेश में खेलों के प्रति रूझान बढ़ाने एवं प्रोत्साहन देने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाये गये हैं। हमने राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को out of turn policy के तहत अब तक 229 युवाओं को 7 विभागों में नियुक्तियाँ प्रदान की है। भविष्य में पदक विजेता अपने खेल विशेष में युवाओं को भी प्रशिक्षित कर सकें, इसके लिए इन्हें खेल विभाग में वरिष्ठता अनुरूप नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, बच्चों एवं युवाओं को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से कोच के 100 पद सृजित किये जायेंगे।

43. मेरे द्वारा बजट में घोषित ग्रामीण ओलम्पिक्स खेलों का सफल आयोजन वर्ष 2022–23 में किया गया। युवाओं द्वारा इन खेलों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया गया। युवाओं के उत्साह एवं इन खेलों के सफल आयोजन को ध्यान में रखते हुए अब हमने शहरी ओलम्पिक खेलों के आयोजन का भी निर्णय

किया है। इस प्रकार आगामी वर्ष सम्पूर्ण प्रदेश अर्थात् शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलम्पिक खेलों** का आयोजन और वृहद् स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

44. प्रदेश में बच्चों एवं युवाओं की रूचि खेल गतिविधियों में प्रारम्भ से ही हो सके, इस दृष्टि से प्रत्येक संभाग में **सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इन पर 105 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

45. साथ ही, **मेजर ध्यानचंद योजना** के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की राशि MLA फण्ड/CSR से दिए जाने पर 25 लाख रुपये की matching grant राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। अब मैं, इस matching grant की सीमा को बढ़ाकर **एक करोड़ रुपये** करने की घोषणा करता हूँ।

46. प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल स्टेडियम व खेल अकादमी स्थापित करने के साथ-साथ विभिन्न खेल सुविधायें विकसित की जायेंगी, जो इस प्रकार हैं-

I. **खेल स्टेडियम**-अरणोद-प्रतापगढ़, कठूमर, थानागाजी, कोटकासिम (किशनगढ़ बास)-अलवर, कुशलगढ़-बांसवाड़ा, अटरू-बारां, देई (हिण्डौली)-बूंदी, नदबई -भरतपुर, सरदारशहर -चूरू, मण्डावर (महुवा)-दौसा, बाड़ी, सैपऊ, राजाखेड़ा-धौलपुर, जमवारामगढ़-जयपुर, मलसीसर (मंडावा)-झुंझुनूं, बिलाड़ा, पीपाड़, बालेसर-जोधपुर, डेगाना, लाडनूं-नागौर, जैतारण, सुमेरपुर-पाली, बाटोदा (बामनवास)-सवाई माधोपुर, दांतारामगढ़

–सीकर, रानीवाड़ा–जालोर, झोंथरीपाल–डूंगरपुर एवं सिवाना –बाड़मेर।

II. भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाया जायेगा। साथ ही, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर में शूटिंग व तीरंदाजी की सुविधायें विकसित की जायेंगी।

III. चौगान स्टेडियम, जयपुर का जीर्णोद्धार किया जायेगा।

IV. कोलिडा–सीकर व बांसवाड़ा में फुटबॉल, बीकानेर में साइकिलिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती, राजगढ़–चूरू में एथलेटिक्स तथा बाड़मेर व सीकर में बास्केटबॉल अकादमी शुरू की जायेगी।

V. शेष रहे संभागीय मुख्यालयों–अजमेर, बीकानेर, भरतपुर व जोधपुर में भी सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का 40 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया जायेगा।

VI. धौलपुर, जालोर व नागौर में Multipurpose Indoor Halls बनाये जायेंगे।

VII. स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, जोधपुर में all weather swimming pool बनाया जायेगा।

47. प्रदेश के युवाओं को देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी के कार्यों से प्रेरणा लेने तथा भारतीय कलाओं से रूबरू कराने के उद्देश्य से **Rajiv Gandhi National Youth Exchange Programme** शुरू किया जायेगा। इसके तहत आगामी वर्ष 10 हजार युवाओं को उत्तर–पूर्वी (North-East) राज्यों सहित सम्पूर्ण देश में exposure visit के लिए भेजा जायेगा। साथ ही, जिला एवं राज्य स्तरीय **युवा महोत्सव** आयोजित किये जाने भी प्रस्तावित हैं। इन पर 75 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

48. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेता तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), एन.सी.सी. कैडेट्स व स्काउट्स एण्ड गाइड्स को रोडवेज बसों में **निःशुल्क यात्रा** सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। साथ ही, चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में NSS/ NCC/ Scouts and Guides की गतिविधियां प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

49. अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारा प्रदेश निःशुल्क Universal Health Care उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए हमारे द्वारा शुरू की गई **'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना'** के अंतर्गत वर्तमान में 3 हजार 700 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग एक करोड़ 38 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये तक निःशुल्क चिकित्सा का लाभ सरकारी के साथ–साथ empanelled private hospitals में भी मिल रहा है। इस योजना में lung, bone marrow, kidney, liver, heart आदि transplant 10 लाख रुपये की सीमा के अतिरिक्त राज्य सरकार के ही खर्चे पर निःशुल्क किये जाते हैं। अभी तक इस योजना के अन्तर्गत 32 लाख से अधिक लोगों को IPD में निःशुल्क इलाज प्राप्त हो चुका है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि जहाँ एक ओर अमेरिका जैसे विकसित देश में भी "Obama Health Care" योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, वहीं हमारी सरकार की चिरंजीवी योजना सही मायने में जीवनदायिनी साबित हुई है। माननीय सदस्यों के साथ–साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं, आगामी वर्ष से–

I. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर **25 लाख रुपये** प्रतिवर्ष करने की घोषणा करता हूँ।

II. इसके साथ ही, वर्तमान में इस लाभ को निःशुल्क प्राप्त करने वाले परिवारों का दायरा बढ़ाते हुए सभी EWS परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है।

50. सदन को जानकर हर्ष होगा कि **मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना** के माध्यम से हमने सरकारी चिकित्सा संस्थानों में OPD/IPD को पूर्णतः निःशुल्क कर इसी वर्ष 3 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो चुका है। अब इस योजना का दायरा और बढ़ाते हुए–

I. Referral Transportation सुविधा का विस्तार कर 500 अतिरिक्त 104/108 Ambulances उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

II. निःशुल्क जांच के अंतर्गत 56 जांचें जिले के साथ–साथ ब्लॉक मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी प्रारम्भ की जायेंगी।

III. योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए walk in coolers एवं Testing Labs की स्थापना सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

51. माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमने **मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना** के माध्यम से चिरंजीवी परिवारों का 5 लाख रुपये प्रति परिवार का निःशुल्क दुर्घटना बीमा भी किया है। परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने की स्थिति में और अधिक सम्बल देने की दृष्टि से अब मैं, परिवार की

दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाते हुए **10 लाख रुपये** किये जाने की घोषणा करता हूँ।

52. कोरोना के समय हमारे द्वारा Oxygen Beds, ICUs एवं NICU/PICU सहित आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ–साथ Oxygen प्रबन्धन, Concentrators एवं समस्त दवाइयों की निःशुल्क उपलब्धता करते हुए सभी चिकित्सक, पैरा मेडिकल साथियों, अन्य कार्मिकों व आमजन के सहयोग से की गई चिकित्सा व्यवस्था को सभी ने सराहा है, किन्तु अभी भी कई लोगों को Post Covid complications के रूप में Cardiac Issues, Respiratory Distress, Diabetes, Mental Stress एवं Physical Fatigue आदि का सामना करना पड़ रहा है। इस क्रम में अभी भी सभी प्रदेशवासियों को सजग रहने का मैं, आग्रह करना चाहूँगा। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) के अध्यधीन **'Centre for Post-Covid Rehabilitation'** स्थापित किये जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, Post Covid respiratory complications, सिलिकोसिस, सीओपीडी, अस्थमा आदि से सम्बन्धित Advanced Research एवं Treatment की दृष्टि से RUHS, जयपुर में **Institute of Respiratory Diseases** बनाया जाना प्रस्तावित है। इन पर 125 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

53. Post-Covid symptoms में से एक प्रमुख लक्षण मानसिक अवसाद (Mental Stress / Depression) का रहा है। इसके साथ ही वर्तमान युग में अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझने के कारण कई व्यक्ति इस समस्या का सामना कर रहे हैं। विशेषकर शिक्षा व रोजगार हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं में यह समस्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः

मानसिक तनाव व अवसाद से बचाने तथा इसका सामना करने के लिए जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में **साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स** प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु 20 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

54. साथ ही, प्रदेश के युवाओं को शराब एवं नशे की लत जैसे व्यसनों से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा एवं अजमेर सहित 15 स्थानों पर 20 करोड़ रुपये की लागत से नशामुक्ति केन्द्र खोलना/सुदृढ़ करना प्रस्तावित है।

55. हमने Universal Health Care योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ–साथ पूरे प्रदेश में चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को अत्यधिक सुदृढ़ किया है। आज प्रदेश के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। मात्र 3 जिलों–**प्रतापगढ़, जालोर एवं राजसमंद** में ही सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं हैं। इन जिलों के लिए हमारे बार–बार आग्रह करने पर भी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई। अब मैं, इन 3 जिलों में राज्य के खर्चे से **मेडिकल कॉलेज** खोले जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग **एक हजार करोड़ रुपये** का व्यय होगा।

56. प्रदेश के अत्यधिक भौगोलिक क्षेत्रफल एवं Medical Colleges की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं High End Research सुनिश्चित करने की दृष्टि से RUHS (Rajasthan University of Health Sciences) के अतिरिक्त जोधपुर में **Marwar Medical University** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इस पर 500 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

57. प्रदेश में जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं RUHS तथा जोधपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय (एमडीएम) सहित अन्य मुख्य चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों में Tertiary Care चिकित्सा एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा, जो इस प्रकार हैं–

I. **सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर** में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु–

(a) Cardio Thoracic Vascular Surgery (CTVS) विभाग, रोबोटिक कैथ लैब, OCT एवं ऑपरेशन थियेटर आदि की स्थापना 25 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।

(b) निर्माणाधीन IPD Tower एवं Institute of Cardiology में आधारभूत सुविधायें विकसित की जायेंगी। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

(c) Institute of Respiratory Diseases का उन्नयन 50 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा।

(d) गणगौरी अस्पताल, जयपुर के नवीन भवन में आधारभूत सुविधाओं हेतु 58 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

(e) Rehabilitation and Research Centre तथा गायनी ओंकोलॉजी विभाग में सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु 27 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, Poison Detection and Drug Level Lab स्थापित की जायेगी।

(f) Centre of Excellence for Advance Care in the Field of Hormone and Metabolic Disorder की स्थापना के साथ–साथ Institute of Dermatology, जयपुर को Centre

of Excellence के रूप में विकसित किया जायेगा। इन पर 13 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में रोगी भार को कम करने की दृष्टि से RUHS, जयपुर में–

(a) जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग व बालरोग में तीन–तीन यूनिट तथा ईएनटी, नेत्ररोग एवं अस्थि रोग विभागों में दो–दो यूनिट की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 34 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, Diagnostic सुविधा सुदृढ़ करने हेतु PPP Mode पर State of Art Radiology and Pathology Labs स्थापित की जायेंगी।

(b) सुपर स्पेशियलिटी विभागों–कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी एवं यूरोलॉजी की एक–एक यूनिट की स्थापना की जायेगी। इन पर 23 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

(c) **Centre of Collaborative Research and Academic Excellence cum Convention Hall** का निर्माण 80 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना प्रस्तावित है।

III. मथुरादास माथुर चिकित्सालय (एमडीएम), जोधपुर में चिकित्सा सुविधा विस्तार हेतु–

(a) 100 बैड के कॉटेज वार्ड ब्लॉक व ओटी ब्लॉक का 100 करोड़ रुपये की लागत से,

(b) रोबोटिक सर्जरी यूनिट का 50 करोड़ रुपये की लागत से, तथा

(c) **Ophthalmic Centre of Excellence** का 50 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया जायेगा।

IV. सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में पृथक इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग की स्थापना, ईएनटी विभाग का सुदृढ़ीकरण तथा **'हल्दीराम'** के सहयोग से 15 करोड़ रुपये की लागत से ECMO मशीन लगायी जायेगी।

V. महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में Transfusion Medicine विभाग, मातृ एवं शिशु रोग केन्द्र तथा आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित की जायेंगी। इन पर 41 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

VI. आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में **Centre of Excellence for Sickle Cell Disease** एवं मातृ विज्ञान संस्थान की स्थापना 30 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।

VII. मेडिकल कॉलेज, अजमेर में Terminal Diseases से सम्बन्धित पेलिएटिव मेडिसिन विभाग की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 52 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, दुर्घटनाग्रस्त मरीजों की जांच के लिए 3.0 टेस्ला MRI मशीन स्थापित की जायेगी।

VIII. सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय, कोटा में **Neuro Science Centre** की स्थापना की जायेगी। साथ ही, बाईपास सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **कार्डियो थौरेसिक सर्जरी मशीन** स्थापित की जायेगी। इन पर 64 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

IX. मेडिकल कॉलेज–अलवर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, अजमेर, उदयपुर, दौसा व जिला चिकित्सालय, मण्डोर–जोधपुर तथा

RUHS मेडिकल कॉलेज, जयपुर में 206 करोड़ रुपये की लागत से Critical Care Blocks स्थापित किये जाने की घोषणा करता हूँ।

X. मेडिकल कॉलेज–कोटा एवं अजमेर में कैंसर रोगियों के लिए 55 करोड़ रुपये की लागत से Linear Accelerator Machines स्थापित की जायेगी।

XI. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर एवं के एन चेस्ट चिकित्सालय, जोधपुर में **Silicosis Wing** की स्थापना 15–15 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।

XII. मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं छात्रावासों के नवीनीकरण, मरम्मत आदि के लिए 150 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

58. आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। माननीय सदस्यों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं से मुझे अवगत कराया गया है। इनकी मांगों को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से–

I. जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रामगंज–जयपुर की शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (UPHC) सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

II. निम्बाहेड़ा–चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग कॉलेज खोला जायेगा।

III. डीडवाना–नागौर में जनाना हॉस्पिटल विंग की स्थापना की जायेगी।

IV. महुवा–दौसा, भिवाड़ी–अलवर तथा लक्ष्मणगढ़–सीकर के उप जिला अस्पतालों को जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. पहाड़ी (कामां)–भरतपुर में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय खोला जायेगा।

VI. इसके साथ ही उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र व सेटेलाइट अस्पताल खोले व क्रमोन्नत किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

(a) **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उप जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत** किया जायेगा, ये हैं–बिजयनगर–अजमेर, वैर–भरतपुर, राजगढ़ (सादुलपुर), तारानगर–चूरू, मण्डावरी (लालसोट)–दौसा, भादरा–हनुमानगढ़, सांचौर – जालोर, खेतड़ी, मलसीसर (मंडावा)–झुंझुनूं, औसियां–जोधपुर, नेछवा (लक्ष्मणगढ़)–सीकर, बागीदौरा– बांसवाड़ा एवं भीम–राजसमंद।

(b) करबला (हवामहल)–जयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में सेटेलाइट चिकित्सालय खोले जायेंगे।

(c) **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) में क्रमोन्नत** किया जायेगा, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं–उमरैण, गवालदा (तिजारा)–**अलवर**, सल्लोपाट (बागीदौरा)– **बांसवाड़ा**, कस्बा थाना (शाहबाद), मोतीपुर (छबड़ा), कुन्जेड–**बारां**, लीलसर (चौहटन)–**बाड़मेर**, बांसी (नैनवां) –**बूंदी**, चंदेरिया–**चित्तौड़गढ़**, हुड़ला (महुवा)–**दौसा**, मण्डावरी, (फागी), रोजदा (जालसू), राडावास (शाहपुरा)

–**जयपुर**, जालोड़ा (लोहावट), पाल, खेजड़ली कलां (लूणी)–**जोधपुर**, पनवाड़ (खानपुर)–**झालावाड़**, घाटवा (कुचामनसिटी), मेड़तारोड–**नागौर**, दलोट–**प्रतापगढ़**, धनेरिया (नाथद्वारा)–**राजसमंद** एवं आनन्दपुर कालू (जैतारण), चाडवास (सोजत)–**पाली**।

(d) **नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र** खोले जायेंगे, ये हैं–झिरी (थानागाजी)–अलवर, 8केवाईडी (खाजूवाला)–बीकानेर, बौरेली (बसेड़ी)–धौलपुर, डऊकियों का तला (बायतू)–बाड़मेर, बुचारा, पवाना अहीर (कोटपूतली) –जयपुर, उम्मेदपुर (आहोर), डावल (सांचौर) –जालोर, भोजासर (मंडावा)–झुंझुनूं, पावा (डीडवाना), बरनेल (जायल)–नागौर, मदनी (दांतारामगढ़)–सीकर, पादरड़ी बड़ी (सागवाड़ा)–डूंगरपुर एवं खरनाल (खींवसर)–नागौर।

(e) **उप स्वास्थ्य केन्द्रों (Sub Centres) से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत** किया जायेगा। ये उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं– बांटखानी (बहरोड़), लगडवास (किशनगढ़बास)–**अलवर**, रोहनवाड़ी (गांगडतलाई), छाजा (आनन्दपुरी), जीवाखूंटा (कुशलगढ़)–**बांसवाड़ा,** गिराजसर (कोलायत), नोखागांव (नोखा)–**बीकानेर,** कादानाड़ी (गुडामलानी), मिठे का तला (चौहटन), बालासर, मौखाबकलां (शिव), रावतसर–**बाड़मेर**, मिलकपुर (बयाना)–**भरतपुर,** भादू (मांडल)–**भीलवाड़ा,** देरवाला (उदयपुरवाटी), सारी (चिड़ावा) –**झुंझुनूं**, वरदा (सागवाड़ा)–**डूंगरपुर**, गांगल्यावास (रामगढ़ पचवारा)–

दौसा, बालरवा (तिंवरी), चुतरपुरा (शेरगढ़), डाबड़ी (औंसिया)–**जोधपुर,** दूधली (बस्सी), रामजीपुरा खुर्द, भाकरी (विराट नगर), बिन्दायका (झोटवाड़ा)–**जयपुर,** मेंगलवा –**जालोर**, नांगलशेरपुर (टोडाभीम), भांकरी (मंडरायल)–**करौली,** हरीपुरा (संगरिया)–**हनुमानगढ़,** कोटड़ा (नीमकाथाना), बराल, देवगढ़ (पिपराली)–**सीकर** एवं मोहनपुरा (सादुलशहर)–**श्रीगंगानगर**।

(f) **उप स्वास्थ्य केन्द्र**–जसवर (वैर)–भरतपुर सहित 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

(g) बेगूं–चित्तौड़गढ़ में **ब्लड बैंक** की स्थापना की जायेगी।

59. हमारे द्वारा आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वातावरण में ठहरने की सुविधा के साथ इंटरनेशनल सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, जोधपुर में खोला गया है। इसी तर्ज पर आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय, चाकसू–जयपुर में भी 50 करोड़ रुपये की लागत से **Centre of Excellence in Panchkarma** खोला जायेगा।

60. वर्तमान में 124 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में से 52 चिकित्सालयों में ही पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। इस सुविधा की व्यापक पहुँच हेतु शेष 72 आयुर्वेद चिकित्सालयों में चरणबद्ध रूप से पंचकर्म केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

61. राज्य में आयुष चिकित्सा को बेहतर करने के उद्देश्य से–

I. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के परिसर में यूनानी महाविद्यालय व बालोतरा–बाड़मेर में यूनानी चिकित्सालय,

II. नाथद्वारा–राजसमंद में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा का एकीकृत महाविद्यालय,

III. भरतपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय व बालोतरा–बाड़मेर में होम्योपैथिक चिकित्सालय, तथा

IV. अरडावता (चिड़ावा)–झुंझुनूं में आयुर्वेदिक औषधालय व श्रीमहावीरजी (हिण्डौन)–करौली में आयुष चिकित्सालय खोले जायेंगे।

V. साथ ही, लवाण–दौसा एवं नदबई–भरतपुर के राजकीय आयुर्वेद औषधालय को 'अ' श्रेणी औषधालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VI. समस्त ब्लॉकों पर होम्योपैथिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

सड़क सुरक्षा :

62. यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है कि सम्पूर्ण देश में सड़कों पर यातायात व आवागमन बढ़ने के साथ–साथ दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। यह बहुत दुःख का विषय है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि हमने सड़क सुरक्षा को प्रभावी करने की दृष्टि से 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना' लागू करने, State Road Safety Institute का गठन तथा Integrated Traffic Management System (ITMS) विकसित करने जैसे ठोस कदम उठाये हैं, किन्तु अभी भी इस दिशा में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। अतः आगामी वर्ष–

I. जिला स्तर पर **Road Safety Task Force** का गठन joint team के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। इस Task Force में प्रशासन,

पुलिस, परिवहन तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारी सम्मिलित होंगे।

II. समस्त बाल वाहिनियों (School Buses) में अनिवार्य रूप से कैमरे लगाये जाने हेतु प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

III. जयपुर व जोधपुर में राजकीय Automated Fitness Testing Stations खोले जायेंगे।

IV. चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, पाली, सीकर व बाड़मेर के साथ ही ईटावा–कोटा, बिछीवाड़ा–डूंगरपुर, खींवसर–नागौर, निवाई–टोंक, भील कुआं (कुशलगढ़)–बांसवाड़ा तथा शाहपुरा–जयपुर में ट्रोमा सेन्टर्स की लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से स्थापना की जायेगी। साथ ही, समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों में गम्भीर घायलों को प्राथमिकता से उपचार के लिए Trauma Triage Protocol की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

शुद्ध के लिए युद्ध :

63. प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही मिले, इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि मिलावटखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा एवं उनके विरूद्ध नियमित रूप से कड़ी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही, 'शुद्ध के लिए युद्ध' मात्र एक अभियान तक सीमित ना रहे, इस हेतु 'खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय' की स्थापना करने के साथ ही 250 से अधिक Food Safety Officers के पद सृजित किये जा चुके हैं तथा आवश्यक Testing संसाधन भी उपलब्ध कराये हैं। इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से–

I. राज्य स्तर पर Food Safety तथा Drug Control कार्यालयों का एकीकरण कर स्थापित Commissionerate of Food Safety and Drug Control की तर्ज पर जिला स्तर पर भी Food Safety and Drug Control Offices की स्थापना करना प्रस्तावित है।

II. इसके साथ ही, Food Safety Officers के 100 नये पद भी सृजित करने की घोषणा करता हूँ।

III. प्रत्येक जिले को Mobile Testing Lab उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।

IV. राशन की दुकानों पर Digital Weigh Bridges उपलब्ध कराकर उन्हें Point of Sale (PoS) मशीनों से जोड़ा जायेगा। इससे NFSA लाभार्थियों को उनके हक का पूरा राशन मिल सकेगा।

V. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ–साथ जनसामान्य में जागरूकता लाने के लिए मैं, जयपुर में राज्यस्तरीय **Facilitation and Mediation Centre** की स्थापना 20 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही, द्वितीय चरण में संभाग स्तर पर इन Centres की स्थापना **'Hub and Spoke Model'** पर की जायेगी।

सामाजिक सुरक्षा :

64. अध्यक्ष महोदय, समाज में आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े, जरूरतमंद एवं असहाय वर्गों तथा परिवारों को सम्बल प्रदान करना ना सिर्फ हमारा दायित्व है, वरन् हमने इसे अपनी सरकार का मुख्य ध्येय भी माना है।

आज हमारे देश में ऐसी भी विचारधारा है, जिसके अनुसार पेंशन तथा रोजगार गारंटी जैसी योजनायें सरकार के संसाधनों पर अनावश्यक भार हैं और ऐसी योजनाओं को सीमित अथवा बंद कर देना चाहिए। इस विडम्बना का सामना हमारा देश ही नहीं कर रहा है, अपितु अमेरिका जैसे विकसित देश में भी पूँजीवादी विचारधारा सामाजिक सुरक्षा का विरोध करती रही है। वहाँ भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों ने ऐसी विचारधारा का सामना कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को निरन्तर जारी रखा। मैं, सदन को अमेरिका के **पहले अश्वेत राष्ट्रपति Mr. Barack Obama** का वह कथन याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के महत्व को दोहराने के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा Funds को बाजार में निवेश करने का भी पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने 14 अगस्त, 2010 को कहा था–

"Seventy-five years ago today, in the midst of the Great Depression, Franklin Roosevelt signed Social Security into law, laying a cornerstone in the foundation of America's middle class, and assuring generations of America's seniors that after a lifetime of hard work, they would have a chance to retire with dignity.

We have an obligation to keep that promise; to safeguard Social Security for our seniors, people with disabilities, and all Americans–today, tomorrow, and forever.

One thing we can not afford to do though is privatize Social Security–an ill-conceived idea that would add trillions of dollars to our budget deficit while tying your benefits to the whims of Wall Street traders and the ups and downs of the stock market. I will fight with everything I have got to stop those who would gamble your Social Security on Wall Street."

श्री बराक ओबामा के दिनांक 14 अगस्त, 2010 के इस कथन का सारांश है–

"आज से 75 वर्ष पूर्व (14 अगस्त,1935 को), वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में, Franklin Roosevelt ने सामाजिक सुरक्षा को कानून का रूप देते हुए अमेरिका के मध्यम वर्ग के लिए आधारशिला रखी थी, जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि वृद्धजन उम्रभर कठिन परिश्रम करने के बाद, ससम्मान सेवानिवृत्त हो सकें।

बराक ओबामा आगे कहते हैं... **इस आश्वासन को निभाना हमारी जिम्मेदारी है। जिससे हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग एवं समस्त देशवासियों को सर्वदा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।**

हम किसी भी सूरत में सामाजिक सुरक्षा को निजी क्षेत्र को नहीं सौंप सकते। यह एक बिल्कुल गलत सोच है इससे तो हम अरबों डॉलर बजट घाटा बढ़ाने के साथ–साथ Benefits की राशि को Stock Market की अनिश्चितता से भी जोड़ देंगे। मैं पूरा जोर लगाकर ऐसे लोगों को रोकूंगा जो हमारी सामाजिक सुरक्षा को बाजार के भरोसे रखना चाहते हैं।"

65. मैं माननीय सदन को याद दिलाना चाहूँगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त विचारों के समान ही कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा अर्थात् पेंशन हेतु अंशदान को NPS (National Pension Scheme) योजना के अंतर्गत बाजार में निवेश कर होने वाले Risk को देखते हुए ही मेरे द्वारा पिछले बजट में OPS (Old Pension Scheme) लागू करने का निर्णय लिया गया था। हाल ही में LIC जैसे भारत सरकार के उपक्रम के Share Prices में भी हुई अप्रत्याशित कमी ने हमारे OPS लागू करने के निर्णय को सही साबित किया है। मैं सदन के माध्यम से पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्पूर्ण देश में कार्मिकों के लिए OPS लागू करने का आग्रह करूँगा।

66. हमारी सरकार ने हमेशा **राष्ट्रपिता महात्मा गांधी** द्वारा दी गई सीख–"**The true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members.**" अर्थात् **"समाज की सच्ची प्रगति इस बात में निहित है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।"** को अपनी नीतियों का केन्द्र बिन्दु बनाया है। हमारा मानना है कि वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होना उनका हक है। इसी कारण केन्द्र की हमारी UPA सरकार द्वारा **Rights Based Laws** जैसे MNREGA, RTE एवं Food Security Act के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनायें लागू की गईं। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार की ऐसी नीतियों के कारण ही तत्समय की वैश्विक मंदी (Global Recession) की मार से आम–आदमी बच पाया।

67. जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित होगा कि जहाँ राज्य सरकार द्वारा 9 हजार करोड़ रुपये वार्षिक व्यय कर 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, वहीं केन्द्र सरकार द्वारा केवल 10 लाख व्यक्तियों को ही मात्र 200/300 रुपये प्रतिमाह पेंशन देते हुए 300 करोड़ रुपये वार्षिक उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इसी प्रकार सभी राज्यों में पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति अलग–अलग है। हाल ही में मैंने पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि वे सम्पूर्ण देश के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को, कानून लाते हुए एकरूपता से लागू करने की व्यवस्था करें। जहाँ एक ओर हमने केन्द्र सरकार से यह माँग की है, वहीं हम पहल करते हुए राजस्थान में ऐसा कानून लाना प्रस्तावित कर रहे हैं, जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों व परिवारों को **Entitlement based Social Security** प्राप्त हो सके।

इस दृष्टि से अब मैं, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित शहरी एवं ग्रामीण रोजगार गारन्टी के साथ सभी पेंशन योजनाओं को समाहित करते हुए **कानून** बनाकर पात्र परिवारों के लिए आगामी वर्ष से **Mahatma Gandhi Minimum Guaranteed Income योजना** लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना से प्रदेश के सभी परिवारों को **125 दिवस प्रतिवर्ष** की रोजगार गारंटी तथा वृद्ध/दिव्यांग/एकल महिला होने की स्थिति में **न्यूनतम एक हजार रुपये महिने** की पेंशन प्राप्त हो सकेगी। इस हेतु आगामी वर्ष **2 हजार 500 करोड़ रुपये** का अतिरिक्त व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार–

I. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGS) में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को अब राजस्थान में स्थायी रूप से **25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार** तथा कथौड़ी, सहरिया एवं विशेष योग्यजन को भी स्थायी रूप से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार मिल सकेगा।

II. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार 100 दिवस से बढ़ाकर **125 दिवस** का रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

III. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभान्वितों को आगामी वर्ष से **न्यूनतम एक हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन** दिये जाने से 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त लगभग 77 लाख लाभार्थियों को वर्तमान में देय 500–750 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर **एक हजार रुपये** पेंशन मिल सकेगी, तथा

IV. जैसा विदित है कि हमारी संवेदनशील सरकार ने ही वर्ष 2019 में 6 वर्षों के बाद पेंशन राशि में वृद्धि की थी। लम्बे समय तक पेंशन राशि नहीं बढ़ने के कारण पेंशनर्स को होने वाली समस्या के निराकरण

की दृष्टि से हर वर्ष **15 प्रतिशत** स्वतः वृद्धि किये जाने के प्रावधान की भी घोषणा करता हूँ।

68. वर्तमान में Ola, Uber (उबर), Swiggy (स्वीगी), Zomato तथा Amazon आदि कम्पनियों ने युवा कार्मिकों को संविदा पर 'Per Transaction' के आधार पर जोड़ रखा है, ऐसे कर्मियों को Gig Workers कहते हैं। सम्पूर्ण विश्व के साथ ही प्रदेश में भी 'Gig Economy' का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आज प्रदेश में इनकी संख्या 3–4 लाख हो चुकी है। इन 'Gig Workers' के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था ये बड़ी कम्पनियां नहीं करती हैं। ऐसे workers को शोषण से बचाने व सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से मैं, **'Gig Workers Welfare Act'** लाना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत **Gig Workers Welfare Board** की स्थापना के साथ–साथ **200 करोड़ रुपये** की राशि से **Gig Workers Welfare and Development Fund** के गठन की घोषणा करता हूँ।

69. माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि नई पहल करते हुए मैं, पंजीकृत श्रमिकों एवं Street Vendors के परिवारों के 25 से 60 वर्ष के सदस्यों को hospitalization के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि से **'मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना'** लागू करने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत बिना किसी प्रार्थनापत्र के Auto DBT के माध्यम से **7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन** सहायता दिया जाना प्रस्तावित है।

70. प्रदेश में छात्रों, श्रमिकों तथा निम्न आय वर्ग के जन–सामान्य को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने हेतु शहरी क्षेत्रों के लिए हमने **'इंदिरा रसोई योजना'** प्रारम्भ की थी। आज लगभग **एक हजार** इंदिरा रसोइयों

पर मात्र 8 रुपये में भोजन की थाली ससम्मान उपलब्ध होती है। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष से इंदिरा रसोइयों का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार करते हुए इनकी संख्या बढ़ाकर **दो हजार** करने की मैं, घोषणा करता हूँ। इससे इस योजना पर 700 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा।

71. हमने विभिन्न वंचित वर्गों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से उनके कल्याण एवं उत्थान के लिए कोष गठित किये थे, जिनके सार्थक परिणाम सामने आये हैं। इसे और अधिक गति देने तथा वृहद् रूप प्रदान करने की दृष्टि से—

I. **SC एवं ST विकास कोषों** की राशि को 500—500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष **एक—एक हजार करोड़ रुपये** करना प्रस्तावित करता हूँ।

II. साथ ही, OBC, MBC, EWS एवं अल्पसंख्यक विकास कोषों की राशि बढ़ाते हुए 200—200 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है, तथा

III. सफाई कर्मचारियों के विकास के लिए गठित **'वाल्मीकि कोष'** की राशि 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, समाज के व्यक्तियों को प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी 2 वर्षों में लगभग **30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती** की जायेगी।

72. अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के निवासियों के समग्र विकास के लिए PESA Act, 1996 [Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act] तथा Forest Rights Act, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमने कई कदम उठाये हैं। आज भी जनजातीय क्षेत्र में अधिक से अधिक सामुदायिक पट्टे (Community

Forest Rights) दिये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य को और आगे ले जाने के साथ—साथ स्थानीय ग्रामसभा को सशक्त करने की दृष्टि से मैं, **PESA Implementation and Monitoring Task Force** के गठन की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का Corpus Fund बनाया जाना प्रस्तावित है।

73. आगामी वर्ष भी **मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना** के अंतर्गत **5 हजार स्कूटी** वितरण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मैं, अल्प आय वर्ग के पात्र विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता, आवश्यक कृत्रिम अंग व उपकरण यथा—ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैशाखी, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र, स्टिक के लिए देय 10 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर **20 हजार रुपये** किये जाने की घोषणा करता हूँ। इससे 50 हजार दिव्यांग लाभांवित होंगे। इस पर 75 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

74. विशेष योग्यजनों को बेहतर शैक्षिक वातावरण व सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु—

I. जयपुर स्थित बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अन्तर्गत Centre of Excellence for Assistive Technology की स्थापना 25 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

II. बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर जोधपुर में **महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 25 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया जायेगा। साथ ही, आगामी वर्ष कोटा, भरतपुर एवं उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

III. दिव्यांगों हेतु संचालित Aided Educational Institutions में ब्रेल पुस्तकें (Braille Books) तथा Play Elements उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, इन संस्थाओं के कार्मिकों के मानदेय में आगामी वर्ष 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

75. अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु छात्रावासों के निर्माण सहित अन्य सुविधायें विकसित की जायेंगी, जो इस प्रकार हैं–

I. रामगढ़–अलवर, नगर–भरतपुर एवं रमजान की गफन (चौहटन), सेडवा–बाड़मेर में **अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय** तथा जोधपुर, झुंझुनूं, कोटा, टोंक, बीकानेर व सीकर में आवासीय विद्यालय खोलना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही, किशनपोल–जयपुर, धौलपुर, प्रतापगढ़, कुचामनसिटी–नागौर, केशुम्बला भाटियान (गिड़ा)–बाड़मेर, व करौली में **अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास** एवं बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ व चूरू में एक–एक छात्रावास का निर्माण किया जायेगा। इन पर 125 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. अल्पसंख्यक आयोग तथा वक्फ बोर्ड के माध्यम से विभिन्न कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

III. आगामी वर्ष 500 और पंजीकृत मदरसों के आधुनिकीकरण तथा इनमें स्मार्ट क्लासरूम मय इन्टरनेट की सुविधा मुहैया करवाने के लिए 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

76. माननीय अध्यक्ष महोदय, **स्वामी विवेकानन्द** ने कहा है–

"यदि महिलाओं की दशा नहीं सुधारी गई तो विश्व के कल्याण की कोई सम्भावना नहीं है, क्योंकि किसी भी चिड़िया के लिए एक पंख से उड़ना सम्भव नहीं है।"

साथ ही यह भी सर्वविदित है कि दूरगामी एवं sustained प्रभाव के लिए किसी भी देश–प्रदेश की सफलता महिलाओं और बच्चों पर ही निर्भर करती है। हमने इसी उद्देश्य से एक हजार करोड़ रुपये के Indira Mahila Shakti (I M Shakti) कोष का गठन कर उड़ान, इंदिरा मातृत्व पोषण व महिला उद्यम प्रोत्साहन जैसी विभिन्न योजनायें प्रारम्भ की हैं।

77. महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु–

I. मैं, महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले **एक लाख रुपये** तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा करता हूँ।

II. साथ ही, 5 लाख नये परिवारों को स्वयं सहायता समूह में जोड़कर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 800 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराते हुए Revolving Fund व Community Investment Fund के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

78. प्रदेश में आंगनबाड़ियों में सुविधाओं के विस्तार एवं बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास की दृष्टि से–

I. मैं, **8 हजार आंगनबाड़ी** एवं **2 हजार मिनी आंगनबाड़ी** केन्द्र खोले जाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु 320 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

II. हमने इस वर्ष कक्षा I से VIII तक के सरकारी स्कूल के लगभग 70 लाख विद्यार्थियों को 2 सेट यूनिफॉर्म प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में अब मैं, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के 17 लाख से अधिक बच्चों के लिए भी आगामी वर्ष 2 सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 180 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

III. आंगनबाड़ी के बच्चों की नियमित शारीरिक जांच एवं पोषण सम्बन्धी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 70 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

79. जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ–बाड़ी केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।

80. कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु संभाग मुख्यालयों पर 100 एवं जिला मुख्यालयों पर 50 महिलाओं के लिए **'Indira Gandhi working women hostels'** बनाये जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 70 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही, कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल हेतु मैं **'प्रियदर्शिनी डे–केयर सेन्टर योजना'** प्रारम्भ करना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 60 करोड़ रुपये व्यय कर 500 डे–केयर सेन्टर्स खोले जायेंगे।

81. महिलाओं को सुरक्षित अपने निवास से दूर स्थित औद्योगिक क्षेत्र अथवा Official Clusters तक लाने–ले जाने के लिए **Women Special Bus Service** प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, महिलाओं को रोडवेज की

साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराये में दी जा रही छूट को 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करता हूँ।

82. सामूहिक विवाह अनुदान योजना में देय अनुदान राशि को 18 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति जोड़ा किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में यदि सामूहिक विवाह आयोजन में विभिन्न समाज, जाति व धर्म के परिवार सम्मिलित होकर 'अनेकता में एकता' की भावना को साकार कर कम से कम 25 जोड़ों के विवाह का आयोजन करेंगे तो, आयोजन के लिए 10 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जायेगी।

83. साथ ही, अन्तरजातीय विवाह हेतु दी जाने वाली सहायता को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तथा इसी प्रकार युवाओं द्वारा 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवनसाथी बनाने पर 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करता हूँ।

84. स्कूली बच्चों को समुचित पोषण मिल सके, इस दृष्टि से मिड डे मील के अन्तर्गत सप्ताह में 2 दिवस दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं, मिड डे मील के अंतर्गत **एक हजार करोड़ रुपये** प्रतिवर्ष की लागत से बच्चों को **प्रतिदिन दूध** उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ।

85. जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है कि हमारे द्वारा कोरोना के कारण हुई विधवाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए घोषित सहायता पैकेज–**मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना** की सर्वत्र प्रशंसा हुई है। इसके अंतर्गत अनाथ बच्चों को एक लाख रुपये एकमुश्त, 18 वर्ष की उम्र तक प्रतिमाह 2 हजार 500 रुपये एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपये की सहायता

देय है। सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि अब मैं, कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक–बालिकाओं को वयस्क होने पर **सरकारी नौकरी** दिए जाने की घोषणा करता हूँ।

86. पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए प्रतिमाह दी जाने वाली 500 रुपये की सहायता को बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह तथा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग को देय एक हजार रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर एक हजार 500 रुपये करना प्रस्तावित करता हूँ। इससे प्रतिवर्ष 6 लाख 50 हजार से अधिक बच्चे लाभांवित होंगे।

औद्योगिक विकासः

87. अध्यक्ष महोदय, उद्योगों के विस्तार एवं वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अतः प्रदेश में औद्योगिक ढांचा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मैं, आगामी वर्ष औद्योगिक क्षेत्रों में **400 करोड़ रुपये से अधिक** के विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित करता हूँ। ये कार्य हैं–

I. औद्योगिक क्षेत्र–सारनेश्वर, ग्रोथ सेन्टर आबू रोड–**सिरोही;** सोनियाना–**चित्तौड़गढ़;** बाड़मेर, बालोतरा–**बाड़मेर;** सीतापुरा, प्रहलादपुरा, रामचन्द्रपुरा, तूंगा, मण्डा–**जयपुर;** फलौदी–**जोधपुर;** गुन्दी फतेहपुर, रानपुर–**कोटा;** टोंक, निवाई–**टोंक;** गुडली, सुखेर, एमआईए उदयपुर–**उदयपुर;** चूरू, बीदासर–**चूरू, हनुमानगढ़** तथा अन्य पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के कार्य 200 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

II. औद्योगिक क्षेत्र तूंगा, कुंजबिहारीपुरा, Fintech Park–जयपुर, सलारपुर–अलवर एवं सोनियाना–चित्तौड़गढ़ को smart

औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जायेगा। इन क्षेत्रों में हरित पट्टी, पॉवर स्टेशन, Dedicated Waste Disposal, कॉमर्शियल शॉप आदि की सुविधायें उपलब्ध होंगी।

III. महापुरा–जयपुर स्थित Special Economic Zone (SEZ) के अंतर्गत आधारभूत संरचना का विकास 25 करोड़ रुपये की राशि से RIICO द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

IV. उद्योग विभाग द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, जो रीको को हस्तान्तरित होने से शेष रहे गये थे, मैं ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से रीको को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

V. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के भिवाड़ी, नीमराणा, अलवर, भरतपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार तथा आधारभूत संरचना के 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाये जायेंगे।

VI. निवेशकों को facilitate करने के लिए अजमेर, आबूरोड–सिरोही, किशनगढ़–अजमेर, राजसमंद एव उदयपुर में रीको के कार्यालय भवनों का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, किशनगढ़–अजमेर में इकाई कार्यालय की स्थापना की जायेगी।

88. हमने प्रवासी राजस्थानियों को पुनः अपनी मिट्टी से जोड़ते हुए निवेश के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास में भागीदारी निभाने की दृष्टि से लगातार प्रयास किये हैं तथा यह प्रसन्नता का विषय है कि सम्पूर्ण विश्व में निवास कर रहे राजस्थानी Diaspora ने भी अपनी ओर से सार्थक पहल की। इसी क्रम को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से आगामी वर्ष Rajasthan Foundation

के तत्वावधान में **International Rajasthani Conclave (IRC)** आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

89. वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में 96 उपखण्डों में घोषित औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। आगामी वर्ष, औद्योगिक क्षेत्रों से वंचित रहे शेष **50 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्रों** की स्थापना की जायेगी, जो इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	जिला	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र
1.	अजमेर	पुष्कर
2.	अलवर	लक्ष्मणगढ़, मुण्डावर, गोविन्दगढ़, नारायणपुर
3.	बांसवाड़ा	सज्जनगढ़
4.	बारां	अंता, छीपाबड़ोद
5.	बाड़मेर	गुढ़ा मालाणी
6.	भरतपुर	कुम्हेर, पहाड़ी, वैर
7.	भीलवाड़ा	आसीन्द, कोटड़ी, बदनौर
8.	चित्तौड़गढ़	रावतभाटा, भदेसर
9.	धौलपुर	सेपऊ
10.	डूंगरपुर	चिखली, साबला
11.	श्रीगंगानगर	विजयनगर
12.	हनुमानगढ़	टिब्बी
13.	जालोर	बागौड़ा, रानीवाड़ा
14.	झालावाड़	खानपुर, गंगधार, असनावर,
15.	झुंझुनूं	मण्डावा
16.	जोधपुर	शेरगढ़, बिलाड़ा
17.	करौली	नादौती
18.	कोटा	ईटावा
19.	नागौर	खींवसर, कुचामनसिटी
20.	पाली	रानी

21.	प्रतापगढ़	पीपलखूंट, छोटी सादड़ी, धरियावद
22.	राजसमंद	कुम्भलगढ़, देवगढ़
23.	सवाई माधोपुर	वजीरपुर
24.	सिरोही	माउंट आबू
25.	सीकर	नैछवा
26.	उदयपुर	सराड़ा, ऋषभदेव, सलूम्बर, लसाड़िया, झाड़ोल, कोटड़ा व सेमारी।

90. राज्य में आयात–निर्यात की सुविधा एवं व्यापार संवर्धन हेतु राजसिको के माध्यम से उदयपुर में एयर कार्गो की स्थापना की जायेगी एवं जयपुर में नवीन एयर कार्गो परिसर का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, बीकानेर व पचपदरा–बाड़मेर में Inland Container Depots की स्थापना की जायेगी।

91. प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (MSMEs) के विकास हेतु–

I. RIICO औद्योगिक क्षेत्र में MSME Units को सुविधा देने की दृष्टि से 200 करोड़ रुपये की लागत से Co-Working Space एवं Workshops का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

II. उद्यमियों की सुविधा हेतु राजसिको द्वारा जयपुर में 125 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक आधारभूत सुविधायुक्त **'विश्वकर्मा MSME Tower'** विकसित किया जायेगा।

III. औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार Industries के साथ Partnership में श्रमिकों की आवासीय सुविधा के लिए पहल करते हुए Transit Housing Scheme लायी जानी प्रस्तावित है।

92. राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, दस्तकारी, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से–

I. **राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना** लागू करते हुए आगामी वर्ष में दौसा व टोंक में चमड़े के उत्पाद, चूरू व बीकानेर में बंधेज

तथा बाड़मेर में कशीदाकारी के क्लस्टर्स सहित अन्य चयनित क्लस्टर्स में 25 करोड़ रुपये व्यय कर आधारभूत संरचना एवं क्षमता विकास के कार्य किये जायेंगे। साथ ही, ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर में Centre of Excellence की स्थापना की जायेगी।

II. अलवर एवं पुष्कर–अजमेर में **'ग्रामीण हाट'** की स्थापना की जायेगी।

III. प्रदेश में खादी का उपयोग बढ़ाने के साथ–साथ खादी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे द्वारा खादी पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती रही है। आगामी वर्ष भी 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक 50 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही, 50 खादी संस्थाओं/समितियों का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

IV. **खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना** के अंतर्गत कत्तिनों एवं बुनकरों को देय प्रोत्साहन राशि को दुगुना किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

आधारभूत संरचना (Infrastructure) :

सड़क एवं नागरिक सुविधायें :

हमारे द्वारा इस कार्यकाल में **24 हजार 405 करोड़ रुपये** का व्यय कर 8 हजार 987 किलोमीटर लम्बाई की नवीन सड़कों का निर्माण, एक हजार 68 किलोमीटर लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्गों व 6 हजार 448 किलोमीटर लम्बाई में राज्य राजमार्गों का विकास तथा 37 हजार 286 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण सड़कों सहित कुल 53 हजार 789 किलोमीटर सड़कों के विकास कार्य करवाये गये हैं।

93. वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के बजट में प्रत्येक जिले के 3–3 प्रमुख क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों के विकास कार्य स्वीकृत किये गये। आगामी वर्ष में प्रत्येक जिले की 5–5 महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों सहित अन्य प्रमुख सड़कों के निर्माण, रिपेयर एवं उन्नयन कार्यों के साथ–साथ पुल निर्माण कार्य **लगभग 6 हजार 500 करोड़ रुपये** की लागत से करवाये जाने प्रस्तावित हैं, जो इस प्रकार हैं–

I. प्रत्येक जिले की 5 महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों के कार्य–

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
1.	अजमेर	• सावर बनेडिया–मेहरूकंला–भीमडावास–नांदसी–देवलिया कला (59 किमी.) (सावर, केकड़ी, भिनाय) • गोयला– शेरगढ़–फतेहगढ़–जूनिया–कनोज– बघेरा (49.70 किमी.) (सरवाड, केकड़ी) • किशनगढ से खुण्डियावास वाया अरड़का (21 किमी.) (सिलोरा, अजमेर ग्रामीण) • सम्पर्क सड़क तारागढ़ (6 किमी.) (शहरी क्षेत्र) • नसीराबाद–डबरेला –बोराडा –मनोहरपुर –हरपुरा–कोटडी (56 किमी.) (अराई, श्रीनगर, सरवाड़)	233 करोड़ 38 लाख रुपये
2.	अलवर	• केशवपुरा फाटक–प्रागपुरा–कीलपुरखेडा–डेरा– टहटडा –माचाडी–पिनान–मौजपुर–शहदका–बूंटोली–शीतल (64 किमी.) (रैणी, लक्ष्मणगढ़) • पापड़ी स्टैण्ड से दोहडा–शेखपुर–मुबारिकपुर–बीजवा–अलावडा–सिंगराका– खेड़ा महमूद–सैमला खुर्द–जिला सीमा तक (66.50 किमी.) (किशनगढ़बास, रामगढ़, गोविन्दगढ़) • एम.आई.ए. खेडली सैयद– निठारी– चौमू– बिलन्दी, सताना–बहाली मेगा हाईवे (28.50 किमी.) (उमरैण, मालाखेड़ा)	193 करोड़ 50 लाख रुपये

		• महनपुर नॉगलबानी– कोटपूतली सीमा– ईशरा का बास–माजराढाकोडा (36.10 किमी.) (बानसूर) • कठूमर से कुम्हेर वाया सौंख–कुरवारा–बरतई –पिचूमर (14 किमी.) (कठूमर)	
3.	बांसवाड़ा	• सागडूंगरी से गुजरात सीमा मय पुलिया (23 किमी.) (बागीदौरा, गांगड़तलाई, आनन्दपुरी) • चौरडी चौराहा से मोनाडूंगर (36 किमी.) (आनन्दपुरी, गांगड़तलाई) • पुलिया पुनर्निर्माण उदयपुर–बांसवाड़ा सड़क (बांसवाड़ा, तलवाड़ा) • बांसवाड़ा–खमेरा सड़क एवं नेगरेट से घाटोल (30 किमी.) (बांसवाड़ा, घाटोल) • पाटन से कदवाली छोटी एमपी सीमा (25 किमी.) (कुशलगढ़)	150 करोड़ रुपये
4.	बारां	• किशनगंज विधानसभा के मुख्य कस्बों में सी.सी. सड़क का निर्माण (12 किमी.) (शाहाबाद, किशनगंज) • बारां शहर की आन्तरिक सड़कों पर सीसी सड़क एवं नालियों का निर्माण (14 किमी.) (बारां) • अन्ता–सांगोद सड़क से मेगा हाईवे (15.50 किमी.) (बारां) • बराना से डडवाडा वाया कुंजेड (16 किमी.) (अटरू) • कुण्ड–मियाडा–कोयला–जालेड़ा–पीपलोद–अटरू (18 किमी.) (बारां, अटरू)	176 करोड़ 25 लाख रुपये
5.	बाड़मेर	• कुडला से नगर (31 किमी.) (बाड़मेर ग्रामीण) • सदराम की बेरी से रामजी का गोल (58 किमी.) (सेड़वा, धोरीमन्ना) • बालोतरा से धवा (59 किमी.) (बालोतरा/समदड़ी, कल्याणपुर) • मालपुरा से खुडाला (40 किमी.) (आडेल) • भाडखा से बोरानाड़ा (35 किमी.) (बायतु, पाटोदी, गिड़ा)	174 करोड़ 25 लाख रुपये

6.	भरतपुर	• हंतरा–वैर–बल्लभगढ़–कलसाड़ा–रीजवास (44 किमी.) (वैर, बयाना) • कुम्हेर–जनूथर–सुन्दरावली–नगर (26 किमी.) (कुम्हेर, डीग) • वैर–हंतरा (जीवद) रोड से डहरा मोड वायां बरखेडा–झामरी–मरकऊ (15.15 किमी.) (वैर, बयाना, नदबई) • बरसाना–कटीघाटी वायां कामां पहाड़ी (50 किमी) (कामां, पहाड़ी) • नदबई–हलैना (10 किमी.) (नदबई)	216 करोड़ रुपये
7.	भीलवाड़ा	• देवगढ़ से माण्डल वाया करेड़ा (5 किमी.) (माण्डल) • भीलवाड़ा से देवगढ़ वाया पांसल पिथास (7 किमी.) (सुवाणा) • शम्भुगढ़ से रायला (37 किमी.) (आसीन्द) • भीलवाड़ा–कोटड़ी–पण्डेर (41.40 किमी.) (सुवाणा, कोटड़ी) • कनेछन से फूलिया खुर्द (18.70 किमी.) (शाहपुरा)	121 करोड़ रुपये
8.	बीकानेर	• गंगापुरा फांटा से गोकुल फांटा वाया गंगापुरा–सुरजड़ा–अगनेउ (44 किमी.) (कोलायत) • पलाना से खाजूवाला वाया नाल–सम्मेवाला– बल्लर (29. 70 किमी.) (बीकानेर, खाजूवाला) • देशनोक से कालू वाया नापासर–गुसाईसर (48 किमी.) (बीकानेर) • म्यूजियम सर्किल से बीछवाल वाया दीनदयाल उपाध्याय सर्किल–उरमूल सर्किल (11 किमी.) (शहरी क्षेत्र) • पलाना–बरसिंहसर–लालमदेसर–जेडी मगरा–सियाणा –बाला का गोल–खारिया मालिनाथ–उदत (66 किमी.) (बीकानेर, नोखा, कोलायत)	220 करोड़ 70 लाख रुपये

9.	बून्दी	• उगेन–भीमगंज–सीसोला–निमोद मय बालापुरा पुल (25. 70 किमी.) (नैनवां एवं हिण्डोली) • नेहड़ी–विजयगढ़–थाना–टहला–बोरखेड़ा –मांगलीखुर्द–एन.एच.–52 तक (34.20 किमी.)(हिण्डोली) • जैतपुर–खटकड़ सड़क का शेष भाग (18.65 किमी.) (नैनवां एवं बून्दी) • (रामेश्वर चौराहा)–आकोदा–दर्रा का नयागांव–बड़गांव –रेण–सरसोद–गोठड़ा सड़क मय बड़गांव पुल (35.30 किमी.) (हिण्डोली) • मेघारावत की झौपड़िया से खीण्या (8.50 किमी.) (हिण्डोली)	150 करोड़ रुपये
10.	चितौड़गढ़	• सेमलपुरा से विजयपुर (30 किमी.) • ड़बोक से नीमच सड़क एसएच–15 तक (47.50 किमी.) (बड़ीसादड़ी, डूंगला) • चिकारड़ा से बड़ीसादड़ी (35 किमी.) (बड़ीसादड़ी, डूंगला) • रावतभाटा जवाहरनगर सड़क पर बाबा रामदेव मंदिर के पास चम्बल नदी पर पुल निर्माण कार्य (भैसरोड़गढ़) • मेघपुरा डोराई सडक मय पुलिया (6 किमी.) (बेगूं)	174 करोड़ 12 लाख रुपये
11.	चूरू	• भनीण से बायं–बिरमी खालसा–खुड्डी राजगढ़–सिद्ममुख (34.50 किमी.) (राजगढ़, तारानगर) • लूणकरणसर से कानूता (23.20 किमी.) (बीदासर) • रतनगढ़ से सरदारशहर वाया चूरू (45.40 किमी.) (रतनगढ़) • हरियासर–अमरसर–नोहर (21 किमी.) (सरदारशहर) • रतनगढ़ से चूरू सड़क वाया घुमान्दा– मोलीसर एवं खुडेरा बड़ा से सहनाली (56.04 किमी.) (रतनगढ़)	207 करोड़ रुपये
12.	दौसा	• रोहडा से लवाण (42 किमी.) (दौसा, लवाण) • हुडला से लोटवाडा वाया पलानहेडा–जटवाडा– हिगोंटा –महुखेड़ा (64 किमी.) (महवा, मण्डावर, बैजूपाड़ा)	165 करोड़ 33 लाख रुपये

		• बालाजी मोड़ से खवारावजी (41 किमी.) (सिकन्दरा, सिकराय) • श्यामपुरा–झापदा एवं बिनौरी बालाजी एवं रामगढ़ पचवारा (26.60 किमी.)(लालसोट,रामगढ़ पचवारा) • भांवता बालाजी मन्दिर से पीचूपाडा खुद (20 किमी.) (बसवा, बांदीकुई)	
13.	धौलपुर	• कछियारा–विडार से बसई कारे वाया अंधियारी–गढ़ी जाफर हथवारी खेरिया–सरकंडी डौडे का पुरा, बसई कारे– सविता नगर–नगर घटा (28 किमी.) (राजाखेड़ा) • चांडियान का पुरा से दुवाटी घेर वाया चीलपुरा, रैहना वाली माता– अन्तापुरा– मांगरौल– नकटपुरा– करश देव मन्दिर–इन्छापुरा– हरदयालकापुरा चैंची का पुरा (40 किमी.) (राजाखेड़ा, धौलपुर) • धौलपुर से करनपुर वाया सोने का गुर्जा–सरमथुरा–चन्देलीपुरा–मडरायल (81 किमी.) (धौलपुर, बाडी, सरमथुरा) • धौलपुर से महुआखेड़ा वाया सरानीखेड़ा, बसेड़ी से मासलपुर (34.40 किमी.) (धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी) • नादनपुर मोड से सरमथुरा, सरमथुरा से झिरी (43 किमी.) (बसेड़ी, सरमथुरा)	195 करोड़ 50 लाख रुपये
14.	डूंगरपुर	• आसपुर–डूंगरपुर–सरथूना (61.30 किमी.) (डूंगरपुर, झौथरी, सीमलवाड़ा) • कल्याणपुर से देवसोमनाथ–डूंगरपुर–बिछीवाड़ा (22 किमी.) (डूंगरपुर, बिछीवाड़ा) • सागवाड़ा–गौरेश्वर–दिवडा–सिलोही–गडा जसराजपुर–गलियाकोट–बडगी रोड (30 किमी.) (सागवाड़ा, गलियाकोट, सीमलवाड़ा, चिखली) • गैजी घाटा से चुण्डावाडा वाया रामसागड़ा–नवलश्याम–संचिया–बरोठी–चुण्डावाड़ा (36 किमी.) (बिछीवाड़ा, डूंगरपुर)	172 करोड़ 30 लाख रुपये

		• गलियाकोट मोड़ सागवाड़ा से जोगपुर (11 किमी.) (गलियाकोट, सागवाड़ा)	
15.	हनुमानगढ़	• हनुमानगढ़ टाउन से कालीबंगा वाया फतेहगढ़ (25 किमी.) (हनुमानगढ़/ पीलीबंगा) • देईदास से ऐलनाबाद वाया श्योदानपुरा (12.40 किमी.) (नोहर, टिब्बी) • भादरा से लुदेसर (17.30 किमी.) (भादरा) • संगरिया से मालारामपुरा वाया दीनगढ़ (18.90 किमी.) (संगरिया) • सूरतगढ़–जाखड़ावाली वाया बड़ोपल (30 किमी.) (पीलीबंगा)	103 करोड़ रुपये
16.	जयपुर	• बिचुन मोड़ से बेगस वाया बिचुन–बन्धे के बालाजी–गुढ़ा बैरसल–बोराज (30 किमी.) (दूदू, झोटवाड़ा) • टोंक जिला सीमा से रसीली–मौजमाबाद– बगरू –बेगस–हिंगोनिया–लूनियावास (56 किमी.) (झोटवाड़ा, जोबनेर, रेनवाल) • शाहपुरा से स्टेट हाईवे 37 सी वाया परमानन्द जी–राड़ावास (45 किमी.) (शाहपुरा, गोविन्दगढ़) • रामपुरा खुर्द से सरूंड वाया नीमली–रूपपुरा– बीठलोदा–ढाणी बडियावाली (35.30 किमी.) (कोटपूतली, पावटा) • विराटनगर एन.एच.–248ए से हरियाणा बोर्डर वाया बडनगर–पावटा द्वारिकापुरा–नारेडा–चिमनपुरा (23 किमी.) (विराटनगर, पावटा)	242 करोड़ 13 लाख रुपये
17.	जैसलमेर	• उजला से स्वामी जी की ढाणी वाया बारठ का गांव–पदरोड़ा–बागथल–फुलासर (47 किमी.) (साकंडा, भनियाणा) • पोकरण से झिनझिनयाली सत्तो सड़क वाया सांकडा–भैसंडा– डागंरी– फतेहगढ (33.50 किमी.) (फतेहगढ़)	297 करोड़ 25 लाख रुपये

		• हमीरा भैसंडा–राजमथाई वाया भागु का गांव– बडोडा गांव–रासला (72 किमी.) (जैसलमेर,फतेहगढ़, भणियाणा) • जैसलमेर–सम–धनाना (45 किमी.) (जैसलमेर, सम) • पन्नासर–नई राजमथाई–राजमथाई–बांधेवा–देवपालपुरा से बाड़मेर (38 किमी.) (भणियाणा)	
18.	जालोर	• भीनमाल से सरवाना वाया करडा–सांचौर (55.70 किमी.) (रानीवाड़ा, सांचौर) • बिशनगढ़–भवराणी–भोरडा–घाणा जिला सीमा तक (44 किमी.) (सायला, जालोर, आहोर) • रानीवाड़ा–मेडा–तावीदर से चाटवाड़ा (20 किमी.) (रानीवाड़ा) • कानीवाड़ा–हरजी से जिला सीमा सिरोही (8.80 किमी.) (आहोर) • माधोपुरा–सामुजा–वेडीया–आईपुरा–बावड़ी (16.30 किमी.) (जालोर, आहोर)	140 करोड़ 52 लाख रुपये
19.	झालावाड़	• पुल निर्माण कार्य--छप्पन दरवाजा पिड़ावा (पिड़ावा) • MDR-258 घाटोली से लोधीपुरा–म.प्र.सीमा, MDR-176 पट्टी से लोधीपुरा मय उच्चस्तरीय पुल (41.93 किमी.) (अकलेरा व मनोहरथाना) • पलायथा से सूमर वाया राजगढ़– सांगोद –जोलपा (11.5 किमी.) (खानुपर) • भवानीमण्डी क्षेत्र में शहरी सड़क (2.5 किमी.) (भवानीमंडी) • चौमहला बाईपास (3.5 किमी.) (डग व गंगधार)	130 करोड़ 1 लाख रुपये
20.	झुन्झुनूं	• बागोली से ठीकरिया नेशनल हाईवे 52 तक (10.5 किमी.) (उदयपुरवाटी) • खेतड़ी– बीलवा–नंगली सलेदी सिंह (18 किमी.) (खेतड़ी) • सूरजगढ़–काजड़ा–डुलानिया–लीखवा–बेरी (26 किमी.) (पिलानी, सूरजगढ़)	103 करोड़ रुपये

		• झुन्झुनूं–सोनासर–डाबड़–मण्ड्रेला (27 किमी.) (अलसीसर) • नरसिंहपुरा–अजाड़ी–बुगाला (14 किमी.) (झुंझुनूं)	
21.	जोधपुर	• मण्डलनाथ–कालीबेरी–बडली–झंवर–धवा (38 किमी.) (केरू, धवा) • औसियां से तिंवरी (20 किमी.) (औसियां, तिंवरी) • बोरुन्दा वाया ओस्तरा–भोपालगढ़–बासनी बुद्धा–खारिया खंगार–खवासपुरा–घोड़ावट (54 किमी.) (भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी) • चामू–चाबा (21 किमी.) (सेखाला, चामू) • देणोक से जाम्बा वाया लोहावट (45 किमी.) (आऊ, लोहावट)	226 करोड़ 45 लाख रुपये
22.	करौली	• मासलपुर–नारायणा–सीलौती–सकरघटा–नीमरीपुरा–खानाकी जगर जटनगला (33 किमी.) (मासलपुर, हिण्डौन) • गाधौली मोड–फतेहपुर मोठियापुरा–तेली की पंसेरी–हिण्डौन– गुढ़ाचन्द्रजी – भण्डारेज मोड (62 किमी.) (मासलपुर हिण्डौन टोडाभीम नादौती) • मलारना–हाड़ौती–फतेहपुर–चिगीपुरा–बगीदा–कावटी–सपोटरा–मांगरौल–तुरसगपुरा (33 किमी.) (सपोटरा) • मण्डरायल कस्बे में एसएच–22 चम्बल अप्रोच सड़क (11 किमी.) (मण्डरायल) • गदका की चौकी से भाडारेज वाया परीता–वजीरपुर–सोप–बागौर–लालसर (59 किमी.) (करौली, नादौती)	189 करोड़ रुपये
23.	कोटा	• दरा–कनवास–आजादपुरा (22 किमी.) (सांगोद) • अयाना–विजयपुरा–अरनिया–निमोदा–खेड़ा (15.50 किमी.) (इटावा)	130 करोड़ 21 लाख रुपये

		• कोटा–कैथून–सांगोद–बपावर–छबड़ा–धरनावदा (5.90 किमी.) (लाडपुरा) • ढोटी–बालाजी की थाक–भौरा–सुल्तानपुर–निमोदा उजाड़ (10.50 किमी.) (सांगोद) • अमझार–भटवाड़ा–नयागांव–खेड़ली–चेचट–मदनपुरा –रघुनाथपुरा– कैथूली जैन मंदिर (15 किमी.) (खैराबाद)	
24.	नागौर	• चांवडिया–मांडपुरा–आचीणा–हैसाबा–पांचला सिद्धा से सोयला मार्ग–कुड़छी–माधाणियों की ढाणी से नारवा–कांटिया–खींवसर तक सड़क का निर्माण (80 किमी.) (खींवसर) • एसएच–19 मण्डूकरा से एनएच–458 रताउ वाया आगुन्ता–मामड़ोदा–दूदोली (55.25 किमी.) (डीडवाना) • पालडी पिचकिया–थिरोद–नागौर –रायधनू– सुखवासी –अलाय–श्रीबालाजी– छीला (71 किमी.) (नागौर, मुण्डवा) • एनएच–65 मेगाहाईवे एसएच–7 वाया बल्दू–गेनाना (23 किमी.) (लाडनूं) • एस.एच. 90–कचरास–बरनेल–जायल–कसारी –टांगला –पौधाम वाया डिडिया– लूणसरा (67 किमी.) (जायल, मुण्डवा)	253 करोड़ 30 लाख रुपये
25.	पाली	• नाडोल – सादडी (20.50 किमी.) (देसुरी) • सोजत रोड–बड़ा गुडा–सरूपा (24 किमी.) (सोजत) • बागोल–खिंवाडा–मामावास की प्याऊ (14.50 किमी.) (देसूरी, रानी) • बोया–जवाईबांध वाया पैरवा एवं बलवना (15 किमी.) (बाली, सुमेरपुर) • झाला की चौकी–कलालिया–बगडी–जस्सा खेड़ा (40 किमी.) (रायपुर)	113 करोड़ 50 लाख रुपये
26.	प्रतापगढ़	• प्रतापगढ़–थडा–नीमच (14 किमी.) (प्रतापगढ़) • झल्लारा–धरियावद (20 किमी.) (धरियावद)	91 करोड़ 47 लाख रुपये

		• दलोट–सालमगढ़–घण्टाली–माहीडेम (20 किमी.) (अरनोद, पीपलखूंट, घाटोल) • मंशापूर्ण–गंगेश्वर महादेव से हड़मतीया जागीर –नानामा की भागल– हड़मतीया कुण्डाल जीवनपुरा मोड़–घाटेवाले बालाजी–भंवरमाता–ढावटा मोवाई (39 किमी.) (छोटीसादड़ी, बड़ीसादड़ी) • बांसी–धरियावद (21 किमी.) (धरियावद)	
27.	राजसमन्द	• भीम से कामलीघाट वाया टॉडगढ़–मण्डावर (36.5 किमी.) (भीम) • भीम–बदनोर (15 किमी.) (भीम) • नाथद्वारा– रेलमगरा (14 किमी.) (रेलमगरा) • पछमता से धनेरिया (22 किमी.) (रेलमगरा) • आमेट से कोशिथल (10 किमी.) (आमेट, कुम्भलगढ़)	106 करोड़ 50 लाख रुपये
28.	सवाई माधोपुर	• रावल से गोगोर वाया छारोदा कानसीर दुब्बी खुर्द (15 किमी.) (सवाई माधोपुर) • डिडायच देवली के मध्य बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल (चौथ का बरवाड़ा) • रघुवन्टी से हाड़ौती वाया श्यामोली मय पुलिया (8 किमी.) (मलारना डूंगर) • पीपलदा से बरेड़ी सड़क मय मोरेल नदी पर वेन्टेड कॉजवे का निर्माण (25 किमी.) (बौंली) • मीनापाड़ा से नारायणपुर–टटवाडा–सपोटरा (12 किमी.) (गंगापुर सिटी)	177 करोड़ रुपये
29.	सीकर	• रैवासा धाम से कूदन वाया बाजौर–पिपराली कटराथल–दौलतपुरा–गोठड़ा–भुकरान (30.50 किमी.) (पीपराली, धौद, दांतारामगढ़) • श्रीमाधोपुर से बधाल जिला सीमा तक वाया पटवारी का बास–कोटड़ी धायलान–दादिया रामपुरा (28 किमी.) (खण्डेला)	159 करोड़ 73 लाख रुपये

		• जलेबी चौक –रायपुर जागीर–अजमेरी–सॉवलपुरा तवरान–नीमकाथाना–चकमंढोली एवं रायपुरमोड़–रायपुर पाटन–काचरेडा–हसामपुर (46 किमी.) (अजीतगढ़, नीमकाथाना, पाटन) • डांसरोली–दांता–सुल्यावास–रानोली–उदयपुरा मोड़ (18 किमी.) (दांतारामगढ़, पलसाना) • एनएच–52 से हमीरपुरा–भोजासर बड़ा–डालमास –बठोट (16.25 किमी.) (लक्ष्मणगढ़)	
30.	श्रीगंगानगर	• श्रीकरणपुर–पदमपुर (26.90 किमी.)(श्रीकरणपुर, पदमपुर) • 3 पूली से दूलापूर केरी वाया मोहनपुरा– कोनी–मंदेरा–रेणुका (25.75 किमी.) (गंगानगर) • सिंहागावाली से एनएच–62 वाया अक्कावाली–भादूवाली –कीकर चक–रोटावाली–लाधूवाला चक लूनेवाला (21 किमी.) (श्रीगंगानगर) • श्रीविजयनगर–रायसिंहनगर (17 किमी.) (रायसिंहनगर) • सलेमपुरा–सारा (42.50 किमी.) (श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर)	117 करोड़ 67 लाख रुपये
31.	सिरोही	• बरलूट–वराडा–सियाणा सडक व काकेन्द्रा ग्राम के समीप पुल निर्माण (9.7 किमी.) (सिरोही) • पाडीव–कालन्द्री सड़क व पाडीव ग्राम के समीप पुल निर्माण (13 किमी.) (सिरेाही) • अनादरा–हाथल–नागाणी सड़क व पुल (17 किमी.) (रेवदर) • आबूपर्वत–अम्बाजी वाया आबूरोड सड़क व पुल (29 किमी) (आबूरोड़) • भूजेला–मालेरा वाया भीमाना–वालोरिया (28 किमी.) (पिण्डवाड़ा)	122 करोड़ 75 लाख रुपये
32.	टोंक	• दौलता मोड़ से सन्थली वाया बीसलपुर डेम (27.50 किमी) (देवली)	171 करोड़ रुपये

		• एमडीआर–182 से झिराना वाया बम्बोर–टोंक–हमीरपुर (55.60 किमी.) (उनियारा, टोंक, टोडारायसिंह) • दत्तवास से मालपुरा वाया निवाई–पीपलू (42 किमी.) (निवाई, पीपलू, मालपुरा) • झिराना से जिला सीमा अजमेर वाया बावड़ी –टोडारायसिंह (22.70 किमी.) (टोंक, टोडारायसिंह) • डिग्गी से जस्टाना वाया निवाई (10 किमी.) (निवाई)	
33.	उदयपुर	• कनबई – बलीचा– देमत जिला सीमा तक (24 किमी.) (नयागांव) • परसाद (पराई) से सराडा वाया निम्बोदा (16 किमी.) (सराड़ा) • उण्डावेला से फलासिया सड़क वाया कंथारिया (22.90 किमी.) (झाड़ोल एवं फलासिया) • भीण्डर से बलीचा वाया आकोला (22 किमी.) (भीण्डर एवं लसाड़िया) • सायरा–करदा–बरवाडा (20 किमी.) (सायरा)	117 करोड़ 21 लाख रुपये

II. अन्य प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन कार्य–

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
1.	नारायणपुर रोड से बामनवास रोड तक (बानसूर, अलवर)	15 करोड़ रुपये
2.	गादोज–बहरोड़–माजरी–काठूवास–रामचन्द्रपुरा हरियाणा सीमा तक (12 किमी.) (बहरोड़, अलवर)	12 करोड़ रुपये
3.	खेरली से सायपुर तक (5 किमी.) (कठूमर, अलवर)	4 करोड़ रुपये
4.	दौसा टहला रोड एस.एच. 29–ए से धीरोडा–सीतापुरा–पीपलीवाली ढ़ाणी–दामोदर का बास–बिरकड़ी–बैरवा ढ़ाणी– पीलवा नदी की ओर जिला सीमा तक (12 किमी.) (थानागाजी, अलवर)	8 करोड़ 40 लाख रुपये
5.	नृसिंहपुरा से सांगोडा तक, दडा से कंचनपुरा तक, मूण्डला से शेखापुरा तक (9 किमी.) (अंता, बारां)	6 करोड़ रुपये

6.	सालरखोह, पं.स. छीपाबडौद (छबड़ा, बारां)	1 करोड़ 10 लाख रुपये
7.	सौंथरी से डीग रोड तक डामर रोड (डीग, कुम्हेर, भरतपुर)	1 करोड़ 15 लाख रुपये
8.	ढोकस से नहर पटरी से नहर होते हुए परिक्रमा मार्ग पूछरी वाली व सौंथरी रोड (डीग, कुम्हेर, भरतपुर)	3 करोड़ 90 लाख रुपये
9.	कुम्हेर रोड से बोरई रोड (डीग, कुम्हेर, भरतपुर)	35 लाख रुपये
10.	रारह ताखा रोड से तपसी मंदिर रारह (डीग, कुम्हेर, भरतपुर)	2 करोड़ 80 लाख रुपये
11.	एनएच–79 से चरलिया बाह्मण–कोटडी कलां–शोभावली गांव से जीएसएस होते हुए अहमदनगर–खारा–कानपुरा–कदमाली से एनएच–113 तक (14 किमी) (निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़)	10 करोड़ रुपये
12.	बांगरेड़ा–जलिया–पिपली–सेगवा निमडी देवरा–गादोला–सरवानिया मसानी एमपी सीमा तक (14 किमी.) (निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़)	14 करोड़ रुपये
13.	गडालालसिंह आरा मशीन से साडिया फला से सीएचसी बुचिया बडा तक (7 किमी.) (सागवाड़ा, डूंगरपुर)	4 करोड़ रुपये
14.	बगराना, सुमेल, विजयपुरा ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण (जयपुर)	25 करोड़ रुपये
15.	हैरिटेज नगर निगम जयपुर में (वार्ड नं. 76 से वार्ड नं. 100) में सड़क निर्माण। (जयपुर)	20 करोड़ रुपये
16.	एनएच–अजमेर रोड अखेपुरा मोड़ से मौजमाबाद सड़क (10 किमी.) (दूदू, जयपुर)	20 करोड़ रुपये
17.	एनएच–48 गोवर्धनपुरा से चौलाई तक वाया कांसली होते हुए सड़क निर्माण कार्य–(6.10 किमी) (कोटपूतली, जयपुर)	9 करोड़ 20 लाख रुपये
18.	बैरठ से तडवा (11 किमी.) (जालोर)	4 करोड़ रुपये
19.	बाड़मेर सिणधरी जालोर स्टेट हाइवे पंचायत मुख्यालय से तेजा की बेरी (वाया मदरसा) (06 किमी.) (जालोर)	2 करोड़ 50 लाख रुपये
20.	सांचौर डबाल सरवाना किमी. 73/0 से 95/0 (सांचौर, जालोर)	19 करोड़ रुपये

21.	एनएच–11 से बिरमी–चन्दवा तक (25 किमी.) (मंडावा, झुंझुनूं)	10 करोड़ रुपये
22.	रोहिचा कलां गांव से वाया सियागों की ढाणी होते हुए 5 दुकान धुंधाड़ा रोड़ तक सड़क (लूणी, जोधपुर)	2 करोड़ रुपये
23.	खेड़ा मासलपुर सड़क एम.डी.आर. 256 (करौली)	11 करोड़ रुपये
24.	एसएच–21ए से पालडी कलां वाया बिखरनिया कलां सड़क (16 किमी.) (डेगाना, नागौर)	10 करोड़ रुपये
25.	साण्डिला से स्वामी धोरा–रोहिणा–दोतिणा–सिलारिया –ढेहरी–कसनाऊ तक (24.25 किमी.) (जायल, नागौर)	13 करोड़ रुपये
26.	कुरडायाँ, नागौर से फालका–पाली तक (08 किमी.) (मेड़ता, नागौर)	6 करोड़ रुपये
27.	लाल मादडी पासूनिया निचली ओडन–लम्बाई 11.20 किमी. (नाथद्वारा, राजसमंद)	13 करोड़ 50 लाख रुपये
28.	कुआंगांव से गोठडा तक एवं बागडोली से बंधावल इस्लामपुरा (8 किमी.) (बामनवास, सवाई माधोपुर)	5 करोड़ रुपये
29.	एसएच–11ए, रायपुर से श्रीमहावीरजी, नादौती रोड (एसएच–110) वाया खण्डीप रेंडायल गुर्जर (12.30 किमी) (गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर)	15 करोड़ रुपये
30.	रांवल से कानसीर तक (सवाई माधोपुर)	2 करोड़ रुपये
31.	रांवल से छारोदा तक (सवाई माधोपुर)	1 करोड़ 90 लाख रुपये
32.	खुड से खाटूश्यामजी वाया खिचड़ों की ढाणी, रूपगढ, ठेठ, कांटिया, खोरा, कैलाश (दांतारामगढ़, सीकर)	18 करोड़ रुपये
33.	गाड़ोदा से मंगलूणा (लक्ष्मणगढ़, सीकर)	90 लाख रुपये
34.	काछवा से फिरवासी, जैतपुरा–तिडवा–तुनवा–जागीर नाशनवा (लक्ष्मणगढ़, सीकर)	14 करोड़ रुपये
35.	हसामपुर से अजीतगढ़ वाया लादी का बास हाथीदेह रोड तक (नीमकाथाना, सीकर)	15 करोड़ रुपये
36.	वाण (स्कूल) से सवली, ब्लॉक शिवगंज (04 किमी.) (सिरोही)	1 करोड़ 60 रुपये

37.	मालवीय नगर के वार्ड–143 की सेक्टर रोड एवं पुल निर्माण (जयपुर)	20 करोड़ रुपये
38.	ग्राम राजियासर मीठा, सुजानगढ़ तक पक्की सड़क निर्माण (सुजानगढ़, चूरू)	6 करोड़ रुपये
39.	रामपुरा से पड़ासला खुर्द तक (10 किमी.) (मारवाड़ जंक्शन, पाली)	4 करोड़ रुपये
40.	जीझणी राजागढ डेम से मिश्रोली तक, भवानीमंडी (5 किमी.) (झालावाड़)	10 करोड़ रुपये
41.	खरका से खेरज माता वाया मियार फला (7 किमी.) (उदयपुर)	2 करोड़ 80 लाख रुपये
42.	ईडाणा से फीला सड़क चौड़ाईकरण 6 किमी (उदयपुर)	3 करोड़ 60 लाख रुपये
43.	नेशनल हाईवे 325 के किमी. 40.75 से रा.उ.मा.वि., मालियों का बेरा भीमगोडा तक सड़क बनाने हेतु (सिवाना, बाड़मेर)	1 करोड़ 50 लाख रुपये
44.	बूंदी के हिण्डौली ब्लॉक में सम्पर्क व नवीन सड़कों का कार्य (46 किमी.)	27 करोड़ रुपये
45.	बडोरा से कटावर वाया शेरगढ़ सहित विभिन्न गांवों में 20 किमी. नई सड़कों का निर्माण (शेरगढ़)	15 करोड़ रुपये
46.	NH-11 से रेलवे पुलिया नम्बर 4 तक (2 किमी.) (रतनगढ़)–चूरू	1 करोड़ 28 लाख रुपये
47.	घुस्यारी से पीपला तक वाया फुलवारा (सेवर, भरतपुर)	3 करोड़ रुपये
48.	कालासर से धोलेरा (12 किमी.) (खाजूवाला, बीकानेर)	4 करोड़ 80 लाख रुपये
49.	गोदारों की ढाणी हंसासर से देसलसर वाया खारा–कूदसू–हिंयादेसर (20 किमी.) (नोखा, बीकानेर)	8 करोड़ रुपये
50.	फेफाना से रतनपुरा (नोहर) तक (10 किमी.) (नोहर, हनुमानगढ़)	3 करोड़ 20 लाख रुपये
51.	भिनाय से बिजयनगर सड़क वाया एकलसिंगा शिखरानी सड़क (22 किमी.) (मसूदा, अजमेर)	10 करोड़ 60 लाख रुपये
52.	कलमोदिया–मनोहरथाना वाया हरनावदाशाहजी सड़क (13. 75 किमी) (छबड़ा, बारां)	11 करोड़ रुपये

53.	अछनेरा सड़क से नौह, नौगाया पीपला होते हुए यूपी बॉर्डर तक (12 किमी.) (भरतपुर)	12 करोड़ रुपये
54.	मथुरा रोड से नगला परशुराम तक (सेवर, भरतपुर)	12 करोड़ रुपये
55.	सेवर से नदबई वाया ततामड–मूढौता–कढ़ी–झारौली –चितौकरी–करही–कवई (नदबई, भरतपुर)	12 करोड़ रुपये
56.	भीण्डर रामगढ़ वाया गंगापुर–रायपुर–करेडा (37.20 किमी) (सहाड़ा, भीलवाड़ा)	25 करोड़ रुपये
57.	लालसोट से पपलाज माता रोड चौड़ाईकरण (22 किमी.)	20 करोड़ रुपये
58.	गोगामेड़ी–नेठराना से हरियाणा बोर्डर (15 किमी.) (भादरा, हनुमानगढ़)	12 करोड़ रुपये
59.	गोगामेड़ी से दीपलाना वाया उज्जलवास (15 किमी.) (भादरा, हनुमानगढ़)	12 करोड़ रुपये
60.	बस्सी से तूंगा वाया देवगांव एवं देवगांव से रिंग रोड वाया सांभरिया सांख, बाला की नागल (बस्सी, जयपुर)	15 करोड़ रुपये
61.	एन एच 21 से बांसखोह, लवाण वाया भूडला (बस्सी, जयपुर)	12 करोड़ 50 लाख रुपये
62.	ठिकरिया गुजरान से झापदा कलां दनी तक (09 किमी.) (चाकसू, जयपुर)	8 करोड़ रुपये
63.	नक्की घाटी से नायला (21 किमी.) (जमवारामगढ़, जयपुर)	23 करोड़ रुपये
64.	बीलवाडी से डोडसर वाया खोरालाडखानी, राडावास, धानोता, गोविन्दपुरा, बासड़ी (14.30 किमी.) (शाहपुरा, जयपुर)	12 करोड़ रुपये
65.	बीलवाडी (एनएच–248ए) से डोडसर (एनएच–57) वाया पालड़ी (16.60 किमी) (विराटनगर, जयपुर)	15 करोड़ रुपये
66.	टोंक जिले के टोडारायसिंह ब्लॉक की 12 सड़कें एवं टोंक ब्लॉक की 12 सड़कों (62 किमी.)	25 करोड़ रुपये
67.	ताजपुर से कैलादेवी वाया बालौती–कांचरोछा–सैमरदा–अरथल– धौरेरा–धौरेरी सड़क (25 किमी.) (सपोटरा, करौली)	18 करोड़ रुपये

68.	दौसा (बिगवास मोड) अलूदा–खावा– कालाखोह–घुमाना–गेरोटा–टोडाभीम–गाजीपुर–पलानहेडा–भुसावर सड़क (एमडीआर–63) (13 किमी.) (टोडाभीम, करौली)	12 करोड़ रुपये
69.	रास–लाम्बियां जिला सीमा अजमेर (पुष्कर) वाया कुडकी एन एच 89 तक (20किमी.) (जैतारण, पाली)	15 करोड़ रुपये
70.	जैताणा से कुण्डली (12 किमी.) (धरियावाद, प्रतापगढ़)	12 करोड़ रुपये
71.	कानोड से लसाडीया (13 किमी) (लसाडीया, उदयपुर)	12 करोड़ रुपये
72.	फतेहपुर बागडोदा–बलौद भाखरा–बलौद छोटी–बलौद बडी सड़क (11 किमी.) (फतेहपुर, सीकर)	11 करोड़ रुपये
73.	बाजौर से शहीद मार्ग वाया श्यामापुरा, पिपराली, कटराथल (18 किमी) (सीकर)	12 करोड़ रुपये
74.	आकड़ावास से ग्राम बालेलाव (वाया लाम्बिया) तक (10 किमी.) (मारवाड़ जंक्शन, पाली)	3 करोड़ रुपये
75.	कारोई से टहुका चौराहा (9.50 किमी.) (सहाड़ा, भीलवाड़ा)	8 करोड़ रुपये
76.	कुम्हेर बाबेन रोड से सेह तक (10.20 किमी.) (डीग, कुम्हेर, भरतपुर)	10 करोड़ रुपये
77.	साहवा से नानक टीला गुरूद्वारा (6 किमी.)(चूरू)	4 करोड़ रुपये
78.	पदमपुर–जैतसर रोड से बुड्ढा जोहड़ झील रोड व पेनोरमा को जोड़ने वाली रोड (10 किमी.) (श्रीगंगानगर)	10 करोड़ रुपये
79.	बगड़ तिराहा अलवर से शीथल तक (12 किमी.) (अलवर)	8 करोड़ रुपये
80.	रोजड़ा से बीसाधाम नालपुर तक एवं सीहोड़ में बजरंगधाम से नोपाला तक (8 किमी.) (खेतड़ी, झुंझुनूं)	4 करोड़ रुपये
81.	गोवाड़ी से गायत्री शक्ति पीठ (3 किमी.) (डूंगरपुर)	2 करोड़ रुपये

III. पुल निर्माण कार्य–

क्र.सं.	पुल निर्माण	लागत
1.	गुन्दोलाव झील (किशनगढ़)–अजमेर में पुल का निर्माण	8 करोड़ 6 लाख रुपये
2.	अबापुरा (गामदा) से झरनिया बोरिया, पालसवानी सड़क पर पुल निर्माण (बांसवाड़ा)	14 करोड़ 84 लाख रुपये

3.	धौलपुर में सरमथुरा रोड (बाड़ी) नाले पर 2 पुलिया का निर्माण (धौलपुर)	14 करोड़ रुपये
4.	मालौनीखुर्द में पार्वती नदी पर पुल निर्माण कार्य (सेपऊ, धौलपुर)	14 करोड़ रुपये
5.	सखवारा में पार्वती नदी पर पुल निर्माण कार्य (सेपऊ, धौलपुर)	14 करोड़ रुपये
6.	भूती–रोडला पर पुल निर्माण (आहोर, जालोर)	4 करोड़ 50 लाख रुपये
7.	जोधपुर से फलौदी स्टेट हाईवे 61 पर जम्भेश्वर नगर में स्थित रेलवे फाटक के स्थान पर आरओबी (लोहावट)	70 करोड़ रुपये
8.	भूरी पहाड़ी एवं हाड़ौती के मध्य स्टेट हाईवे–122 पर बनास नदी पर हाई लेवल ब्रिज (7 किमी.) (सपोटरा, करौली)	90 करोड़ रुपये
9.	करमोही नदी पर पुल निर्माण (धरियावद, प्रतापगढ़)	6 करोड़ रुपये
10.	लालावतों की गुढ़ा सड़क झामरी नदी पर पुल निर्माण ग्रा.पं. गुडेल (सलूम्बर, उदयपुर)	8 करोड़ रुपये

94. हमारे द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य करवाये जाने हेतु 2021–22 एवं 2022–23 के बजट में क्रमशः 5 करोड़ रुपये एवं 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। मैं, आमजन व जनप्रतिनिधियों से मिले फीडबैक के आधार पर आगामी वर्ष भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से नॉन–पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाये जाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु **2 हजार करोड़ रुपये** व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, आगामी वर्ष शहरी क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति को और अधिक बेहतर करने की दृष्टि से नगर पालिका में 20 किलोमीटर, नगर परिषद् में 35 किलोमीटर तथा नगर निगम में 50 किलोमीटर सड़क के कार्य करवाये जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग **एक हजार 750 करोड़** रुपये खर्च होंगे।

95. हमारे द्वारा प्रदेश के छोटे से छोटे गांवों को सड़क से जोड़ने की सोच के साथ वर्ष 2019—20 में की गई बजट घोषणा के अंतर्गत 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। इसकी निरन्तरता में—

I. वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 350 से अधिक की आबादी के शेष रहे सभी 526 गांवों को लगभग 710 करोड़ रुपये की लागत से तथा आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले शेष रहे सभी 456 गांवों को लगभग 625 करोड़ रुपये की लागत से डामर सड़कों से जोड़ा जायेगा।

II. माननीय विधायकगण द्वारा वर्ष 2011 के बाद घोषित राजस्व गांवों को जोड़ने की मांग भी की जाती रही है। ऐसे 500 से अधिक आबादी के 123 राजस्व गांवों को लगभग 170 करोड़ रुपये की लागत से डामर सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

96. प्रदेश के 4 हजार किलोमीटर के राजमार्ग (State Highways) जो 2 लेन नहीं हैं, उनमें से प्रथम चरण में एक हजार किलोमीटर लम्बाई के राजमार्गों को एक हजार 200 करोड़ रुपये की लागत से 2 लेन किये जाने की घोषणा पिछले बजट में की गई थी, जिनके कार्य प्रगतिरत हैं। इसी की निरन्तरता में आगामी वर्ष द्वितीय चरण में **एक हजार किलोमीटर लम्बाई** के राजमार्गों को 2 लेन किये जाने के कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इस पर लगभग **एक हजार 250 करोड़ रुपये** का व्यय होगा।

97. गत दो मानसून प्रदेश में अच्छी वर्षा वाले रहे हैं। इससे जहां एक ओर अच्छी खेती हुई है व खुशहाली आयी है, वहीं दूसरी ओर सड़कों का

अत्यधिक नुकसान भी हुआ है। साथ ही, जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी कई स्थानों पर सम्बन्धित संवेदक (Contractor) द्वारा पाइप बिछाने के बाद सड़कों को ठीक नहीं किया गया है। ऐसी ही स्थिति बहुत बार विभिन्न Underground Infrastructure डालते हुए भी देखी जाती है। भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आये, इस हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा Road Restoration का कार्य सम्बन्धित संवेदक के स्थान पर PWD के माध्यम से करवाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल जीवन मिशन के कार्यों से क्षतिग्रस्त सड़कों को Contractor के Risk and Cost के साथ ही वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों (Bridges) के repair के कार्य लगभग **एक हजार 250 करोड़ रुपये** से करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

98. महात्मा गांधी नरेगा योजना से ग्रामीण क्षेत्र में अभूतपूर्व रोजगार सृजन के साथ–साथ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी हुआ है। इस सफल यात्रा के क्रम को बढ़ाते हुए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक ग्राम के गहन आबादी क्षेत्र में **एक किलोमीटर** तक की इंटरलॉकिंग ब्लॉक/टाइल सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में 6 हजार गांवों को सम्मिलित किया जायेगा। इस पर **2 हजार करोड़ रुपये** का व्यय किया जायेगा।

99. प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्रों तक आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से मैं, रोडवेज (RSRTC) के बेड़े में **एक हजार नई बसें** Service Model पर शामिल करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, Private बसों के माध्यम से भी अधिकाधिक सुविधा मिल सके, इस हेतु 2 हजार 500 नए Routes के परमिट दिये जायेंगे।

100. आज शहरी क्षेत्रों में आमजन को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ सड़कों पर छोटे वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने हेतु बसों/मिनी बसों के माध्यम से लोक परिवहन व्यवस्था अति आवश्यक है। इस दृष्टि से जयपुर, जोधपुर, अजमेर व कोटा सहित अन्य बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान में गठित City Transport कम्पनियों को merge करते हुए **Rajasthan City Transport Corporation** बनाने के साथ ही **500 नई बसें/मिनी बसें** Service Model पर लिए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, शहरों में Electric Vehicles को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपये की लागत से 250 Fast EV चार्जिंग स्टेशन लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

101. लोहावट–जोधपुर में **केन्द्रीय बस स्टेण्ड** तथा अरांई (किशनगढ़)–अजमेर व घूमचक्कर चौराहा (श्रीडूंगरगढ़)–बीकानेर में **रोडवेज बस स्टेण्ड** बनाये जायेंगे। साथ ही, सादुलशहर–श्रीगंगानगर में **बस डिपो** खोला जायेगा।

102. प्रदेश के शहरों में आमजन के लिए सुविधा बढ़ाने, यातायात दबाव कम करने, सुनियोजित विकास, सौन्दर्यीकरण एवं सीवरेज हेतु लगभग **एक हजार 800 करोड़ रुपये** की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे, ये कार्य हैं–

I. सुनियोजित विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य–

क्र.सं.	निर्माण कार्यों का विवरण	लागत
1.	जयपुर हैरिटेज नगर निगम क्षेत्र में 30 फुट चौड़ी सड़कों की मरम्मत एवं रिकारपेंटिंग का कार्य	100 करोड़ रुपये
2.	अजमेर में पृथ्वीराज नगर एवं विजयाराजे सिंधिया नगर योजना में पानी वितरण की सुविधा	32 करोड़ रुपये
3.	जोधपुर के अशोक उद्यान में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण	11 करोड़ रुपये
4.	जोधपुर में रातानाड़ा गणेश मंदिर परिसर का सौन्दर्यीकरण कार्य	5 करोड़ रुपये

5.	जोधपुर के मण्डोर गार्डन में विकास कार्य	25 करोड़ रुपये
6.	जोधपुर के पावटा से मंडोर तक गौरव पथ का निर्माण	15 करोड़ रुपये
7.	जोधपुर के कायलाना से केरू की तरफ सड़क की अतिरिक्त लेनिंग	26 करोड़ 50 लाख रुपये
8.	जोधपुर में घोड़ा घाटी से सूरसागर तक वैकल्पिक सड़क का निर्माण	25 करोड़ रुपये
9.	जोधपुर में नवीन डाक बंगला निर्माण	15 करोड़ रुपये
10.	जोधपुर में पाल रोड पर कॉक्स कुटीर से लूणी पंचायत समिति कार्यालय तक फ्लाईओवर का निर्माण	135 करोड़ रुपये
11.	जोधपुर में पाल रोड पर स्थित नहर रोड चौराहा पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य	80 करोड़ रुपये
12.	जोधपुर में पाल रोड पर स्थित अर्बन हाट का पुनरूद्धार एवं विकास कार्य	6 करोड़ रुपये
13.	भरतपुर में गोपाल नगला मोड़ से मथुरा बाईपास तक 200 फीट चौड़ाई में लगभग 13 किलोमीटर बाईपास निर्माण कार्य	300 करोड़ रुपये
14.	माउंट आबू–सिरोही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सौन्दर्यीकरण के विभिन्न कार्य	5 करोड़ 50 लाख रुपये
15.	सवाई माधोपुर में हाउसिंग बोर्ड से जीनापुर को जोड़ने वाली लगभग 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण	5 करोड़ रुपये
16.	उदयपुर शहर में भुवाणा चौराहे से भुवाणा गांव तक ऐलिवेटेड रोड़ का निर्माण	90 करोड़ रुपये
17.	उदयपुर शहर में आयड नदी पर हिरण मगरी सेक्टर 3 से मादडी इण्डस्ट्रियल एरिया को जोड़ने वाले पूर्व निर्मित ब्रिज के स्थान पर 4 लेन ब्रिज का निर्माण	10 करोड़ रुपये
18.	राजस्थान उच्च न्यायालय व सचिवालय, जयपुर के सामने 500 वाहनों हेतु अण्डरग्राउण्ड पार्किंग का निर्माण	50 करोड़ रुपये
19.	चम्बल रिवर फ्रन्ट फेज–द्वितीय के विकास कार्य	350 करोड़ रुपये
20.	राजाखेड़ा–धौलपुर में बाईपास रोड पुलिस चौकी से आगरा चूंगी तक सौन्दर्यीकरण का कार्य	3 करोड़ रुपये
21.	जवाहर नगर–जयपुर में बड़े नाले की मरम्मत एवं कवरिंग का कार्य	5 करोड़ रुपये
22.	सांचौर–जालोर में बोरला तालाब को विकसित करने का कार्य	3 करोड़ रुपये

23.	जयपुर में वर्ल्ड ट्रेड पार्क (WTP) से नन्दपुरी तक जाने वाले गंदे नाले का सौन्दर्यीकरण एवं सुविधाओं का विकास	10 करोड़ रुपये
24.	जोधपुर में रानीसर, पदमसर, गुलाब सागर व फतेह सागर तालाब का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण का कार्य	5 करोड़ रुपये
25.	कुशलबाग मैदान में अंडरग्राउंड पार्किंग–बांसवाड़ा	5 करोड़ रुपये

II. सीवर लाइन एवं ड्रेनेज कार्य–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत
1.	नगर में सीवर लाईन (नगर, भरतपुर)	40 करोड़ रुपये
2.	श्रीडूंगरगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर)	50 करोड़ रुपये
3.	खाजूवाला में सीवर लाईन (खाजूवाला, बीकानेर)	25 करोड़ रुपये
4.	सुजानगढ़ में ड्रेनेज परियोजना (सुजानगढ़, चूरू)	25 करोड़ रुपये
5.	सालासर में सीवरेज (सुजानगढ़, चूरू)	30 करोड़ रुपये
6.	बाड़ी में सीवर लाईन (बाड़ी, धौलपुर)	20 करोड़ रुपये
7.	गन्दे पानी की निकासी हेतु पदमपुर में ड्रेनेज सिस्टम (श्रीगंगानगर)	8 करोड़ रुपये
8.	श्रीगंगानगर में मास्टर ड्रेनेज सिस्टम (श्रीगंगानगर)	33 करोड़ रुपये
9.	बगरू में सीवर लाईन (बगरू, जयपुर)	25 करोड़ रुपये
10.	बस्सी में पानी निकासी हेतु नाला निर्माण (बस्सी, जयपुर)	20 करोड़ रुपये
11.	रामदेवरा में सीवरेज कार्य (पोकरण, जैसलमेर)	25 करोड़ रुपये
12.	मुकुंदगढ में गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम (नवलगढ़, झुंझुनूं)	15 करोड़ रुपये
13.	बिलाड़ा में सीवर लाईन (बिलाड़ा, जोधपुर)	45 करोड़ रुपये
14.	लक्ष्मणगढ़ में सीवरेज लाईन (लक्ष्मणगढ़, सीकर)	45 करोड़ रुपये
15.	श्रीमाधोपुर में सीवरेज लाईन (श्रीमाधोपुर, सीकर)	45 करोड़ रुपये
16.	भीनमाल में सीवरेज कार्य (भीनमाल, जालोर)	50 करोड़ रुपये

103. हमने शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट निस्तारण (waste disposal) के लिए CETP, STP तथा FSTP स्थापित करने का कार्य वृहद् स्तर पर किया है। अब मैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी समुचित सुविधायें देने की दृष्टि से प्रथम चरण में 10 हजार

से अधिक आबादी वाले लगभग 25 गांवों में Shallow Sewer Treatment Plants तथा शेष 75 गांवों में FSTP लगाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 650 करोड़ रुपये व्यय होना सम्भावित है।

104. हम शहरी विकास को नए आयाम तक ले जाने एवं शहरों को 'Smart' बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। वर्तमान में जयपुर शहर की प्रभावी प्लानिंग, प्रबन्धन एवं प्रशासन हेतु '3D City' परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। इसी क्रम में जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर शहरों के लिए GIS आधारित **'3D City' परियोजना** की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 300 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

105. डांग क्षेत्र विकास बोर्ड, मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड व मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली राशि को 25–25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष 40–40 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

पेयजल :

राज्य में जल उपलब्धता की विषम स्थिति एवं दूर–दूर बसी आबादी के कारण परियोजनाओं की लागत (Cost of Service Delivery) अत्यधिक है, फिर भी प्रदेश के लिए जल उपलब्धता के महत्व को देखते हमने जल जीवन मिशन (JJM) के कार्यों को तीव्र गति से (Fast Track) implement किया है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक घर में जल पहुँचाने की दिशा में आज दिनांक तक 32 लाख 50 हजार से अधिक घरों में जल कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 15 लाख घरों में और कनेक्शन दिये जायेंगे। इसी क्रम में आगामी वर्ष 47 लाख 80 हजार घरों में जल कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं।

106. अध्यक्ष महोदय, जैसा सभी को विदित है कि भू–जल स्रोतों की तुलना में सतही स्रोत कहीं अधिक दीर्घकालीन व स्थायी होते हैं। हमारा प्रयास है कि अधिकाधिक भाग को सतही स्रोतों से जल आपूर्ति हो सके। अतः प्रदेश में 3 हजार 133 अतिरिक्त गांवों को सतही जल के माध्यम से Sustained Water Supply उपलब्ध कराने की दृष्टि से अब मैं, लगभग **11 हजार 255 करोड़ रुपये** लागत की 3 वृहद् पेयजल योजनाओं की घोषणा करता हूँ, जो इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	सतही स्रोत आधारित पेयजल परियोजना	लागत
1.	चम्बल नदी आधारित कालीतीर परियोजना–बाड़ी, बसेड़ी–धौलपुर, बयाना–भरतपुर	822 करोड़ रुपये
2.	चम्बल–अलवर–भरतपुर पेयजल परियोजना–अलवर, भरतपुर	5 हजार 776 करोड़ रुपये
3.	चम्बल–सवाई माधोपुर–नादौती परियोजना–सवाई माधोपुर, करौली	4 हजार 657 करोड़ रुपये

107. इसी क्रम में प्रदेश के 13 जिलों यथा–अजमेर, अलवर, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, झालावाड़, भरतपुर, दौसा, जयपुर एवं टोंक के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) जीवनदायिनी साबित होगी, इसीलिए हम अपने वित्तीय संसाधनों से ERCP का कार्य निरन्तर जारी रखेंगे। अभी तक एक हजार 284 करोड़ रुपये व्यय कर नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध के कार्य प्रगतिरत हैं। आगामी वर्ष ERCP Corporation के माध्यम से **13 हजार करोड़ रुपये** के कार्य हाथ में लिये जाने प्रस्तावित हैं।

इन उल्लेखित सतही जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त प्रदेश के 38 हजार 668 गांवों अर्थात् लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण भू–भाग को सतही जल स्रोत से दीर्घकालीन पेयजल आपूर्ति हो सकेगी।

108. ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत एससी/एसटी बाहुल्य एवं डीडीपी ब्लॉक के ग्रामों में In Village Infrastructure की लागत का 5 प्रतिशत एवं शेष ग्रामों में 10 प्रतिशत सामुदायिक योगदान का प्रावधान है।

हमारे प्रदेश की ढाणियों में बसावट तथा विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ होने से योजना की लागत अधिक आती है, जिससे सामुदायिक योगदान की राशि का ग्रामीण परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक भार पड़ रहा है। अतः आमजन को राहत देने के उद्देश्य से ग्रामवासियों द्वारा देय सामुदायिक योगदान की राशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग एक हजार 500 करोड़ रुपये का भार आयेगा।

109. अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य के 183 शहरों/कस्बों में पेयजल वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण यथा—नवीन स्रोत, पम्प हाउस एवं जलाशयों का निर्माण, पाइप लाइनों को बदलने तथा नई पाइप लाइन डालने सम्बन्धी 5 हजार 122 करोड़ रुपये लागत के कार्य हाथ में लिए जायेंगे। इसके तहत 33 लाख से अधिक पेयजल कनेक्शन से एक करोड़ 43 लाख आबादी को पर्याप्त मात्रा में एवं उचित दबाव (proper pressure) से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

110. प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए **लगभग 980 करोड़ रुपये** की लागत से कार्य करवाये जायेंगे, ये कार्य हैं—

क्र.सं.	पेयजल परियोजना	लागत
1.	सोम कमला अम्बा बांध से जल प्रदाय योजना—उदयपुर	676 करोड़ 73 लाख रुपये
2.	भादरा शहरी जल प्रदाय योजना—हनुमानगढ़	95 करोड़ 64 लाख रुपये
3.	मण्डावर शहरी जल प्रदाय योजना—दौसा	21 करोड़ 41 लाख रुपये
4.	गैटोर शहरी जल प्रदाय योजना—जयपुर	37 करोड़ 16 लाख रुपये

5.	जगतपुरा शहरी जल प्रदाय योजना–जयपुर	44 करोड़ 30 लाख रुपये
6.	बाईजी की कोठी–मॉडल टाउन जल प्रदाय योजना–जयपुर	46 करोड़ 37 लाख रुपये
7.	रूपावतों का बेरा में उच्च जलाशय एवं वितरण प्रणाली–जोधपुर	5 करोड़ 96 लाख रुपये
8.	पीपाड़ सिटी शहरी जल प्रदाय योजना–जोधपुर	5 करोड़ 57 लाख रुपये
9.	सांचौर शहरी जल प्रदाय योजना–जालोर	47 करोड़ 96 लाख रुपये

111. मैं, उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु देवास–III एवं IV बांधों का **एक हजार 691 करोड़ रुपये** की लागत से निर्माण करवाये जाने की घोषणा करता हूँ।

112. शहरी क्षेत्रों में High Rise Buildings की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, किन्तु वर्तमान में ऐसी buildings water supply के लिए भूजल (Ground Water) पर ही निर्भर हैं तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) द्वारा इन्हें जल उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है। इससे ना सिर्फ इनमें निवास करने वाले प्रदेशवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बल्कि भूजल का अत्यधिक दोहन भी होता है। अतः अब मैं, ऐसे apartments में निवास करने वाले परिवारों की सुविधा के लिए इन भवनों को भी PHED की योजनाओं से जल उपलब्ध कराना अनुमत करने की घोषणा करता हूँ।

ऊर्जा :

113. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिदृश्य में किसी भी प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारे इस कार्यकाल की शुरूआत में सरकार की उत्पादन कम्पनी की विद्युत उत्पादन क्षमता, जो 6 हजार

600 मेगावाट थी, उसे बढ़ाकर आज लगभग 8 हजार 600 मेगावाट किया जा चुका है। साथ ही, आज हमारा राज्य Renewable Energy के क्षेत्र में 21 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता विकसित कर देश में पहले स्थान पर आ गया है। इसमें से लगभग 14 हजार मेगावाट क्षमता हमारी वर्तमान सरकार के समय commission हुई है।

114. जैसा कि सर्वविदित है वर्तमान में देश/विदेश से कोयला आपूर्ति में समय–समय पर समस्यायें आती रहती हैं। अतः प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध लिग्नाइट (Lignite) के भंडारों को देखते हुए बाड़मेर में **एक हजार 100 मेगावाट** का लिग्नाइट आधारित Power Plant लगभग 7 हजार 700 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित करना प्रस्तावित करता हूँ।

115. Global Warming व Climate Change के दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु आज समस्त विश्व Net Zero Economy की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि राजस्थान के per capita carbon emissions विकसित देशों के मुकाबले नगण्य हैं, परन्तु हमारा प्रदेश अपनी अपार सौर एवं पवन ऊर्जा का समुचित उपयोग करते हुए पूरे देश के Clean Energy Transition की धुरी बन गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष **11 हजार मेगावाट क्षमता** के अक्षय ऊर्जा आधारित (Renewables Based Generation) Plants और लगाये जायेंगे।

116. Renewables Based Supply के साथ–साथ Efficient बिजली प्रबन्धन के लिए Transmission Network, Energy Accounting एवं Demand Side Management पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के केवी सब स्टेशन, विद्युत सर्किल एवं विद्युत कार्यालय बनाये जाने प्रस्तावित हैं–

I. अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु भड़ला–बीकानेर बल्क पावर कॉरिडोर विकसित किया जायेगा, जिसमें प्रथम चरण में 400–400 केवी सब स्टेशन भड़ला व बीकानेर में बनाये जायेंगे। जिन्हें भविष्य में 765 केवी स्तर पर क्रमोन्नत किया जायेगा।

II. कुम्हेर–भरतपुर व राजगढ़–चूरू सहित 220 केवी के 6 सब स्टेशन बनाये जायेंगे। साथ ही, नाथद्वारा–राजसमंद में 132 केवी जीएसएस को 220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नत किया जायेगा।

III. **132 केवी सबस्टेशन–**रलावता (किशनगढ़)–अजमेर, सीसवाली (अंता)–बारां, चितांबा (मांडल)–भीलवाड़ा, चांदरख, शिव नगर (औसियां)–जोधपुर, ढ़िढोरा (हिण्डौन)–करौली, संखवास (खींवसर)–नागौर, अरनोद–प्रतापगढ़, खाजना चौड (खण्डार), पीलवा नदी (मलारना डूंगर)–सवाई माधोपुर तथा कटराथल –सीकर सहित 132 केवी के 15 नए सबस्टेशन बनाये जायेंगे।

IV. **33/11 केवी जीएसएस–**रघुनाथगढ़ (रामगढ़)–**अलवर,** सांकली (अंता), गंदोलिया, महोदरा (किशनगंज), बीलखेड़ा डांग (किशनगंज)–**बारां,** एकल (सेडवा), मण्डापुरा, छतरियों का मोर्चा, बालोतरा (पचपदरा), मतुजा, नींबासर (शिव)–**बाड़मेर,** रामपुरा (बयाना), तलछेरा (नदबई)–**भरतपुर,** भींटा (रायपुर)–**भीलवाड़ा,** मेउसर (डूंगरगढ़), भानसर (खाजूवाला), उड़सर (नोखा)–**बीकानेर,** नाहरसरा, भानीपुरा (सरदारशहर), कालेरान (सुजानगढ़)–**चूरू,** बसवा (बांदीकुई), गुमानपुरा एवं घूमणा (सिकराय)–**दौसा,** डण्डौली, रहसैना (राजाखेड़ा)–**धौलपुर,** बिसरासर, न्योलखी (नोहर)–**हनुमानगढ़,** आकोदिया (चाकसू),

नीमला, श्रीनगर (जमवारामगढ़)–**जयपुर,** तीखी (सायला) –**जालोर,** बडाऊ (खेतड़ी), भोमपुरा–**झुंझुनूं,** सालोड़ी (लूणी) –**जोधपुर,** दुदौली (डीडवाना)–**नागौर,** पण्डावा–**प्रतापगढ़,** मंढोली (नीमकाथाना)–**सीकर,** सनपुर–**सिरोही,** मुडासेल (घाटोल)–**बांसवाड़ा** एवं हाउसिंग बोर्ड (सागवाड़ा)–**डूंगरपुर** में स्थापित किये जायेंगे।

V. जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण एवं अलवर विद्युत सर्किल को विभाजित कर 6 सर्किल बनाये जायेंगे।

VI. कोशीथल (सहाड़ा)–भीलवाड़ा, चिखली–डूंगरपुर, रोजदा (जालसू)–जयपुर, रामजीका गोल (गुडामालानी)–जोधपुर, कुमावास (नवलगढ़)–झुंझुनूं, सूरौठ (हिण्डौन)–करौली, नयागांव (खैरवाड़ा)–उदयपुर, सातड़ा–चूरू व बीरमाना (सूरतगढ़) –श्रीगंगानगर में **सहायक अभियंता (विद्युत)** तथा फतेहपुर–सीकर, जायल व परबतसर–नागौर में **अधिशाषी अभियंता (विद्युत)** के कार्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

117. विद्युत उपभोक्ताओं को सुगमता से सेवायें उपलब्ध कराने के लिए Online Integrated Management System लागू करने के साथ–साथ पांचों विद्युत कम्पनियों के IT संबंधी कार्यों के लिए **विद्युत आईटी कम्पनी** स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, बिजली उत्पादन एवं मांग के सटीक पूर्वानुमान के लिए advanced data analytics आधारित **Integrated Real Time Data and Command Centre** स्थापित किया जायेगा। इसके माध्यम

से Energy Exchange से आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर बिजली खरीदी जा सकेगी। इन पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

वन एवं पर्यावरणः

118. राजस्थान को 'हरित प्रदेश' बनाने की दिशा में **Rajasthan Greening and Rewilding Mission** प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगामी वर्ष–

I. 80 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण करवाया जायेगा।

II. वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए **Tree Outside Forest in Rajasthan (TOFR)** कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे।

III. बाघों (Tigers) को बेहतर इको सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए टाईगर रिजर्व यथा–रणथम्भौर–सवाई माधोपुर, रामगढ़ विषधारी –बूंदी, मुकुन्दरा हिल्स–कोटा, धौलपुर तथा सरिस्का–अलवर एवं आस–पास के क्षेत्रों जैसे बीड़ दौलतपुरा एवं रूंधशाहपुर में कार्य करवाये जायेंगे।

IV. लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए खेतड़ी बाँसियाल, मनसा माता, शाकम्भरी–झुंझुनूं; जयसमंद, केवड़ा की नाल–उदयपुर; शाहबाद–बारां; बीड़ पापड़–जयपुर; बालीसर तथा कुम्भलगढ़, रावली टाटगढ़–राजसमंद में कार्य करवाये जायेंगे।

V. पालीघाट–सवाई माधोपुर में घड़ियालों, खींचन–जोधपुर में कुर्जा व राष्ट्रीय मरू उद्यान में गोडावन संरक्षण सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे।

VI. Grass Land and Wetland Development हेतु 50 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्यों के साथ–साथ विश्व प्रसिद्ध सांभर झील का विकास भी करवाया जाना प्रस्तावित है।

119. प्रदेश में हरियाली एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन्य एवं वन्यजीवों सम्बन्धी गतिविधियों में दीर्घकालीन निवेश हेतु **राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP)** शुरू की जायेगी। इसके अन्तर्गत अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर एवं टोंक जिलों में वृक्षारोपण, ओरण विकास, पौध वितरण, आजीविका संवर्द्धन गतिविधियों सहित अन्य कार्य लगभग **एक हजार 694 करोड़ रुपये** की लागत से करवाये जायेंगे।

120. इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक–एक लव–कुश वाटिका विकसित करने की घोषणा की गई थी। इसको विस्तार देते हुए आगामी वर्ष भी एक–एक **लव–कुश वाटिका** समरिया हरडा–**अजमेर**; मचाड़ी–**अलवर**; मण्डोक महादेव–**बांसवाड़ा**; छबड़ा/छीपाबड़ोद–**बारां**; धोरीमना हिल्ली–**बाड़मेर**; झील का बाड़ा–**भरतपुर**; हमीरगढ़–**भीलवाड़ा**; खाजूवाला/कोलायत–**बीकानेर**; भारदा डेम–**बूंदी**; पिपलीखेड़ा–**चित्तौड़गढ़**; गोपालापुरा (डूंगरबालाजी)–**चूरू**; झाझीरामपुरा कुन्ड–**दौसा**; मदनपुर–**धौलपुर**; घाटामाविता–**डूंगरपुर**; नोहर/भादरा –**हनुमानगढ़**; कुकस–**जयपुर**; लाठी–**जैसलमेर**; कालाघाटा–**जालोर**; झालरापाटन–**झालावाड़**; खेतानाथ बावड़ी–**झुंझुनूं**; मण्डोर–**जोधपुर**; बनीदेवी–**करौली**; मोडक/सांगोद–**कोटा**; कुचामनसिटी–**नागौर**; पालीचक–**पाली**; रणिया मगरी–**प्रतापगढ़**; नाथद्वारा–**राजसमंद**; चौथ का बरवाड़ा–**सवाई**

माधोपुर; लक्ष्मणगढ़—**सीकर**; ओर (आबूरोड)—**सिरोही**; सूरतगढ़—**श्रीगंगानगर**; दूधिया बालाजी—**टोंक** एवं जोरमा—**उदयपुर** में विकसित की जायेगी। इन पर 2—2 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

121. प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण कार्य को प्रभावी बनाये जाने के लिए **पर्यावरण संरक्षण मिशन** की शुरूआत की जायेगी। आगामी वर्ष इसके तहत—

I. जमवारामगढ़—जयपुर में 48 हेक्टेयर क्षेत्र में **Integrated Resource Recovery Park** स्थापित किया जायेगा। इसमें रिसाईकिल वेस्ट को दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाली इकाइयों की स्थापना की जायेगी।

II. CETP Plant की स्थापना एवं उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा देय सहायता की सीमा को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

III. समस्त संभागीय मुख्यालयों के साथ—साथ अलवर, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जायेगी।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

122. हमारे द्वारा राज्य में पर्यटन सुविधाएं विकसित करने, पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय लोगों हेतु रोजगार सृजित कर पर्यटन को उनकी आजीविका से जोड़ने एवं अधिकाधिक देशी—विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ब्राण्डिंग सहित विभिन्न कार्यों हेतु पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया था। साथ ही, मेरे द्वारा पिछले बजट में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पर्यटन को उद्योग के

रूप में पूर्ण मान्यता प्रदान की गई थी, जिसका पर्यटन इकाइयों, Hoteliers, Tour Operators, Travel Agents तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं व युवाओं ने स्वागत किया है। राज्य में पर्यटन को और अधिक ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए अब मैं, **पर्यटन विकास कोष** की राशि को **एक हजार करोड़** से बढ़ाकर **एक हजार 500 करोड़ रुपये** करने की घोषणा करता हूँ।

123. Conferences, Destination Weddings एवं अन्य आयोजनों के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व अजमेर शहर अग्रणी पसंद हैं। इसके दृष्टिगत इन शहरों में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के conventions व exhibitions के लिए **MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) Centres** स्थापित किये जायेंगे। इन पर लगभग 100–100 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

124. राज्य में **Golf Tourism** की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए माउण्ट आबू–सिरोही, जोधपुर तथा उदयपुर सहित 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 125 करोड़ रुपये की लागत से अन्तरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किये जायेंगे।

125. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 176 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे, ये कार्य हैं–

I. विरासत नगरी आमेर–जयपुर को Iconic Destination के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके अंतर्गत कार पार्किंग, ई–वाहनों का संचालन, musical fountain, रोपवे, हेरिटेज वॉकवे, कैम्पिंग साईट्स/रिसोर्टस आदि से सम्बन्धित कार्य करवाये जायेंगे।

II. तीर्थराज पुष्कर–अजमेर और मेला क्षेत्र को अन्तरराष्ट्रीय कैंप सिटी (Camp City) के रूप में विकसित करने हेतु 10 करोड़ रुपये की लागत से DPR बनायी जायेगी।

III. शाकम्भरी–लोहार्गल–झुंझुनूं एवं रणकपुर–परसराम महादेव–भीलबेरी–पाली को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक संभाग में 2–2 Nature Walk Trails, Desert Safari Trails, Trekking Routes, Food Trails को चिन्हित कर अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जायेगा।

IV. Water based पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नेवटा व कानोता बांध–जयपुर, बंध बारेठा–भरतपुर, कायलाना व सूरपुरा बांध–जोधपुर, हेमावास बांध–पाली, कोट बांध (उदयपुरवाटी)–झुंझुनूं आदि को Eco Adventure Tourism Sites के रूप में विकसित किया जायेगा।

V. खेतड़ी की प्राचीन विरासतों–मोती महल, अमर हॉल आदि एवं खेतड़ी हाउस–जयपुर का जीर्णोद्धार करवाया जायेगा। साथ ही, जोधपुर के हैरिटेज स्मारकों, मंदिरों एवं परकोटे आदि का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा।

VI. खासा कोठी–जयपुर का पूर्ण पुनरूद्धार करते हुए 150 करोड़ रुपये की लागत से **Star Hotel cum State Guest House** के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

126. पर्यटन विकास की दृष्टि से प्रदेश में पेनोरमा निर्माण तथा महत्वपूर्ण स्मारकों, मंदिरों के संरक्षण, जीर्णोद्धार कार्य सहित अन्य सुविधायें 140 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जायेंगी, ये हैं–

I. लक्ष्मीनाथ जी, राज रतन बिहारी मंदिर–**बीकानेर;** तेजाजी महाराज सुरसूरा–**अजमेर;** राधा माधव जी (जयपुर मंदिर) वृंदावन, कुशलबिहारी जी, बरसाना–**भरतपुर;** रामचन्द्र जी, सिरहद्योढ़ी बाजार, बड़ी चौपड़–**जयपुर;** श्री डाढ़ देवी मंदिर–**कोटा;** चारभुजा जी (सिंगोली श्याम) (माण्डलगढ़)–**भीलवाड़ा;** मंगलेश्वरजी मातृकुण्डिया–**चित्तौड़गढ़;** गोगाजी (गोगामेड़ी)–**हनुमानगढ़;** बाबाजी राज (मांगरोल)–**बारां;** रामदेवरा (रूणीजा)–**जैसलमेर;** जस नगर व थांवला के शिव मंदिर, तेजाजी महाराज खरनाल–**नागौर,** जलदेवी माताजी सांसेरा (नाथद्वारा)–**राजसमंद** एवं नीमच माता जी मंदिर–**उदयपुर** में भवनों के स्थापत्य के संरक्षण व जीर्णोद्धार के साथ–साथ अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, श्री देवधाम जोधपुरिया (निवाई)–टोंक एवं देवनारायण जन्म स्थली मालासेरी आसीन्द–भीलवाड़ा में विकास कार्य करवाये जायेंगे।

II. प्राचीन छतरियां भाद्राजून व तोपखाना–जालोर; तालाबशाही –धौलपुर; गागरोन किला–झालावाड़; शाहबाद व नाहरगढ़ किला–बारां; किशोरीमहल–भरतपुर तथा मचाडी किला, रानी का कुआं, बराही माता मंदिर–अलवर इत्यादि में संरक्षण व जीर्णोद्धार कार्य करवाये जायेंगे।

III. चावंड–उदयपुर में **महाराणा प्रताप** का, सेतरावा (शेरगढ़)–जोधपुर में **देवराजजी** का, देसुरी–पाली में **बिकाजी सोलंकी** का, शाहपुरा–भीलवाड़ा में **रामस्नेही सम्प्रदाय के संतों** का, जालीपा–बाड़मेर में **संत ईशरदास** का, बूंदी में **बूंदा जी मीणा** का, जयपुर में **स्वतंत्रता सेनानियों** का, डीग–भरतपुर में **महाराजा सूरजमल** का एवं मचाड़ी–अलवर में **राजा हेमू** का **पेनोरमा** बनाया जायेगा। साथ ही, डीग–भरतपुर में संग्रहालय का निर्माण भी किया जायेगा।

127. अन्तरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों, लेखकों एवं साहित्य प्रेमियों द्वारा साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य में **Rajasthan Literature Festival** का आयोजन किया जाना पुनः प्रस्तावित करता हूँ। इस Festival में प्रदेश के साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से **कन्हैया लाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालस एवं विजयदान देथा** इत्यादि के नाम से साहित्य पुरस्कार प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु 25 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

128. राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के फोटोग्राफरों, कलाकर्मियों, शिल्पियों, कलाकारों, बाल कलाकारों, रंगकर्मियों के लिए जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के **जयपुर कला समागम** का Biennial Event के रूप में आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

129. प्रदेश में लोक कला को जीवित रखने के साथ–साथ लोक कलाकारों को सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये राशि का **लोक**

कलाकार कल्याण कोष बनाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत **मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना** लागू करते हुए–

I. लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस राजकीय उत्सवों, सरकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार एवं शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने की घोषणा करता हूँ।

II. लोक कलाकारों को 5 हजार रुपये राशि के उनकी कला से सम्बन्धित यंत्र–उपकरण क्रय करने हेतु एकबारीय सहायता प्रदान की जायेगी।

130. प्रदेश के प्रसिद्ध लक्खी मेलों में सम्मिलित होने वाले यात्रियों को रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों के किराये में **छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत** करने की घोषणा करता हूँ। इससे प्रदेश के विभिन्न मेलों यथा–कैलादेवी–करौली, झील का बाड़ा–भरतपुर, श्रीरामदेवरा–जैसलमेर, दरगाह उर्स, पुष्कर–अजमेर, खाटूश्यामजी–सीकर, सालासर बालाजी–चूरू, गोगामेडी–हनुमानगढ़, बेणेश्वरधाम–डूंगरपुर, रणथम्भौर गणेशजी–सवाई माधोपुर, डिग्गी कल्याण जी–टोंक, भर्तृहरि/ पाण्डूपोल–अलवर, बुड्ढ़ा जोहड़ गुरूद्वारा–श्रीगंगानगर एवं फाल्गुन (मुकाम)–बीकानेर हेतु यह छूट मिल सकेगी।

131. प्रदेश में मेलों के महत्व को देखते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से हमने मेला प्राधिकरण का गठन किया है। इसके सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ विभिन्न मेला स्थलों पर सुरक्षा व सुविधा की दृष्टि से आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

132. हमारे द्वारा शुरू की गई **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना** के अंतर्गत इस वर्ष में 20 हजार श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवायी जा रही है। इस योजना के प्रति वृद्धजनों ने अपार उत्साह दिखाया है तथा अभी लगभग एक लाख प्रार्थना पत्र pending हैं। आगामी 2 वर्षों में इन सभी वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा करवाये जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, इस योजना में नये तीर्थ स्थल अयोध्या–उत्तरप्रदेश, सम्मेद शिखर, वैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग–झारखण्ड, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक–महाराष्ट्र एवं श्रवणबेलगोला–कर्नाटक भी शामिल किये जाने प्रस्तावित हैं।

कानून व्यवस्था :

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के परिवेश में देश के साथ–साथ प्रदेश में भी शान्ति, साम्प्रदायिक सौहार्द्र व भाईचारे के माहौल को बनाये रखने के सतत् प्रयासों की अति आवश्यकता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री **पण्डित जवाहर लाल नेहरू** ने कहा था–

"Without peace all other dreams vanish and are reduced to ashes."

अर्थात्–**"शान्ति के बिना हमारे तमाम सपने मिट कर खाक हो जाते हैं।"**

133. राजस्थान सदा से एक शान्तिप्रिय प्रदेश रहा है, किन्तु आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ एक ओर हमें कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सतत् कार्यवाही करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर भविष्य के कर्णधार–बच्चों व युवाओं को संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित मूल्यों से अवगत कराकर उनके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इस क्रम में–

I. मैं, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायत/वार्ड स्तर पर **महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केन्द्र** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 2 हजार 500 केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. प्रदेश में गांधीवादी विचारधारा के साथ ही शांति एवं भाईचारे के संदेश का प्रसार करने की दृष्टि से हमने **'शांति एवं अहिंसा विभाग'** की स्थापना की है। संभवतः राजस्थान ऐसा विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। इसी कड़ी में, सम्पूर्ण प्रदेश में महात्मा गांधी के शांति एवं सद्भाव का संदेश घर–घर तक पहुँचाने के साथ–साथ जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में सहायता के लिए प्रत्येक गांव तथा शहरी वार्ड हेतु 50 हजार स्थानीय युवक–युवतियों को मानदेय पर **'महात्मा गांधी सेवा प्रेरक'** बनाया जाना प्रस्तावित है। इन सेवा प्रेरकों द्वारा ही महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केन्द्रों का संचालन भी किया जायेगा।

134. प्रदेश में शान्ति एवं सद्भाव की भावना के प्रसार के साथ–साथ समाज कंटकों के विरूद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करना भी हमारी प्राथमिकता है। हमारे द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने हेतु उठाये गये proactive कदमों के फलस्वरूप आज, 156(3) CrPC के अन्तर्गत न्यायालयों के माध्यम से दर्ज होने वाले प्रकरणों के साथ ही विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण में लगने वाले औसत समय में भी अत्यधिक कमी आयी है।

135. प्रदेश में कहीं भी अप्रिय घटना घटित होने पर Dial 100/112 व अभय कमाण्ड सेंटर के माध्यम से त्वरित कार्यवाही की जा रही है। इस प्रणाली को बेहतर करने के लिए 30 हजार CCTV कैमरे लगाने का कार्य प्रगतिरत है तथा 500 पुलिस मोबाइल Vans शीघ्र ही deploy की जा रही हैं। इस प्रणाली को और अधिक वृहद तथा मजबूत करने की दृष्टि से आगामी वर्ष—

I. मैं, 500 पुलिस मोबाइल Units (Service Model/ 108 Ambulance की तर्ज पर) और गठित करने की घोषणा करता हूँ।

II. प्रदेश के कोने—कोने में आमजन विशेषकर महिलायें सुरक्षित महसूस कर सकें, इस हेतु CCTV कैमरों की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर **5 लाख** की जायेगी। साथ ही, उप अधीक्षक स्तर तक एक—एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है।

III. अभय कमांड सेंटर के तकनीकी सिस्टम को upgrade करते हुए, प्रदेश के Command Centres की call taking क्षमता बढ़ाने के लिए कुल सीटों को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 125 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

136. प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने, पुलिस प्रणाली के आधुनिकीकरण के साथ—साथ आम जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न पुलिस कार्यालय, थाने, चौकियां तथा न्यायालय खोले जायेंगे—

I. **पुलिस कार्यालय—**

(a) वैर—भरतपुर, परबतसर—नागौर एवं खैरवाड़ा—उदयपुर में **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक**, धौलपुर में अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक (एडीएफ) एवं अरनोद–प्रतापगढ़, तालेड़ा –बूंदी, पहाड़ी (कामां)–भरतपुर, गंगाशहर–बीकानेर, रामसर (शिव)–बाड़मेर, बौंली–सवाई माधोपुर, खण्डेला, अजीतगढ़ (श्रीमाधोपुर)–सीकर में **पुलिस उप अधीक्षक** कार्यालय खोले जायेंगे।

(b) **नवीन पुलिस थाने**–वैशाली नगर, बासदयाल (बानसूर) –अलवर, हदां (श्रीकोलायत), मुक्ता प्रसाद नगर–बीकानेर, राहुवास (लालसोट)–दौसा एवं बोरूंदा (बिलाड़ा)–जोधपुर में नवीन पुलिस थाने खोले जायेंगे। साथ ही डीडवाना–नागौर में महिला पुलिस थाने खोले जायेंगे।

(c) पुलिस चौकी–अंगाई–धौलपुर, मोर–टोंक, सुलताना, बबाई –झुंझुनूं, जनूथर (नगर)–भरतपुर, निम्बी जोधा (लाडनूं), बडू (परबतसर)–नागौर एवं डाबला (नीमकाथाना) –सीकर को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

(d) **नवीन पुलिस चौकियां**–रामगढ़ (मसूदा)–अजमेर, सिलीसेढ़, टिकरी (कठूमर), हरसोली (किशनगढ़बास), घाटा बान्दरोल, गोठड़ा (तिजारा)–अलवर, छोटी सरवा (कुशलगढ़) –बांसवाड़ा, सनावड़ा, लीलसर (चौहटन)–बाड़मेर, सैयदपुरा–भरतपुर, निहालपुरा (सिकराय), आभानेरी (बांदीकुई), कुंडल–दौसा, मालौनीखुर्द–धौलपुर, गडामोरैया, काकरादरा–डूंगरपुर, सोयला, नांदियाखुर्द (औसियां), देवातड़ा (भोपालगढ़), खुड़ियाला (शेरगढ़)– जोधपुर, बड़ी उदेई (गंगापुर सिटी)–सवाई माधोपुर, लुहारवास, होद

(खंडेला)–सीकर, मलारना चौड़–सवाई माधोपुर, उनियारा खुर्द, राणौली (निवाई)–टोंक, सुराणा (सायला)–जालोर सहित मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पुलिस चौकियां खोली जायेंगी। साथ ही, श्री शाकम्भरी माता मंदिर, सांभरलेक –जयपुर में स्थायी पुलिस चौकी खोली जायेगी।

(e) 75 पुलिस चौकियों, 50 पुलिस थानों, 30 पुलिस उप अधीक्षक एवं 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालयों, विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों, आरएसी, विभिन्न बटालियन व जिलों के प्रशासनिक भवनों एवं बैरकों का निर्माण करवाया जायेगा। इसके लिए 75 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

(f) प्रत्येक जिला स्तर पर 24×7 काम करने हेतु विशेष तकनीकी योग्यता रखने वाली Quick Investigation Disposal Teams गठित की जायेंगी।

(g) पुलिस थानों में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से सम्बन्धित कार्य की अधिकता को देखते हुए एक–एक IT कानिस्टेबल उपलब्ध करवाया जायेगा तथा पुलिस तकनीकी संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाये जाने भी प्रस्तावित हैं।

(h) प्रदेश में नशे की समस्या तथा इससे सम्बन्धित अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए Special Task Force (Anti Drugs) की स्थापना करने के साथ ही 9 नवीन Anti Drugs चौकियों की भी स्थापना की जायेगी।

(i) आगामी वर्ष 10 जिलों के वायरलैस को Analogue की जगह Digital आधारित किया जायेगा। इस पर 50 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

(j) साक्ष्यों के त्वरित संग्रहण एवं एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु 100 Mobile Investigation Units संचालित हैं। इन इकाइयों की महती भूमिका को देखते हुए इनके लिए **50 नये वाहन** उपलब्ध कराये जायेंगे।

II. पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से–

(a) पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खेरवाड़ा–उदयपुर को Institute of Jungle and Field Craft के रूप में विकसित किया जायेगा।

(b) सिलोरा (किशनगढ़)–अजमेर में प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जायेगी।

(c) पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर की प्रशिक्षण क्षमता 500 से बढ़ाकर एक हजार की जायेगी।

(d) फायरिंग क्षमता में वृद्धि करने हेतु जयपुर में Indoor Shooting Range स्थापित की जायेगी।

III. **न्यायालय–**

(a) मालाखेड़ा, कठूमर–अलवर, राजाखेड़ा–धौलपुर, टोडाभीम –करौली, भीम–राजसमंद, रायसिंह नगर–श्रीगंगानगर, फागी–जयपुर, खेतड़ी–झुंझुनूं एवं पदमपुर– श्रीगंगानगर में **अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय** खोले जायेंगे। साथ ही,

विराटनगर–जयपुर एवं नावां–नागौर में **अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय** (कैम्प कोर्ट) खोले जायेंगे।

(b) रामगढ़–अलवर, वैर–भरतपुर सीकर, उदयपुर, ब्यावर –अजमेर, मावली–उदयपुर, टोंक, बयाना–भरतपुर, आबू रोड–सिरोही एवं रेलमगरा–राजसमंद में **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय,**

(c) सीकर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बालोतरा–बाड़मेर, बांदीकुई–दौसा में **अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय,**

(d) अराई (किशनगढ़), भिनाय–अजमेर, गोविन्दगढ़–अलवर, श्रीकरणपुर, सादुलशहर–श्रीगंगानगर, नगर–भरतपुर शिव –बाड़मेर एवं पीलवा (परबतसर), खींवसर–नागौर में **सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय,**

(e) जोधपुर में **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय,**

(f) बगरू–जयपुर में **सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय,**

(g) उदयपुर, भीलवाड़ा, दौसा में **विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय,**

(h) जोधपुर में **विशेष महानगर मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय,** तथा

(i) जोधपुर में **विशेष न्यायालय (एनडीपीएस)** खोला जायेगा।

137. साथ ही, बाल एवं यौन अपराधों के पीड़ितों एवं अन्य संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित वातावरण में गवाही की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में **Vulnerable Witness Deposition Centre** की स्थापना की जायेगी।

138. कारागृहों में निरूद्ध बंदियों के जीवनस्तर में सुधार लाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने हेतु–

I. आवश्यकतानुसार कारागृहों में 80–80 बंदी क्षमता की 15 नवीन बैरक बनायी जायेंगी। इस पर 30 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. जिला कारागृहों में पुस्तकालयों की स्थापना की जायेगी।

III. बच्चों की देखभाल हेतु प्रथम चरण में केन्द्रीय कारागृह–जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास–दौसा में क्रेच (Creche) की स्थापना की जायेगी।

IV. राज्य के कारागृहों में सुविधा विस्तार हेतु 6 मिनीबस एवं 10 एम्बुलेंस उपलब्ध करवायी जायेंगी।

139. प्रदेश में वकीलों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष **Bar Council of Rajasthan** को सहायता के रूप में प्रदान करना प्रस्तावित करता हूँ।

सुशासन :

140. संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के पूर्व Secretary General **श्री कोफी अन्नान** ने कहा है–**"Good-governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting**

development." अर्थात् **"सुशासन संभवतः गरीबी उन्मूलन एवं विकास प्रोत्साहन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है।"**

हमारी सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेहिता के आधार पर संवेदनशीलता के साथ राज्य में सुशासन स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया है। हमारी सदैव कोशिश रही है कि जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ (benefits) की पहुंच अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के efficiently एवं timely सुलभ हो सके।

जैसाकि विदित है कि भारत को 21वीं सदी में ले जाते हुए IT क्रान्ति लाने का श्रेय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न राजीव गांधी जी को जाता है। उन्होंने कहा था–

"A responsive administration is tested most at the point of interface between the administration and the people."

अर्थात्–**"एक संवेदनशील प्रशासन की परख सबसे अधिक प्रशासन तथा आमजन के मध्य सम्पर्क बिन्दु पर होती है।"**

इस सम्पर्क बिन्दु अर्थात् सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक harassment से मुक्त कर समयबद्ध रूप से सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021–22 के बजट में हमने 'Digital Verification' आधारित Auto Approval तथा Deemed Approval प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। मुझे सम्मानित सदन को बताते हुए खुशी है कि हम इन प्रणालियों को प्रभावी कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास तथा प्रसूति सहायता जैसी योजनाओं के अंतर्गत आमजन को hassle free सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रणाली को institutionalise करने के

लिए **'Rajasthan Guaranteed Service Delivery and Accountability Bill'** शीघ्र ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा।

141. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि नीति निर्धारण के साथ ही सेवा प्रदायगी में IT का प्रयोग कर सुशासन स्थापित करने में राजस्थान देश में आज Pioneer के रूप में जाना जाता है। नवाचारों के इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए देश में सम्भवतः पहली बार पात्र व्यक्ति/परिवारों को **बिना आवेदन किये ही घर बैठे** auto benefits व सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जन आधार data base का उपयोग करते हुए Information Technology, Artificial Intelligence व Machine Learning आधारित **Real Time Auto Service Delivery System–SWATAH (स्वतः)** लागू किये जाने की घोषणा करता हूँ। इस प्रणाली की विशेषता है कि इसके माध्यम से विभिन्न सेवाएं **स्वतः** उपलब्ध हो जायेंगी, जैसे–जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही **स्वतः** जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र जारी हो जाना, NFSA पात्रता व आयु के आधार पर **स्वतः** सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत होना तथा जन आधार व शालादर्पण के आधार पर छात्रवृत्ति/पालनहार **स्वतः** उपलब्ध होना।

142. IT के बढ़ते उपयोग से सुशासन तो स्थापित हुआ ही है, लेकिन साथ ही cyber security एवं data security सम्बन्धी चुनौतियां भी सामने आयी हैं। इनके प्रभावी निस्तारण के लिए–

I. IT हेतु आवंटित किए जाने वाले बजट का 5 प्रतिशत भाग cyber security के लिए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। हमारा यह निर्णय देश में ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

II. सरकारी Land Records, Health Records, e-Coupons में भी किसी प्रकार के manipulations की रोकथाम के लिए इन रिकाड्र्स को Block Chain Technology द्वारा सुरक्षित संधारित किया जायेगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

III. जयपुर में **Rajiv Gandhi Centre for IT Development and e-Governance** स्थापित किया जायेगा। इस पर 150 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

143. आमजन को पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं सुलभ कराने के साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि कार्यालय प्रक्रियाओं की जटिलताओं को भी सरल किया जाये। हमने सचिवालय सहित प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में e-office प्रणाली लागू कर दी है। इसी कड़ी में, विभागों/PSUs/ बोर्ड/निगम कार्यालयों में process re-engineering करते हुए files पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से मोबाइल मेसेजिंग, डाटा एनालिटिक्स, प्रोसैस ऑटोमेशन, Artificial Intelligence आदि नवीनतम तकनीक आधारित **RajKaj 2.0** विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

144. सुशासन हेतु यह भी आवश्यक है कि हमारा नीति निर्माण evidence based हो, उसमें behavioural science का उपयोग किया जाये तथा सरकारी योजनाओं का concurrent evaluation हो, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में real time में ही सुधार किया जा सके। इसके लिए Integrated Data Analytics System–**'PARAM'** विकसित किया जायेगा। साथ ही, समस्त Data के storage हेतु **Centralised Data Lake** बनाया जायेगा। इन पर 85 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

145. शहरी नियोजन, Forest Survillence, आपदा प्रबन्धन, कृषि, पर्यटन, खान एवं भूविज्ञान आदि विभागों में ड्रोन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 450 करोड़ रुपये की लागत से **2 हजार ड्रोन मय पायलट** उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

146. युवाओं को Block Chain, Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics एवं Virtual Reality आदि Advanced तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा Certificate Courses व Multi Discipilinary Research कराने के लिए **Rajiv Gandhi Centre of Advance Technology (R-CAT)** जयपुर में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही, जोधपुर में **Rajiv Gandhi Fintech Digital University cum Institute** के तत्वावधान में इसके अस्थायी कैम्पस में भी R-CAT के courses प्रारम्भ किये जा चुके हैं। इनके उपयोग एवं लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर RCAT केन्द्र खोले जायेंगे। इस हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये जाना प्रस्तावित है।

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण :

147. हमारे कई जिले ऐसे हैं, जहाँ जिला मुख्यालय की दूरस्थ कोने से दूरी 100 किलोमीटर से भी अधिक है और इस कारण आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस क्रम में मुझे माननीय सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से समय–समय पर नये जिले बनाने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त होते रहे हैं। ऐसे मांग पत्रों के साथ–साथ गुणावगुण के आधार पर आवश्यकता का आंकलन कर नये जिलों के लिए अभिशंषा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

148. प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के और विस्तार हेतु विभिन्न कार्यालय यथा—उप तहसील, तहसील, उपखण्ड, नगर पालिका आदि खोले व क्रमोन्नत किये जायेंगे, ये हैं—

I. रावतभाटा—चित्तौड़गढ़, भीनमाल—जालोर, सीकर (सिटी) एवं मालपुरा—टोंक में **अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय** खोले जायेंगे।

II. रींगस—सीकर, माधोराजपुरा (चाकसू)—जयपुर एवं टपूकड़ा (तिजारा)—अलवर में नवीन उपखण्ड कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित हैं।

III. अलीगढ़—टोंक में नवीन तहसील कार्यालय खोला जायेगा।

IV. राजलदेसर—चूरू, मांढण (बहरोड़), प्रतापगढ़ (थानागाजी)—अलवर, रूदावल (बयाना), जुरहरा (कामां)—भरतपुर, हदा (कोलायत)—बीकानेर, बाटाडू (बायतु)—बाड़मेर, भांडारेज—दौसा, जालसू—जयपुर, पिलानी—झुंझुनूं एवं रायथल—बूंदी उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. बघेरा (केकड़ी)—अजमेर, डूंगरा छोटा (कुशलगढ़)—बांसवाड़ा, हरसानी (शिव)—बाड़मेर, ददरेवा (तारानगर)—चूरू, बसई (बाड़ी), नादनपुर (बसेड़ी)—धौलपुर, नारंगदेसर—हनुमानगढ़, रेनवाल मांजी (चाकसू), चंदवाजी (चौमूं)—जयपुर, गीजगढ़ (सिकराय)—दौसा, बबाई (खेतड़ी)—झुंझुनूं, कैलादेवी—करौली, लूणवा (नावां), दीनदारपुरा (लाडनूं)—नागौर, कल्याणपुर (खैरवाड़ा)—उदयपुर एवं रिडमलसर (पदमपुर)—श्रीगंगानगर में उप तहसील खोली जायेंगी।

VI. राज्य में 40 नवगठित नगरीय निकायों में 200 करोड़ रुपये की लागत से निकाय भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।

VII. राजस्व मण्डल, कलक्टर कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय तथा तहसीलों के निर्माण, मरम्मत तथा आमजन से सम्बन्धित सुविधाओं के कार्य 125 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

VIII. जिला प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 250 नये वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे।

IX. **नवीन नगर पालिका–**रैणी (राजगढ़–लक्ष्मणगढ़), मुण्डावर, मालाखेड़ा–अलवर, रायपुर (सहाड़ा)–भीलवाड़ा, हिण्डौली–बूंदी, बसवा (बांदीकुई), रामगढ़ पचवारा (लालसोट)–दौसा, दूदू–जयपुर, आहोर–जालोर, शेरगढ़, बाप–जोधपुर, रामदेवरा–जैसलमेर, मंडरायल (सपोटरा)–करौली, भीम–राजसमंद, खैरवाड़ा–उदयपुर, सुकेत–कोटा एवं सिंघाणा (बुहाणा)–झुंझुनूं को नगर पालिका बनाया जायेगा। साथ ही, नावां–नागौर व शाहपुरा–जयपुर की नगर पालिका को उच्चतर श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा।

X. नगर पालिका चौमूं–जयपुर एवं फतेहपुर–सीकर को नगर परिषद् में एवं अलवर नगर परिषद् को नगर निगम में क्रमोन्नत किया जायेगा।

XI. सूचना के अधिकार (RTI) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जोधपुर में सूचना आयोग की बैंच स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

XII. सावर (केकड़ी)–अजमेर, भिवाड़ी (तिजारा)–अलवर, कल्याणपुर (पचपदरा)–बाड़मेर व निवाई–टोंक में **सहायक अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)** तथा नारायणपुर (बानसूर)–अलवर,

बांदीकुई–दौसा, जमवारामगढ़–जयपुर व नाथद्वारा–राजसमंद में **अधिशाषी अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)** के कार्यालय खोले जायेंगे।

XIII. नारायणपुर (बानसूर)–अलवर, तारानगर–चूरू, बसेड़ी–धौलपुर, फागी (दूदू)–जयपुर व मण्डरायल (सपोटरा)–करौली में **अधिशाषी अभियंता (सार्वजनिक निर्माण विभाग)** के कार्यालय खोले जायेंगे।

XIV. खेतड़ी–झुंझुनूं में **सहायक खनिज अभियंता** कार्यालय खोला जायेगा।

149. सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं आयोजनों हेतु सुरपुरा (उदयपुरवाटी)–झुंझुनूं एवं किशनपोल–जयपुर में सामुदायिक भवन बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

150. पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों हेतु सीकर में **सैनिक सदन एवं महिला कौशल विकास केन्द्र** का निर्माण तथा जोधपुर में 75 करोड़ रुपये की लागत से **मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक एवं म्यूजियम** निर्मित किया जायेगा। साथ ही, देवगढ़ (भीम)–राजसमंद में सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जायेगा।

कार्मिक कल्याण :

151. हमारी सरकार सुशासन में सरकारी कार्मिकों की भूमिका को और सुदृढ़ करने के लिए उनके कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही है। इसी कारण मैंने प्रदेश में पुनः पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का निर्णय किया। अभी भी कुछ बोर्ड/निगम/स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों को OPS का लाभ देय नहीं है। अब मैं, प्रदेश की इन **सभी सरकारी संस्थाओं यथा–विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत वितरण**

निगम, रीको, RTDC, RSMML, विश्वविद्यालय एवं अकादमियों आदि में भी OPS लागू करने की घोषणा करता हूँ। इससे एक लाख से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे।

152. साथ ही, कार्मिकों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान अर्हक सेवा (Qualifying Service) की अवधि को 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करना प्रस्तावित करता हूँ।

153. हमारे द्वारा कार्मिकों एवं पेंशनर्स की कैशलेस चिकित्सा के लिए लागू की गई Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) देश की सर्वाधिक सुविधा वाली कार्मिक चिकित्सा योजना है। इसके अंतर्गत पेंशनर्स को देय सुविधा को और बढ़ाने की दृष्टि से OPD हेतु निर्धारित 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की सीमा को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष करना प्रस्तावित करता हूँ।

154. सरकारी सेवाओं में पद रिक्त रहने से आम जनता के कार्यों का समय पर निष्पादन नहीं हो पाता है, इसलिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के समस्त पदों को भरने के लिए हमारी सरकार निरन्तर प्रयासरत है। इसी क्रम में पदोन्नति के समस्त पदों को भरने के लिए पदोन्नति हेतु वांछित सेवा अवधि तथा निचले पद पर अनुभव पूर्ण करने की अवधि में **2 वर्ष छूट** दिए जाने की घोषणा करता हूँ।

155. कार्मिकों के एक ही पद पर stagnation की समस्या को देखते हुए प्रदेश में 25 जनवरी, 1992 से 'Selection Grade' समयबद्ध रूप से देने की व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत 9—18—27 वर्षों पर Promotional Post का Pay Scale दिये जाने का प्रावधान था। छठे वेतन आयोग (6th Pay

Commission) की अभिशंषा के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा ACP (Assured Career Progression) को संशोधित कर लागू किया, जिसके अंतर्गत 10–20–30 वर्षों पर एक आगे की Pay Scale देने का प्रावधान किया गया। इसी तर्ज पर राज्य में 1 जनवरी, 2006 से 6th Pay Commission को लागू करते समय Selection Scale के स्थान पर ACP की व्यवस्था लागू की गई। इसके अंतर्गत कार्मिकों को 9–18–27 तथा State Services को 10–20–30 वर्षों पर एक Higher Pay Scale दिये जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार Selection Grade से ACP में परिवर्तन से कार्मिकों के लाभ में कमी आ गई तथा कई कार्मिक द्वितीय तथा तृतीय पदोन्नति के समकक्ष वेतनमान तक अपने सेवाकाल के अंत तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। कार्मिकों की समस्या एवं लम्बे समय से चली आ रही उनकी माँग को देखते हुए अब मैं, ACP में पुनः संशोधन करते हुए State Service सहित सभी कार्मिकों को, 1992 में स्वीकृत की गई Selection Grade की तर्ज पर, **ACP के अंतर्गत** 9–18–27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय **पदोन्नति वाले Pay Scale** दिये जाने की घोषणा करता हूँ।

156. कार्मिकों की पदोन्नति के समय, वर्ष 2017 में लाये गये संशोधन के कारण एक increment देते हुए निर्धारित Pay Cell में और यदि ऐसी Cell उपलब्ध ना हो तो आगे की Cell में Fixation किया जाता है। ऐसे में Same Cell होने की स्थिति में मात्र एक ही increment का लाभ मिल पाता है। अब मैं, ऐसी स्थिति में भी आगे वाली Cell में Fixation करने हेतु नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही, कर्मचारियों को increments का समुचित

लाभ देने की दृष्टि से भविष्य में increment के लिए दो तिथियों–1 जनवरी एवं 1 जुलाई का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है।

157. कर्मचारियों/अधिकारियों को वर्तमान में देय Special Allowance एवं Special Pay में **'वेतन विसंगति परीक्षण समिति'** की अभिशंषा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

158. हमने पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को भी सीधे ही 'Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022' के अंतर्गत लिए जाने का प्रावधान कर इनके स्थायी (Permanent) होने का मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही, इन्हें इस प्रक्रिया का लाभ दिलाने के लिए आयु में भी छूट दी गई है। अब मैं, अन्य सेवाओं से IAS में चयन के समय पूर्व में की गई सेवा का लाभ दिये जाने की तर्ज पर इन संविदा कर्मियों को भी नवीन संविदा नियमों (Contractual Service Rules) में आने से **पहले की सेवा का लाभ** दिये जाने की घोषणा करता हूँ।

159. साथ ही, Placement Agencies के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करने हेतु ठेके पर संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए REXCO की तर्ज पर सरकारी **Rajasthan Logistical Services Delivery Corporation (RLSDC)** के गठन की घोषणा करता हूँ। 1 जनवरी, 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कम्पनी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाकर बिना किसी कटौती के पूर्ण wages प्राप्त हो सकेंगे।

160. Part Time कार्यरत मानदेय कर्मियों यथा–आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को भी उचित संरक्षण देते हुए Post Retirement आर्थिक support की व्यवस्था करने की दृष्टि से **Rajasthan Part Time Contractual Hiring Rules** बनाये जाना प्रस्तावित करता हूँ। इन नियमों के अंतर्गत रिटायरमेंट के समय ऐसे मानदेय कार्मिकों को **2–3 लाख रुपये** का **रिटायरमेंट सहायता पैकेज** दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग **2 लाख** कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही, आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा–आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, माँ–बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड्स तथा REXCO कर्मियों आदि के मानदेय में **15 प्रतिशत** की वृद्धि प्रस्तावित है।

161. Work Charged कर्मचारियों के संवर्ग को dying cadre घोषित करने के कारण इन्हें वर्ष 1995 के पश्चात् कोई पदोन्नति नहीं मिल पायी तथा ये जिस पद पर नियुक्त हुए उसी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं, ऐसे **Work Charged कर्मचारियों** के हित को ध्यान में रखते हुए इन्हें **विभागीय सेवा नियमों** की परिधि में लाते हुए इनकी **पदोन्नति के पद** भी सृजित करने की घोषणा करता हूँ। इससे एक लाख से अधिक सेवानिवृत्त एवं सेवारत कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही, कुछ अन्य नियमित संवर्गों में भी Isolated Posts होने के कारण पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पाते हैं, अतः ऐसे संवर्गों हेतु भी Promotional Posts का सृजन किया जाना भी प्रस्तावित है।

162. **नगरीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं** के जनप्रतिनिधियों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिये जा रहे अमूल्य योगदान

को दृष्टिगत रखते हुए मैं, इनके मानदेय/भत्तों में आगामी वर्ष **15 प्रतिशत वृद्धि** की घोषणा करता हूँ।

163. आज के समय में Print एवं Electronic Media के साथ–साथ Social Media का महत्व भी तेजी से बढ़ा है। अधिकतर Social Media Journalists एवं Influencers युवा वर्ग से हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने, सुविधायें देने व अधिस्वीकृत करने की दृष्टि से 150 करोड़ रुपये की लागत से मैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय **जय नारायण व्यास** के नाम पर जयपुर में **JNV Media Centre and Hub** बनाने की घोषणा करता हूँ। इस Hub में DIPR का मुख्यालय स्थापित होने के साथ–साथ युवा Journalists को पात्रतानुसार निःशुल्क Plug and Play Co-Working Space की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही, आगामी वर्ष समस्त अधिस्वीकृत पत्रकारों को Laptops/Tablets उपलब्ध करवाये जाना प्रस्तावित करता हूँ।

164. हमारे द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं से जहाँ आमजन के जीवन में खुशहाली व समृद्धि आयी है, वहीं दूसरी ओर उनकी अपेक्षाओं में भी वृद्धि हुई है। इस कारण मुझे माननीय विधायकगण तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से सड़कों/विभिन्न आधारभूत संरचना के कार्यों तथा चिकित्सा/ शिक्षा/प्रशासनिक इकाइयों के सम्बन्ध में अत्यधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्ताव जनहित में महत्वपूर्ण हैं, किन्तु सभी का बजट में उल्लेख किया जाना सम्भव नहीं होता। मैं, माननीय सदस्यगण को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इन प्रस्तावित कार्यों का सम्बन्धित विभागों से परीक्षण करवाकर सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जायेगा।

165. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खुशहाली एवं चहुँमुखी समावेशी विकास के लक्ष्य को पाने के लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूँगा तथा इसी क्रम में स्वतंत्रता सेनानी **भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी** की यह पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा—

"मैं सोच भी बदलता हूँ,
नजरिया भी बदलता हूँ... ।
मिले ना मंजिल मुझे,
तो मैं पाने का जरिया भी बदलता हूँ... ।
बदलता नहीं अगर कुछ,
तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ... ।
उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ।।"

कृषि बजट :

माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब मैं, आपकी अनुमति से वर्ष 2023–24 का कृषि बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राज्य के चहुँमुखी विकास के लिए युवा एवं किसान महत्वपूर्ण धुरी हैं। वर्ष 2022–23 के लिए प्रस्तुत बजट के अन्तर्गत मेरे द्वारा प्रदेश का पहला कृषि बजट पेश किया गया, जिसे आमजन, किसान भाइयों, पशुपालकों एवं दूध उत्पादकों से अभूतपूर्व सराहना मिली।

हमारी नीतियों एवं कृषि के प्रति focussed approach के कारण कृषि क्षेत्र में 2017–18 से 2021–22 की अवधि में Gross State Value Added (GSVA) में प्रतिवर्ष 13.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किसान साथियों के अथक प्रयासों तथा हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से हरित क्रान्ति के अगुआ **डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन** का यह कथन अब चरितार्थ हो रहा है–

"Agriculture can trigger job led economic growth, provided it becomes intellectually satisfying and economically rewarding ." अर्थात् **"कृषि, रोजगार आधारित आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकती है, बशर्ते यह बौद्धिक रूप से संतोषजनक और आर्थिक रूप से फायदेमंद हो।"**

166. प्रदेश में कृषक कल्याण, कृषि उत्पादन, संवर्द्धन एवं निर्यात सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृषक कल्याण कोष के अन्तर्गत पिछले वर्ष हमारे द्वारा प्रारम्भ किये गये कृषि मिशनों के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं। कृषि एवं किसान भाइयों हेतु संचालित योजनाओं को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से कृषक कल्याण कोष की राशि को **5 हजार करोड़**

रुपये से बढ़ाकर **7 हजार 500 करोड़ रुपये** करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, हमारे द्वारा शुरू किये गये 11 मिशनों को निरन्तर जारी रखते हुए प्रदेश के युवाओं का खेती से जुड़ाव करने व अपने परिवार का जीवन खुशहाल बनाने के साथ–साथ प्रदेश की उत्पादकता वृद्धि के Change Agent बनने का अवसर देने की दृष्टि से, आगामी वर्ष 12वें मिशन के रूप में **'राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्द्धन मिशन'** प्रारम्भ करना प्रस्तावित करता हूँ।

Mission-1 : राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन

(Rajasthan Micro Irrigation Mission)

किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई हेतु डिग्गी, फार्म पौण्ड, सिंचाई पाइप लाईन आदि कार्यों की अत्यधिक मांग को देखते हुए इस मिशन के अंतर्गत–

I. आगामी 2 वर्षों में फार्म पौण्ड के निर्माण के लिए 30 हजार के लक्ष्य को बढ़ाकर 50 हजार किसानों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आयेगा।

II. साथ ही, SC/ST के गैर लघु–सीमान्त कृषकों को भी लघु सीमान्त कृषकों के समान 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

III. किसानों पर लागत का भार कम करने के लिए प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड हेतु अनुदान सीमा को 90 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 105 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

IV. सिंचाई पाइप लाईन के निर्धारित लक्ष्यों में वृद्धि करते हुए आगामी 2 वर्षों में 40 हजार कृषकों को 16 हजार किलोमीटर पाइप लाईन हेतु अनुदान दिया जायेगा।

V. आगामी 3 वर्षों में अजमेर, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर व सीकर के 24 over exploited भूजल ब्लॉक्स के लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सम्पूर्ण रूप से सूक्ष्म सिंचाई (Drip and Sprinkler) के तहत सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, आदिवासी क्षेत्र–बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व उदयपुर जिले के कलस्टर को सौर ऊर्जा आधारित Community Lift Irrigation Projects में शामिल किया जायेगा। इससे 85 हजार किसान लाभान्वित होंगे। इन पर 275 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

Mission-2 : राजस्थान जैविक खेती मिशन

(Rajasthan Organic Farming Mission) :

जैविक खेती करने वाले कृषकों की व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से '**राजस्थान जैविक खेती मिशन**' के अंतर्गत –

I. जैविक उत्पादों की marketing व certification को efficiently एवं timely सम्पादित करने के लिए **'Organic Commodity Board'** का सुदृढ़ीकरण करते हुए जिला स्तरीय Certification Units एवं Testing Labs की स्थापना की जायेगी।

II. 50 हजार कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5 हजार रुपये की Input Subsidy दी जायेगी।

III. जयपुर एवं जोधपुर में **100 करोड़ रुपये** की लागत से **Organic Products Mart** स्थापित किये जाने की घोषणा करता हूँ।

Mission-3 : राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन

(Rajasthan Seed Production and Distribution Mission) :

बीज उत्पादन बढ़ाने तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु चलाये गये **राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन** के आशातीत परिणामों को देखते हुए आगामी वर्ष–

I. 23 लाख लघु/सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज के मिनीकिट **निःशुल्क** उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर लगभग 130 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसके अंतर्गत–

   (a) 11 लाख कृषकों को संकर मक्का के,

   (b) 7 लाख कृषकों को सरसों,

   (c) 3 लाख कृषकों को मूंग,

   (d) 1–1 लाख कृषकों को मोठ तथा तिल बीज के मिनीकिट उपलब्ध करवाये जायेंगे।

II. प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास (बहुवर्षीय चारा फसल) के exhibitions लगाये जायेंगे। इस पर 23 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

Mission-4 : राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन

(Rajasthan Millets Promotion Mission) :

वर्ष 2023 को अन्तरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में मिलेट्स की खेती व इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आगामी वर्ष–

I. 8 लाख लघु व सीमांत कृषकों को 16 करोड़ रुपये व्यय कर संकर बाजरा बीज मिनिकिट्स का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

II. बाजरा, ज्वार व अन्य मिलेट्स का घरेलू उपभोग बढ़ाने के लिए मिड–डे–मील, इंदिरा रसोई व ICDS की योजनाओं में प्रायोगिक रूप से सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

Mission-5 : राजस्थान संरक्षित खेती मिशन

(Rajasthan Protected Cultivation Mission) :

संरक्षित खेती (Protected Cultivation) हेतु उपलब्ध आधुनिक तकनीक की अत्यधिक मांग को देखते हुए **'राजस्थान संरक्षित खेती मिशन'** के अंतर्गत–

I. आगामी 2 वर्षों में 60 हजार किसानों को ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लो टनल/प्लास्टिक मल्चिंग के लिए लगभग **एक हजार करोड़ रुपये** का अनुदान दिया जायेगा।

II. अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों के साथ–साथ प्रदेश के समस्त लघु/सीमान्त कृषकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी।

Mission-6 : राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन

(Rajasthan Horticulture Development Mission) :

फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों, फूलों, बीजीय मसालों एवं औषधीय फसलों के उत्पादन हेतु **'राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन'** के अन्तर्गत–

I. आगामी वर्ष प्रथम बार **20 लाख कृषकों को सब्जियों के बीज किट** उपलब्ध कराना प्रस्तावित करता हूँ।

II. राज्य में अंजीर की खेती की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए इसकी उन्नत किस्म विकसित करने व किसानों को पौध उपलब्ध करवाने के लिए सिरोही में **अंजीर का Centre of Excellence** स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, सवाई माधोपुर में **अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केन्द्र** खोला जायेगा।

Mission-7 : राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन

(Rajasthan Crop Protection Mission) :

नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए हमारे द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही तारबंदी हेतु देय सहायता से किसानों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है तथा इसकी बहुत अधिक मांग क्षेत्र से प्राप्त हो रही है। इसे देखते हुए–

I. आगामी दो वर्षों में समस्त लम्बित प्रार्थनापत्रों को निस्तारित करने की दृष्टि से मैं, आगामी वर्ष **एक लाख** कृषकों को तारबंदी पर अनुदान दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

II. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषकों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी हेतु न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर की जायेगी।

III. तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

IV. वर्तमान में प्रचलित केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में किसान भाइयों ने कई समस्याओं से अवगत करवाया है। इन सबका कृषि विशेषज्ञों की समिति से परीक्षण कराकर केन्द्र सरकार को आवश्यक अभिशंषा प्रेषित की जानी प्रस्तावित है।

Mission-8 : राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन

(Rajasthan Land Fertility Mission) :

इस मिशन के अंतर्गत उर्वरक उत्पादन व भूमि उर्वरता बढ़ाने तथा लवणीय (Saline) व क्षारीय (Alkaline) भूमि में सुधार हेतु–

I. उर्वरक उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने एवं इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, राज्य सरकार के उपक्रम Rajasthan State Mines and Minerals Limited (RSMML) के माध्यम से SSP तथा DAP बनाने के 500–500 Tonnes Per Day (TPD) क्षमता के Plants स्थापित करने की मैं, घोषणा करता हूँ। इन पर लगभग 150 करोड़ रुपये लागत आयेगी।

II. 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टेयर की अनुदानित दर पर Nano Urea का ड्रोन से छिड़काव किया जायेगा।

III. आगामी वर्ष 50 हजार किसानों को जिप्सम के प्रयोग से भूमि सुधार हेतु 25 करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी।

IV. हरी खाद (Green Manure) उत्पादन हेतु 5 लाख किसानों को ढैंचा बीज के मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 40 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

Mission-9 : राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन

(Rajasthan Agricultural Labourers Empowerment Mission) :

कृषि कार्यों में लगे हुए भूमिहीन श्रमिकों हेतु शुरू किये गये **'राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन'** के अंतर्गत आगामी वर्ष–

I. 2 लाख से बढ़ाकर **5 लाख भूमिहीन श्रमिकों** को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए **5 हजार रुपये प्रति परिवार** अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। इस पर 250 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. एक लाख कृषि श्रमिकों को Skill and Capacity Building हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

Mission-10 : राजस्थान कृषि तकनीक मिशन

(Rajasthan Agri-Tech Mission) :

कृषि यंत्रीकरण (Farm Mechanization) के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ किसानों एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने हेतु–

I. आगामी वर्ष एक लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 250 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. आगामी वर्ष 50 हजार पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर हस्त/पावर चलित चाफ कटर यंत्र उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस हेतु 35 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

III. Custom Hiring Centres पर उपलब्ध कराये जा रहे ड्रोन के अतिरिक्त कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को **एक हजार ड्रोन** उपलब्ध करवाने हेतु 4–4 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु 40 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

Mission-11 : राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन

(Rajasthan Food Processing Mission) :

कृषि जिन्सों के मूल्य संवर्द्धन व निर्यात प्रोत्साहन हेतु–

I. 'Rajasthan Agro-Processing, Agri-Business and Agri-Export Promotion Policy, 2019' के अंतर्गत कृषि उत्पाद प्रसंस्करण (Processing) के लिए कृषकों को Eligible Capital Cost का 50 प्रतिशत एवं गैर कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान देय है। मैं, इस **Capital Subsidy को बढ़ाकर** कृषकों एवं गैर कृषकों हेतु क्रमशः **75 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत** करने तथा अनुदान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर एक करोड़ 50 लाख रुपये तक करने की घोषणा करता हूँ।

II. मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु आगामी वर्ष भरतपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, धौलपुर सहित अन्य जिलों के 10 हजार किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। इस पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही, टोंक में Centre of Excellence for Apiculture स्थापित किया जायेगा।

III. जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, धौलपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद जिलों में मिनी फूड पार्क

व रोहड़ा–दौसा में फूड पार्क तथा बीकानेर में एग्रो पार्क स्थापित किये जायेंगे।

Mission-12 : राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्द्धन मिशन (Rajasthan Young Farmer Skill and Capacity Enhancement Mission) :

कोरोना काल में हमने देखा कि आजीविका एवं रोजगार पर अत्यधिक संकट आने के बावजूद भी हमारी कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा महात्मा गांधी नरेगा ने आर्थिक संबल प्रदान किया। देश में 'श्वेत क्रान्ति' के प्रणेता पद्म विभूषण से सम्मानित **Dr. Verghese Kurien** ने कहा है–

"India's place in Sun would come from the partnership between wisdom of its rural people and skill of its professionals."

अर्थात् **"देश के विकास की बुलन्दियों को छूना ग्रामीणों के ज्ञान तथा professionals के कौशल की भागीदारी से ही सम्भव है।"**

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर युवाओं का रूझान बढ़े, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए मैं, आगामी वर्ष प्रस्तावित नए **12वें मिशन–'राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्द्धन मिशन'** के अंतर्गत–

I. 11वीं व 12वीं, UG/PG तथा पीएचडी में कृषि विषय के साथ अध्ययनरत छात्राओं को देय प्रोत्साहन राशि 5 हजार, 12 हजार व 15 हजार रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 15 हजार, 25 हजार तथा 40 हजार रुपये प्रतिवर्ष किये जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 50 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. कृषि यंत्रों, उपकरणों, सौर ऊर्जा संयंत्रों (Solar Pump Sets), सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों (Micro Irrigation Systems) आदि के परिचालन, रखरखाव एवं मरम्मत हेतु एक लाख युवा किसानों को आवासीय प्रशिक्षण व kit प्रदान कर employable बनाया जायेगा। इस पर 40 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

III. आगामी वर्ष, 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजरायल सहित अन्य देशों के साथ ही 5 हजार युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में कृषि एवं पशुपालन की नवीनतम तकनीक के अध्ययन व प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।

IV. आगामी वर्ष, **एक हजार** कृषि स्नातक युवाओं को संविदा नियमों के तहत **कृषक मित्र** के रूप में नियुक्त करते हुए **'Mobile Agri Clinics'** की स्थापना करना प्रस्तावित करता हूँ। किसानों द्वारा कृषक साथी Call Centre अथवा मोबाइल ऐप पर अपनी समस्या बताने पर Agri Clinic के माध्यम से उनका समाधान किया जायेगा। इस पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

V. कृषि एवं पशुपालन का परस्पर सम्बन्ध होने के कारण कृषि महाविद्यालयों में पशुपालन से सम्बन्धित वैकल्पिक विषय लिए जाने की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

VI. पशुपालन सम्बन्धी उच्च शिक्षा के ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से जोबनेर–जयपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नवीन **पशुपालन विश्वविद्यालय (Veterinary University)** स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, सीकर व बस्सी–जयपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जायेंगे।

VII. माचाड़ी (रैणी)–अलवर, रावतभाटा (बेगूं)–चित्तौड़गढ़, तारानगर –चूरू, दौसा, धौलपुर, मौजमाबाद (दूदू)–जयपुर एवं हिण्डौन–करौली में कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर के अंतर्गत दुर्गापुरा–जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

VIII. नोखा–बीकानेर एवं नवलगढ़–झुंझुनूं में सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय खोले जायेंगे।

किसानों के लिए बिजली :

167. किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो सके, इस हेतु जहाँ हमने एक ओर कृषि ऊर्जा पर सब्सिडी लगातार बढ़ाते हुए बिजली की दरों को **90 पैसे प्रति यूनिट** पर ही रखा, वहीं अन्नदाता किसान भाइयों को अतिरिक्त राहत देते हुए **मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना** में एक हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता भी दी। इस प्रकार लगभग 20 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय कर 15 लाख 78 हजार किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं को आगे भी जारी रखने के साथ ही अब मैं, आगामी वर्ष से **2 हजार यूनिट प्रतिमाह** तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को **निःशुल्क बिजली** उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ।

168. खेती के लिए पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए 22 फरवरी, 2022 तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शनों को 2 वर्षों में जारी करने की घोषणा की थी। बकाया विद्युत कनेक्शनों के साथ ही नये प्रार्थनापत्रों को शामिल करते हुए इस वर्ष मार्च, 2023 तक लगभग एक लाख 15 हजार विद्युत कनेक्शन

दे दिये जायेंगे तथा आगामी वर्ष एक लाख 50 हजार उपभोक्ताओं को कनेक्शन देना प्रस्तावित है।

कृषि ऋण :

169. किसान साथियों विशेषकर लघु/सीमान्त कृषक, Landless Labourers तथा Weaker Sections के किसानों को परिस्थितिवश परेशानी का सामना करने पर स्थायी समाधान के रूप में ऋण भार में राहत देने व ऐसी स्थिति में किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए **'Rajasthan Farmers Debt Relief Act'** लाये जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को Debt Relief Commission का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

170. हमारे द्वारा शुरू की गई ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2022—23 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 20 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये गये हैं। वर्ष 2023—24 में इसे बढ़ाकर 22 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण वितरण करना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत 5 लाख नये कृषक भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु **एक हजार करोड़ रुपये** ब्याज अनुदान पर व्यय किये जायेंगे।

171. साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में Non-Farming Sector जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई—बुनाई, रंगाई—छपाई एवं दुकान इत्यादि हेतु एक लाख 50 हजार परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से **3 हजार करोड़ रुपये** के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 150 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) दिया जायेगा।

172. प्रदेश के सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से वितरित होने वाले दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों के साथ ही आगामी वर्ष से अपने खेत पर आवास बनाने वाले कृषकों को भी आवास ऋण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान देना प्रस्तावित करता हूँ। इस पर लगभग 50 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

सिंचाई विकास :

173. सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषकों के उत्थान हेतु गत बजट में मैंने 14 हजार 860 करोड़ रुपये की लागत से Rajasthan Irrigation Restructure Programme प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। इसमें अब तक लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं तथा शेष पर कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण की जा रही है। आगामी वर्ष इस कार्यक्रम में लगभग **3 हजार 600 करोड़ रुपये** की लागत के और कार्य लिये जाने प्रस्तावित हैं–

I. प्रदेश के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग **एक हजार करोड़ रुपये** की लागत से विभिन्न परियोजनाओं के कार्य करवाये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	परियोजनायें/कार्य	लागत
1.	राजसमंद बांध में जल उपलब्धता अभिवृद्धि हेतु खारी फीडर की क्षमता संवर्द्धन का कार्य–राजसमंद	80 करोड़ रुपये
2.	अनास नदी पर सांग डूंगरी एनिकट का निर्माण–बांसवाड़ा	80 करोड़ रुपये
3.	अनास नदी पर थापड़ा एनिकट लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण–बांसवाड़ा	135 करोड़ रुपये
4.	टीडिया देव से एम.एस.टी. का निर्माण–बांसवाड़ा	20 करोड़ रुपये

5.	छोटी सरवन में दानपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना –बांसवाड़ा	125 करोड़ रुपये
6.	कसारवाड़ी क्षेत्र में अनास नदी पर एनिकट निर्माण व सिंचाई सुविधा के कार्य–बांसवाड़ा	50 करोड़ रुपये
7.	कागदी पिकअप वियर के डाउन स्ट्रिप एस्केप चैनल की क्षमता वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य–बांसवाड़ा	50 करोड़ रुपये
8.	गागरिन सिंचाई परियोजना में आवश्यक सिंचाई सुविधा के कार्य–झालावाड़	35 करोड़ रुपये
9.	देवद कराडिया में एम.एस.टी. का निर्माण–प्रतापगढ़	65 करोड़ रुपये
10.	अटरू शहर को बाढ़ से बचाने हेतु बुधसागर तालाब डायवर्जन चैनल का कार्य–बारां	30 करोड़ रुपये
11.	कवाई तालाब के सुदृढ़ीकरण, विकास तथा अधिशेष जल के उपयोग हेतु एस्केप चैनल निर्माण–बारां	11 करोड़ रुपये
12.	राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में फव्वारा पद्धति के विकास कार्य–झालावाड़	38 करोड़ रुपये
13.	अलनियां मध्यम सिंचाई परियोजना की शेष रही कच्ची नहर की लाईनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य–कोटा	30 करोड़ रुपये
14.	राजगढ़–पुरा गांव में एनिकट एवं कॉजवे का निर्माण–झालावाड़	19 करोड़ रुपये
15.	राजगढ़ गांव में कन्ठाली नदी से होने वाले कटाव को रोकने का कार्य–झालावाड़	16 करोड़ रुपये
16.	आहोर एवं जालोर में जवाई नदी पर 10 सब सरफेस बेरियर के निर्माण–जालोर	25 करोड़ रुपये
17.	एनिकट रतनपुरा (आनन्दपुरी) बांसवाड़ा में फव्वारा सिंचाई (बागीदौरा, बांसवाड़ा)	20 करोड़ रुपये
18.	परवन लिफ्ट (तुलसा) परियोजना के माइनरों का जीर्णोद्धार (अंता, बारां)	30 करोड़ रुपये

19.	माण्डपुर लिफ्ट परियोजना के एनिकट से सोलर आधारित फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा (अंता, बारां)	9 करोड़ रुपये
20.	अंबामाता बांध से एलएमसी नहर का निर्माण (धरियावद, प्रतापगढ़)	5 करोड़ रुपये
21.	बड़ी मानसरोवर बांध एवं भावलिया बांध के अधिशेष जल से क्रमशः 600 व 150 हेक्टेयर अतिरिक्त कमाण्ड क्षेत्र में सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण (चित्तौड़गढ़)	17 करोड़ रुपये
22.	Repair, Restoration and Renovation of Water Bodies (RRR कार्यक्रम के अन्तर्गत) के जीर्णोद्धार कार्य	125 करोड़ रुपये

II. नर्मदा परियोजना की मुख्य नहर वितरिकाओं, माइनरों एवं डिग्गियों के जीर्णोद्धार कार्य 75 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

III. माही वृहद सिंचाई परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में 550 करोड़ रुपये की लागत से खालों को पक्का करने के कार्य करवाये जायेंगे।

IV. उदयपुर जिले में डाया बांध में जल आवक बढ़ाने हेतु टीडी नदी पर 200 करोड़ रुपये की लागत से जावर एनिकट का निर्माण करवाया जायेगा।

V. बारां जिले में पार्वती मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण के कार्य 250 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

VI. कोटा, बूंदी एवं बारां की विभिन्न नहरों, वितरिकाओं एवं माईनरों में शेष रही लगभग 485 किलोमीटर लम्बाई में पक्की लाईनिंग एवं खेत सुधार हेतु 435 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

VII. भाखड़ा सिंचाई परियोजना में श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में पक्का खाला निर्माण से शेष रहे एक लाख 32 हजार हेक्टेयर

कमाण्ड क्षेत्र में 463 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण करवाया जायेगा।

VIII. बूंदी जिले में मेज नदी पर लाखेरी के पास गांव उतराना, माल की झोपड़िया, चुमावली, बुढेल एवं अन्य गांवों; कोटा जिले में ब्रिजलिया; बारां जिले में ग्राम कैथूडी, मोहम्मदपुर इत्यादि तथा झालावाड़ जिले में घूघवा में 82 करोड़ रुपये की लागत से माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के कार्य करवाये जायेंगे।

IX. राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 34 किलोमीटर लम्बाई में रिलाइनिंग तथा राजस्थान फीडर व सरहिन्द फीडर के जीर्णोद्धार/अपग्रेडेशन के कार्य 500 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

X. माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने के साथ माही बांध एवं नर्मदा नहर की संयुक्त परियोजना का सर्वे करवाकर पश्चिमी राजस्थान कैनाल परियोजना की डीपीआर बनायी जायेगी।

174. **इंदिरा गांधी नहर परियोजना** में लगभग **एक हजार 450 करोड़ रुपये** की लागत से जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी अन्य कार्य करवाये जाना प्रस्तावित करता हूँ। प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं–

I. मुख्य नहर से निकलने वाली शाखाओं–अनूपगढ़ ब्रांच, सूरतगढ़ ब्रांच, रावतसर ब्रांच एवं पूगल ब्रांच तथा इनकी वितरिकाओं /माइनरों एवं मुख्य नहर की आर.डी. 0 से आर.डी. 620 से निकलने वाली सीधी वितरिकाओं के जीर्णोद्धार के कार्य 733 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

II. मुख्य नहर की आर.डी. 200 से आर.डी. 620 तक की 65 किलोमीटर बेड लाईनिंग के कार्य 200 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

III. नहर परियोजना की 22 हजार 831 हेक्टेयर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाया जायेगा। जिस पर 292 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

IV. चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के तारानगर क्षेत्र में शेष रहे 16 हजार हेक्टेयर में 100 करोड़ रुपये की लागत से स्प्रिंकलर (Sprinkler) सिंचाई सुविधा विकसित की जायेगी।

V. कंवरसेन लिफ्ट प्रणाली की वैद्य मघाराम वितरिका के 25 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कार्य करवाये जायेंगे।

VI. इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 1254 से 1458.5 के मध्य से निकलने वाली सीधी नहरों एवं वितरिकाओं में 40 करोड़ रुपये की लागत से सुधार कार्य करवाये जायेंगे।

VII. सागरमल गोपा शाखा की मुख्य नहर मय स्ट्रक्चर्स में 50 करोड़ रुपये की लागत से सुधार कार्य करवाये जायेंगे।

VIII. जैसलमेर क्षेत्र की नहरों से silt निकालने का कार्य किया जायेगा।

कृषि भण्डारण एवं विपणन :

175. सहकारी संस्थाओं की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए–

I. सरदारशहर, सादुलपुर–चूरू, डेगाना–नागौर, छोटीसादड़ी–प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, बागीदौरा–डूंगरपुर, कोटपूतली–जयपुर एवं मथानिया–जोधपुर सहित 20 क्रय–विक्रय सहकारी समितियों में 500–500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया

जायेगा। साथ ही, 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जायेगा।

II. 10 हजार किसानों को कम लागत की प्याज भण्डारण संरचनाओं के निर्माण के लिए 80 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

176. खाजूवाला–बीकानेर में **कपास मण्डी,** अरांई–अजमेर, चौरासी –डूंगरपुर, धोद–सीकर, बाटोदा (बामनवास)–सवाई माधोपुर में **कृषि उपज मण्डी**, गिरजासर (कोलायत)–बीकानेर मांढण (बहरोड़)–अलवर में **गौण मण्डी** तथा खेमू की ढाणी (चिड़ावा)–झुंझुनूं में **फल–सब्जी गौण मण्डी** बनायी जायेगी। साथ ही, खिवाड़ा (मारवाड़ जंक्शन)–पाली में **गौण मण्डी को कृषि मण्डी** में क्रमोन्नत किया जायेगा।

संस्थागत विकास एवं सुदृढ़ीकरण :

177. किसानों एवं काश्तकारों की सुविधा हेतु समस्त 11 हजार 307 पंचायत मुख्यालयों पर पटवार मुख्यालय की भी स्थापना करने की दृष्टि से **एक हजार 35** नये पटवार मण्डलों का सृजन किये जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, भवन रहित 4 हजार 395 पटवार मण्डलों के भवन दो वर्षों में लगभग 880 करोड़ रुपये की लागत से बनवाये जायेंगे।

178. महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान हेतु प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करने हेतु अंशदान को माफ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों की अंशदान की 3 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।

179. कृषि आदान (Agriculture Inputs) की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की कृषि मण्डियों में सहकारी संस्थाओं को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।

180. किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बैंकिंग व अन्य सुविधायें के साथ–साथ डेयरी से सम्बन्धित सुविधाओं को भी पारदर्शी तथा त्वरित रूप से उपलब्ध करवाने लिए प्रदेश के सभी **7 हजार 282 पैक्स** (प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति) तथा समस्त **17 हजार 500 से अधिक** दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का आगामी दो वर्षों में computerization किया जायेगा।

181. भूमि एवं अन्य राजस्व सम्बन्धी मामलों का त्वरित व समयबद्ध निस्तारण कर किसान भाइयों को राहत देने की दृष्टि से–

I. मैं, विक्रय, हक त्याग एवं उपहार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री होते ही स्वतः नामांतकरण (Mutation) दर्ज होकर जमाबंदी को अपडेट करने का प्रावधान किये जाने की घोषणा करता हूँ।

II. इसके साथ ही, अन्य मामलों जैसे विरासत आदि के नामांतकरणों (Mutations) के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया को पेपरलैस किया जायेगा।

III. किसानों द्वारा Mobile App के माध्यम से स्वयं ऑनलाईन गिरदावरी किये जाने की प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। इस हेतु 12 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

IV. सीमाज्ञान एवं नामांतकरण (Mutation) के आवेदन, निस्तारण तथा मॉनिटरिंग को ऑनलाइन किया जायेगा।

V. राजस्व न्यायालयों में ई–फाईलिंग, ई–समन और VC के माध्यम से हियरिंग की व्यवस्था लागू की जायेगी। इस पर 25 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

VI. राजस्व तथा पंचायतीराज विभागों से सम्बन्धित सभी कार्यों को Online कर पेपरलैस करने के लिए सभी पंचायतीराज संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी जनप्रतिनिधियों एवं राजस्व कार्मिकों यथा—जिला प्रमुखगण, प्रधानगण, सरपंचगण, उपखण्ड अधिकारी (SDO), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी को **टेबलेट** दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

डेयरी एवं पशुपालन :

182. प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ—साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में भी पशुपालन का अत्यधिक महत्त्व है। किन्तु इस वर्ष, जैसा की माननीय सदस्यगण को विदित है, देश के कई राज्यों के साथ ही राजस्थान में भी पशुपालकों को लम्पी (Lumpy) रोग के प्रकोप का सामना करना पड़ा। यह अत्यन्त दुःख का विषय है कि इससे हजारों गोवंश की मृत्यु हो गयी। Lumpy Disease के प्रकोप को Covid की भांति ही आपदा घोषित कर पशुपालकों को राहत देने के हमारे आग्रह को केन्द्र सरकार द्वारा नहीं माना गया। ऐसे में भी प्रदेश के पशुपालकों को सम्बल देने के लिए मैं, उनके दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर **प्रति गाय 40 हजार रुपये** की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करता हूँ।

183. वर्तमान केन्द्रीय पशु बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 50 हजार पशुओं के बीमा की सीमा होने के कारण दुधारू पशुओं की असामयिक मृत्यु पर पशुपालकों को कोई सहायता नहीं मिल पाती है। इसके दृष्टिगत अब मैं, आगामी वर्ष से प्रदेश के सभी पशुपालकों के लिए **Universal Coverage** करते हुए प्रत्येक परिवार हेतु **2—2 दुधारू पशुओं का 40 हजार रुपये प्रति पशु बीमा** करने

के लिए **मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना** लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु 750 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय किया जायेगा तथा इससे **20 लाख से अधिक पशुपालक** लाभान्वित होंगे।

184. **पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना** के अन्तर्गत वर्तमान में 138 दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं। अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए समस्त प्रकार के Tests तथा FMD, ब्रुसेला (Brucella) एवं PPR इत्यादि **टीकाकरण** भी **निःशुल्क** करवाना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही, सरकारी पशु चिकित्सा संस्थानों पर लाये जाने वाले पशुओं के सम्बन्ध में लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

185. मैं, पशुपालकों को door step पर पशुओं हेतु विभिन्न सुविधायें यथा–टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं को नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान आदि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से **पशु मित्र योजना** प्रारंभ करना प्रस्तावित करता हूँ। इस हेतु 5 हजार युवा पशुधन सहायकों/पशु चिकित्सकों को मानदेय पर रखा जायेगा। इस पर 20 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

186. पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से–

I. आगामी वर्ष 25 लाख पशुपालकों को एक–एक पशु के लिए **Sex Sorted Semen** से Artificial Insemination कराने हेतु 50 प्रतिशत, 500 रुपये की सीमा तक अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु 125 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

II. Sex Sorted Semen के उत्पादन के लिए बस्सी–जयपुर में लैब स्थापित कर expert partners के माध्यम से संचालन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 30 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

187. प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु पशु चिकित्सा उप केन्द्र, पशु चिकित्सालय, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोले एवं क्रमोन्नत किये जाने के साथ–साथ ही अन्य सुविधायें विकसित की जायेंगी, जो इस प्रकार हैं–

I. **पशु चिकित्सा उप केन्द्र–**माधोपुर (बेगूं)–चित्तौड़गढ़, साडासर (सरदारशहर)–चूरू, रायकरणपुरा (कोटपूतली)–जयपुर, केरपुरा (कुचामन)–नागौर, रूलाना (दांतारामगढ़)–सीकर सहित नव गठित एक हजार 200 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जायेंगे। इस पर लगभग 22 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. **पशु चिकित्सा उप केन्द्र से पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत–**मुकाम (नोखा)–बीकानेर, जैतासर (सरदारशहर)–चूरू, नांगलपण्डितपुरा (कोटपूतली), जवानपुरा (विराटनगर)–जयपुर, बेरु (लूणी)–जोधपुर, मण्डावरा (कुचामन सिटी)–नागौर, भटेवर (वल्लभनगर) एवं वाना (भीण्डर)–उदयपुर सहित 100 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। इस हेतु 125 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

III. **पशु चिकित्सालय से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत–**कादेड़ा (केकड़ी)–अजमेर, मांढण–अलवर, बडियालकलां (बैजुपाड़ा), पापडदा (सिकराय)–दौसा, चौरू (फागी), नायला (जमवारामगढ़), कुचौर आथुणी (श्रीडूंगरगढ़), झिझिनियाली (फतेहगढ़), म्यांजलार (सम)–जैसलमेर, केतु मदा

(सेखाला)–जोधपुर, रायथल–बूंदी, झाड़ेली (जायल)–नागौर, कोटडी लुहारवास, ठिकरिया (खण्डेला)–सीकर, पालडी एम–सिरोही को **प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय** में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, कोटा में नवीन प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय खोला जायेगा।

IV. **प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय**–कालवाड़–जयपुर, हिण्डौन –करौली, देवगढ़ (भीम)–राजसमंद एवं लक्ष्मणगढ़, धोद–सीकर को **बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत** किया जायेगा।

V. राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, जयपुर के भवन निर्माण, आधुनिक उपकरण आदि पर लगभग 10 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

VI. 600 नवसृजित पशु चिकित्सा संस्थाओं में आधारभूत सुविधायें विकसित की जायेंगी।

VII. दवाइयों की गुणवत्ता कायम रखने के दृष्टिगत 6 हजार पशु चिकित्सा संस्थाओं में कोल्ड चेन सुविधा एवं विद्युतीकरण आदि पर 90 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

VIII. रामसर–अजमेर, अलवर, भरतपुर, सीकर एवं नागौर में पशुपालक प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जायेंगे।

IX. सरकारी पशु चिकित्सालयों में उपकरण, मशीन, एम्बुलेंस, दवाइयों एवं निर्माण कार्यों हेतु 25 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

188. प्रदेश के अधिक से अधिक गांवों को सहकारी डेयरी से जोड़ने, रोजगार के अवसर सृजित करने, पशु आहार की पर्याप्त उपलब्धता, पशुपालकों

की आय बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त दूध व दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में–

I. एक हजार नवीन milk routes चालू किये जायेंगे।

II. लाम्बियांकला–भीलवाड़ा एवं पाली पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 150 से बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन की जायेगी। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

III. वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा डेयरी के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के साथ ही, डूंगरपुर के चिलिंग केन्द्र/संग्रहण केन्द्र को पुनः आरम्भ किया जायेगा। इन पर लगभग 25 करोड़ रुपये का व्यय कर लगभग 5 हजार पशुपालक परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

189. सरस उत्पादों को सहज रूप से उपलब्ध कराने एवं प्रोत्साहन हेतु–

I. RCDF के माध्यम से राज्य में 5 हजार और नये सरस बूथ तथा 200 सरस पार्लर खोले जायेंगे। इससे लगभग 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।

II. सरस उत्पादों की door step delivery सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्ष शहरी क्षेत्रों में **एक हजार सरस मित्र** बनाये जायेंगे।

190. मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से–

I. खारे पानी में श्रीम्प/झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए चूरू में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला (Brackish Water Aquaculture Laboratory) की स्थापना की जायेगी।

II. फार्म पौण्ड में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 20 हजार किसानों को मछली का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

191. प्रदेश में ग्रामीण/कृषक साथियों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थापित नंदीशालाओं में देय अनुदान को 9 माह से बढ़ाकर पूरे साल (12 महीने) देने की मैं, घोषणा करता हूँ। साथ ही, गोशालाओं में अपाहिज व अंधे गोवंश हेतु भी भरण पोषण अनुदान वर्षभर दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार आगामी वर्ष गोशालाओं एवं नंदीशालाओं पर **एक हजार 100 करोड़ रुपये से अधिक** का व्यय किया जायेगा।

192. अध्यक्ष महोदय, हमने स्वप्न देखा था, समाज के हर वर्ग के कल्याण का, उत्थान का–

यह स्वप्न था **गरीब, वंचित एवं जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने का।**
स्वस्थ निरोगी राजस्थान का।
अन्नदाता की खुशहाली का, समृद्ध राजस्थान का।
बच्चों में शिक्षा की नई अलख जगाने का।
युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने, आत्मनिर्भर बनाने का।
महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाने का।
पर्यटन एवं उद्योग को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का।
बिजली, पानी एवं सड़क को घर–घर तक पहुँचाने का।
प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मिट्टी से जोड़ने का।
यह स्वप्न था **राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का।।**

विषम आर्थिक परिस्थितियों एवं कोरोना जैसी महामारी के बावजूद हमारे द्वारा **'सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म'** को आत्मसात करते हुए, देखे गये स्वप्न को हमारे इस कार्यकाल में साकार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

कर–प्रस्ताव

193. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं कर–प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

194. हमने गत चार बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर विकास की वृद्धि दर को बढ़ाने की दृष्टि से कोई नया कर नहीं लगाने का निर्णय लिया। साथ ही विभिन्न राहत देते हुये महँगाई नियंत्रण की दृष्टि से पेट्रोल–डीजल के वैट में भी कमी की। इस प्रकार 8 हजार करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक की राहत दी गई।

195. आज माननीय सदन के समक्ष कर–प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मुझे महान **कवि तुलसीदास** की यह पंक्ति स्मृत हो आई है –

''बरषत हरषत लोग सब, करषत लखै न कोइ।
तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होइ।।''

अर्थात्/भावार्थ

''जिस तरह सूर्य द्वारा धरती से लिए गए जल को कोई देख नहीं पाता, लेकिन उसे बादल से बरसते देख कर सभी हर्षित होते हैं, इसी तरह शासन को भी कर इस प्रकार लेना चाहिए कि वह बहुत दृश्य न हो, लेकिन जब जन–मन तक पहुँचे, लोग हर्ष से भर जायें।''

196. हमने जहाँ एक ओर कर–प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देते हुए अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया, वहीं दूसरी ओर समाज के वंचित वर्गों को सम्बल देने का भी प्रयास किया। हमारे द्वारा पर्यटन को Industry का दर्जा देना, RIPS-2019 लाना एवं अब देश की सबसे Progressive निवेश नीति

RIPS-2022 लागू करना, तथा साथ ही सामाजिक सरोकार हेतु सहायता की दृष्टि से SSIPS-2021 (Social Security Investment Promotion Scheme-2021) लागू करना ऐतिहासिक कदम है।

कोविड/ आर्थिक स्थिति :

197. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के साथ–साथ प्रदेश ने भी गत वर्षों में लगातार कोरोना सहित आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है। किन्तु ऐसे समय में भी प्रदेशवासियों के सहयोग से ही हम सभी वर्गों का ध्यान रखने में सफल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री **लाल बहादुर शास्त्री जी** ने कहा था –

''आर्थिक मुद्दे हमारे लिये सबसे जरूरी हैं, जिससे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन 'गरीबी' और 'बेरोजगारी' से लड़ सकें।''

198. यद्यपि अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी लगातार सुधार हो रहा है, किन्तु अभी भी सामान्य स्थिति आने में समय लगेगा। अतः सभी वर्गों को सहायता तथा सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से गत चार बजट प्रस्तावों की ही तरह आगामी वर्ष में भी कोई **नया कर नहीं लगाने** की घोषणा करता हूँ। साथ ही –

I. आगामी वर्ष में भी इस वर्ष के अनुरूप प्रति वर्ष DLC दर में स्वतः होने वाली 10 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर मात्र 5 प्रतिशत वृद्धि ही की जायेगी।

II. RIPS-2010, RIPS-2014 एवं RIPS-2019 का लाभ ले रही ऐसी इकाइयाँ, जिनके लाभ लेने की अवधि में कोविड–19 के कारण व्यवधान आया था, तथा जिनका कार्यकाल गत बजट में की गई घोषणा के अनुरूप एक वर्ष नहीं बढ़ाया गया, उनके लाभ की अवधि को भी अब मैं, 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा करता हूँ।

III. विगत दो वर्षों में लायी गई Amnesty योजनाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए और अधिक छूट दिया जाना प्रस्तावित है, साथ ही Court Case Pending होने की स्थिति में भी विभिन्न Amnesty योजनाओं का लाभ Case Withdraw करने की शर्त पर देय होगा। ये Amnesty योजनायें 30 सितम्बर, 2023 तक प्रभावी रहेंगी –

(a) VAT Amnesty –

(i) VAT तथा RST/CST के अन्तर्गत राज्य में 1 लाख रुपये तक की Demand को माफ किये जाने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग 1 लाख 18 हजार व्यवहारी लाभान्वित होंगे तथा इससे 425 करोड़ रुपये से अधिक की राहत मिल सकेगी।

(ii) वैट के अन्तर्गत व्यवहारियों के घोषणा पत्रों में बकाया माँग को मात्र अन्तर्राज्यीय (Interstate) बिक्री के संबंध में बिल एवं भुगतान के सबूत के आधार पर निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। प्रमाण के अभाव में Demand का 10 प्रतिशत जमा करवाए जाने पर शेष माँग राशि माफ की जाएगी।

(iii) समस्त बकाया माँग ब्याज की होने पर 30 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष राशि माफ की जाएगी।

(iv) विभिन्न लम्बित/विवादित प्रकरणों में बकाया कर राशि का 20 प्रतिशत जमा करवाए जाने पर शेष माँग को माफ किया जाना प्रस्तावित है।

(b) स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी – आगामी वर्ष 2023–24 में स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत ब्याज एवं पेनाल्टी की शत–प्रतिशत छूट के साथ स्टाम्प ड्यूटी की माँग में समयावधि अनुसार 60 प्रतिशत तक छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

(c) ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी – वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से **ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम–2023** लाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इसमें –

(i) मोटर वाहनों पर 31 दिसम्बर, 2022 तक के बकाया कर को जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति को माफ किया जायेगा।

(ii) नष्ट हो चुके वाहनों के संबंध में राहत देने के लिये उनकी बकाया देय राशि जमा होने पर, नष्ट होने की तिथि के पश्चात् देय कर, ब्याज एवं शास्ति को माफ किया जायेगा।

(iii) दिनांक 24 फरवरी, 2021 से पूर्व आर.सी. सरेण्डर किये गये वाहनों को दिनांक 30 जून, 2023 तक आर.सी. रिलीज कराये जाने पर नियत अवधि के बाद देय कर, ब्याज एवं शास्ति को माफ किया जायेगा।

(iv) खनन–परिवहन क्षेत्र के संबंध में राहत देने के लिये ई–रवन्ना के माध्यम से 31 जनवरी, 2023 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देय प्रशमन राशि

(Compounding Fee) पर 95 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी।

(d) आबकारी एमनेस्टी –

(i) आबकारी एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज में शत–प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(ii) 31 मार्च, 2018 तक के समस्त बकाया प्रकरणों में मूल राशि में भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी; तथा

(iii) दुकानों के आवंटन की नई व्यवस्था के प्रथम वर्ष व कोविड महामारी के प्रभाव को देखते हुये बकायादारों को राहत प्रदान करने के लिये वर्ष 2021–22 की बकाया राशि के प्रकरणों में भी 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

(e) RIICO एमनेस्टी –

RIICO क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिये एमनेस्टी योजना–2023 लाई जायेगी। इस योजना के तहत–

(i) सेवा शुल्क एवं किराये (Service Charge & Economic Rent) की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी।

(ii) 30 जून, 2022 तक भूमि प्रीमियम की बकाया (Outstanding) किश्तों को जमा कराने पर देय ब्याज राशि में 60 प्रतिशत की छूट दी जानी प्रस्तावित है।

(iii) आवंटित भूखण्ड पर निर्माण प्रारंभ करने में हुई देरी के नियमन पर देय धारण प्रभार (Retention Charge)/ अतिरिक्त भूमि की कीमत (Additional Cost of Land) में 80 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(iv) भूखण्ड/उपविभाजित भूखण्ड के हस्तान्तरण पर देय शुल्क में 60 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(v) बकाया जल प्रभार एवं बकाया सीईटीपी चार्जेज एकमुश्त जमा कराने पर पेनाल्टी व ब्याज में शत–प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

(vi) औद्योगिक भूखण्ड पर वर्षा जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण किये जाने हेतु निर्धारित समय सीमा को बिना शास्ति के 30 जून 2023 तक बढ़ाया जायेगा।

(f) उपनिवेशन क्षेत्र संबंधी एमनेस्टी –

उपनिवेशन क्षेत्र के लगभग 13 हजार 500 काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की बकाया किश्तों पर –

(i) 31 दिसम्बर, 2023 तक की शेष रही बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत–प्रतिशत छूट दी जानी प्रस्तावित है; एवं

(ii) आवंटन की समस्त बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में भी 15 प्रतिशत छूट के साथ ब्याज में शत–प्रतिशत छूट देना प्रस्तावित है।

(g) खनन संबंधी एमनेस्टी –

(i) खनन पट्टाधारियों, क्वारी लाईसेन्स धारकों एवं रॉयल्टी ठेकेदारों हेतु गत बजट में घोषित Amnesty योजना अब 31 मार्च, 2022 तक के बकायेदारों पर भी लागू की जाएगी।

(ii) साथ ही, मासिक रिटर्न समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर लगायी गई शास्ति को समस्त सूचना 31 मार्च, 2023 तक दिये जाने पर माफ किया जाना प्रस्तावित है।

(h) ऊर्जा संबंधी एमनेस्टी –

सतर्कता जांच प्रतिवेदनों (VCR) के प्रकरणों में 31 दिसम्बर, 2022 या उससे पूर्व के लम्बित प्रकरणों में छूट दी जानी प्रस्तावित है, जो इस प्रकार होगी –

(i) 31 दिसम्बर, 2022 या उससे पूर्व के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के निस्तारण हेतु 1 लाख रुपये तक की सिविल लाईब्लिटी राशि होने पर इस राशि का 40 प्रतिशत एवं प्रशमन (Compounding) राशि का 25 प्रतिशत लेकर अंतिम निस्तारण किया जायेगा।

(ii) यदि सिविल लाईब्लिटी राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, तो 1 लाख रुपये तक की राशि का 40 प्रतिशत एवं 1 लाख रुपये से अधिक राशि का 10 प्रतिशत एवं प्रशमन (Compounding) राशि का 25 प्रतिशत लेकर अंतिम निस्तारण किया जायेगा।

(iii) यह राशि 6 मासिक किश्तों में बिना ब्याज के जमा कराई जा सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 2023 तक आवेदन किये जा सकेंगे।

(i) GST Amnesty –

वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा GST लागू करने की प्रणाली के कारण सम्पूर्ण देश के साथ ही प्रदेश के व्यवसायियों को प्रारम्भिक वर्षों में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा इतने में ही कोविड का प्रभाव भी ऊपर आ गया। ऐसे में व्यवसायियों द्वारा Returns भरने में देरी होना स्वाभाविक था। हमने GST Council एवं केन्द्र सरकार से ऐसे व्यवहारियों को राहत देने का आग्रह किया है। अभी केन्द्र सरकार से इस विषय पर सकारात्मक Response नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसे में भी मैं, राज्य की ओर से ऐसे समस्त Registered Dealers, जो 2021–22 की Returns भर चुके हैं, अथवा 31 मार्च, 2023 तक भर देंगे, उन्हें एक बारीय राहत देते हुए वर्ष 2021–22 की Late Fees के राज्यांश का पुनर्भरण करना प्रस्तावित करता हूँ।

युवा :

199. मुझे आज राष्ट्रगान के रचयिता एवं नोबल पुरस्कार से सम्मानित **गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर** की यह पंक्ति याद आ रही है –

"Age considers, youth ventures."
अर्थात्

"आयु जहाँ विचार करती है, वहाँ युवावस्था कर गुजरती है।"

युवा हमारी ऊर्जा हैं, अतः इस क्रम में प्रदेश के युवाओं को और अधिक सम्बल देने हेतु –

I. युवाओं को अपने शिक्षण अथवा रोज़गार स्थल तक स्वयं के साधन से आवागमन के लिये दोपहिया वाहन क्रय करने में राहत की दृष्टि से राज्य में पंजीकृत होने वाले **100 सी.सी.** तक के दुपहिया वाहनों पर वर्तमान में देय एकबारीय कर में **50 प्रतिशत छूट** देते हुये 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

II. राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित ऑटोरिक्शा/टैक्सी/मैक्सी कैब की परमिट फीस को **निःशुल्क** करने की घोषणा करता हूँ।

III. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टार्ट–अप पॉलिसी, 2022 के अन्तर्गत स्टार्ट–अप की स्थापना के लिये निष्पादित 10 लाख रुपये की सीमा तक के ऋण दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट के लिये ऋण सीमा को बढ़ाते हुए **25 लाख रुपये** किया जाना प्रस्तावित है।

IV. 18 से 35 वर्ष के युवाओं के स्टार्ट–अप द्वारा कार्यस्थल के लिये **50 लाख रुपये तक की Property** क्रय अथवा 10 वर्ष से अधिक के लिये Lease पर लिये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी **निःशुल्क** करने की घोषणा करता हूँ।

V. स्टार्ट–अप से बिना टेंडर उपापन **(Single Source Procurement)** की वर्तमान 15 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर **25 लाख रुपये** करने की घोषणा करता हूँ।

किसान :

200. हमारी नीतियों में किसान भाइयों और कृषि को सदैव प्राथमिकता दी गई है। मैं माननीय सदन को मुनि पाराशर द्वारा रचित **कृषि–पाराशर** का श्लोक याद दिलाना चाहूँगा –

''सुवर्ण–रौप्य–माणिक्य–वसनैरपि पूरिताः।
तथापि प्रार्थयन्ति–एव कृषकान् भक्त–तृष्णया।।''

अर्थात्/भावार्थ

''सोना, चांदी, जवाहरात आदि विश्व का सभी धन प्राप्त कर लेने के पश्चात् भी भोजन के लिये हमें किसानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।''

यह उक्ति कृषि की महत्ता को बताने के लिये पर्याप्त है।

201. हम सभी का दायित्व है कि किसान भाइयों को अधिकाधिक सम्बल प्रदान किया जा सके। इस हेतु –

I. राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक की मण्डी शुल्क, आवंटन शुल्क एवं अन्य बकाया राशि हेतु **''ब्याज माफी योजना–2023''** लायी जाएगी, जिसमें –

(a) दिनांक 30 जून, 2023 तक बकाया जमा कराने पर सम्पूर्ण ब्याज माफ किया जाएगा।

(b) इसके पश्चात् दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक बकाया जमा कराने पर 75 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा।

II. इसी क्रम में राज्य के बाहर से आयातित कृषि प्रसंस्करण (Agriculture Processing) प्रयोजनार्थ कृषि जिन्स एवं चीनी पर बकाया मण्डी शुल्क माफी योजना की अवधि को 30 सितम्बर, 2023 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

III. मंडी प्रांगणों में व्यापारियों के वर्ष 2010 के पूर्व के लम्बित प्रार्थना पत्रों हेतु आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन किये जाने की व्यवस्था की गई थी। अब इस अवधि को बढ़ाकर यह राहत, वर्ष 2019 तक के लम्बित प्रार्थना पत्रों के लिये भी दिया जाना प्रस्तावित है।

202. हमने बजट में घोषित नवीन मण्डियों/गौण मण्डियों एवं फूडपार्क के लिये सरकारी भूमि के निःशुल्क आवंटन का प्रावधान किया था। अब मैं नवीन मण्डियों/गौण मण्डियों एवं फूडपार्क के लिये सरकारी के साथ–साथ ही स्थानीय निकाय क्षेत्रों में भी निःशुल्क भूमि आवंटन की घोषणा करता हूँ। इस हेतु मंडियों के लिये 50 प्रतिशत DLC दर पर भूमि आवंटन नीति को परिवर्तित कर 25 प्रतिशत DLC दर पर आवंटन किया जाएगा तथा यह 25 प्रतिशत DLC राशि भी राज्य सरकार द्वारा संबंधित निकाय को उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे मंडियों को भूमि निःशुल्क प्राप्त हो सके।

203. किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि विद्युत् कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु विद्युत् वितरण निगम एवं उपभोक्ताओं के मध्य होने वाले करार (Agreement) को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

204. कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हमने ऐसे उद्योगों की भूमियों की DLC दरें कृषि की दो गुणा से घटाकर डेढ़ गुणा की थी।

अब मैं इसमें और राहत देते हुए कृषि आधारित उद्योगों की भूमियों की DLC दरें कृषि की दरों के समान करने की घोषणा करता हूँ।

205. भू–अभिलेखों की नकल एवं सीमाज्ञान के लिए काश्तकारों द्वारा देय राशि को निःशुल्क किये जाने की घोषणा करता हूँ।

निवेश :

206. अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुये अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है कि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये हमारे द्वारा उठाये गये Progressive कदमों के कारण दिनांक 07 एवं 08 अक्टूबर, 2022 को आयोजित हुये **'Invest Rajasthan'** कार्यक्रम में लगभग 10 लाख 45 हजार करोड़ रुपये के निवेश के 4192 MoU/LOI हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनसे 9 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलना सम्भावित है। इनमें से लगभग 2035 MoU क्रियान्विति के चरण तक पहुँच चुके हैं तथा शेष पर कार्यवाही Advanced Stage में है।

207. राज्य में निवेश को और अधिक बढ़ाने हेतु जारी नवीन **राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2022 (RIPS-22)** को वृहद् रूप देते हुए और अधिक राहत देने की दृष्टि से –

I. RIPS-2003, RIPS-2010, RIPS-2014 तथा RIPS-2019 में जिन निवेशकों ने तत्समय की पात्रता अनुसार Customised Package का Entitlement Certificate प्राप्त कर, Stamps and Registration Fees Exemption के अतिरिक्त कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया हो, तथा Commercial Production RIPS-2022 की

अवधि में प्रारम्भ किया हो/अथवा होगा, तो उन्हें शेष अवधि के लिये RIPS-2022 का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

II. RIPS-2022 के अन्तर्गत Capital Incentive/Performance Linked Incentive (PLI) का विकल्प न्यूनतम 50 करोड़ रुपये के निवेश पर ही देय है। MSME Segment हेतु यह सीमा घटाकर 25 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित है।

III. निवेशकों द्वारा किसी रुग्ण Plant का NCLT के माध्यम से Auction में क्रय कर ऐसे उद्यम का पुनः संचालन सुनिश्चित करने हेतु, क्रय राशि के 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त निवेश करने की स्थिति में इसे नवीन निवेश मानते हुए RIPS-2022 के लाभ दिये जाने प्रस्तावित हैं।

IV. एथेनॉल नीति में नवीन RIPS-2022 योजना के अन्तर्गत लाभ दिये जा सकेंगे।

V. हमने RIPS-2022 के अन्तर्गत Sunrise Sectors एवं Anchor Investors के लिये Captive Solar Power Plant लगाने की स्थिति में Banking, Wheeling and Transmission Charges को exempt करने का प्रावधान किया है। Banking Charges का यह exemption Captive Solar Power Plant की कुल क्षमता पर दिया जाना प्रस्तावित है। यह सुविधा लेने के लिये Captive Power Plant से उत्पादित सम्पूर्ण बिजली का उपयोग Project के लिये ही किया जाना आवश्यक होगा।

VI. साथ ही RIPS के अन्तर्गत इस छूट के लिये निवेशक द्वारा अपनी Contract Demand से अधिक, अपने उपयोग की सीमा तक उत्पादन क्षमता का Captive Solar Plant लगाना अनुमत होगा।

VII. Renewable Energy के प्लान्ट्स की स्थापना के लिये पूर्ववत् स्टाम्प ड्यूटी एवं Land Tax में छूट दी जायेगी।

VIII. RIPS में **राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना–2022** के अन्तर्गत ग्रामीण पर्यटन की इकाईयों को देय एवं जमा SGST का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा।

IX. राज्य में प्लास्टिक उत्पादों के स्थान पर वैकल्पिक उत्पादों को स्थापित करने वाली MSME इकाइयों को पूंजीगत विनियोजन पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 40.00 लाख रुपये तक) राशि का विशेष अनुदान/छूट प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

X. RIPS-2022 में प्रक्रिया को अधिकाधिक सरल तथा Automated किया जायेगा।

208. गत बजट में मैंने कुछ विशिष्ट श्रेणी के उद्योगों यथा RIPS के अन्तर्गत Sunrise Sectors, Anchor Investors एवं Customised Package के पात्र निवेशकों तथा स्थानीय छोटे निवेशकों आदि को रीको क्षेत्र में विशेष जोन चिन्हित करते हुए सीधे भूखण्ड आवंटन का प्रावधान किया था। अब इसके साथ ही नये औद्योगिक क्षेत्रों में विक्रय योग्य औद्योगिक भूमि के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल तक के औद्योगिक भूखण्डों (आरक्षित भूखण्डों को शामिल करते हुए) का आवंटन ऑनलाईन लॉटरी प्रक्रिया से किया जाना प्रस्तावित है।

209. गत बजट में मैंने **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना** के अन्तर्गत MSMEs की अत्यधिक रुचि को देखते हुये 27 अगस्त, 2021 तक बैंकों से स्वीकृत तथा जिला उद्योग केन्द्रों में सूचना प्राप्त प्रकरणों को नये दिशा–निर्देशों में एक बारीय छूट देते हुये स्वीकृति देने की घोषणा की थी। अब मैं इस छूट का दायरा और वृहद् करते हुये 27 अगस्त, 2021 तक बैंक से स्वीकृत ऋण, जिनकी सूचना जिला उद्योग केन्द्रों में **31 मार्च, 2022 तक** भी प्राप्त हो गयी हो, उन MSMEs पर भी लागू करना प्रस्तावित करता हूँ।

210. राज्य के निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से RIPS-2022 के अन्तर्गत पहली बार **Freight Subsidy** का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा अधिक से अधिक MSMEs को भी उपलब्ध हो सके, इसलिये **MSMEs** को यह लाभ न्यूनतम **10 करोड़ रूपये** के निवेश पर ही दिया जाना प्रस्तावित है।

211. राज्य के नवीन उद्यमियों को निर्यातक बनने में समुचित सहायता सुनिश्चित करने की दृष्टि से **राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद्** का सुदृढ़ीकरण करते हुए 'निर्यात Helpline' की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। इस हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण पर 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

212. प्रदेश में रोज़गार एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रम में समस्त Air Lines को अधिकाधिक Flights संचालित करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **Commercial Flights** के लिये **Aviation Turbine Fuel (ATF)** पर VAT की दर को **घटाकर 2 प्रतिशत** करने की घोषणा करता हूँ।

213. राजस्थान, विशेषकर जयपुर की देश–विदेश में Gems & Jewellery के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान है। इस क्षेत्र में और अधिक उन्नति हो, इस दृष्टि से जयपुर में **'Gem Bourse'** के निर्माण के लिये सीतापुरा Industrial Area में लगभग 44 हजार वर्ग मीटर भूमि को **रिजर्व प्राइस की 3 गुणा राशि पर** आवंटित करना प्रस्तावित करता हूँ।

214. वर्तमान में Lab Grown Diamonds के निर्यात के अवसर तेजी से बढ़े हैं और राजस्थान भी इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। इसकी बढ़ती माँग और निर्यात सम्भावना को देखते हुए इसे RIPS-2022 में Sunrise क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित कर उसका लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

215. GST Act में **Refund** के लिये निर्धारित 60 दिवस की समय सीमा को घटाकर कर **तीन सप्ताह (21 दिवस)** किया जाना प्रस्तावित है।

216. कम्पनियों के Merger/Demerger के प्रकरणों में यदि Share Holders में कोई बदलाव नहीं है, तो स्टाम्प ड्यूटी को कम कर 3 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

217. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत White कैटेगरी के उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियों की आवश्यकता नहीं रहती है। वर्तमान में **White कैटेगरी** के अन्तर्गत 54 प्रकार के उद्योग शामिल हैं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से अब इस संख्या को बढ़ाकर **100** करना प्रस्तावित है।

218. पर्यावरण स्वीकृतियों के आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिये राज्य स्तर पर एक अतिरिक्त **State Expert Appraisal Committee (SEAC)** का गठन किया जाएगा।

219. कृषि भूमि के औद्योगिक सम्परिवर्तन (Conversion) को अधिक सुगम बनाने की दृष्टि से जिला स्तर पर Collectors द्वारा स्वीकृति की सीमा को 50 हजार वर्गमीटर से बढ़ाकर 2 लाख वर्गमीटर किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में 10 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक पट्टे की स्वीकृति राज्य सरकार के स्थान पर जिला कलेक्टर के अधीन समिति के द्वारा दी जा सकेगी।

220. वर्तमान में क्वारी लाइसेन्स की अवधि वृद्धि हेतु देय वार्षिक प्रीमियम राशि को एक–तिहाई करने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग 16 हजार 500 क्वारी लाइसेन्स धारकों को राहत प्राप्त होगी।

221. खानधारकों की सहूलियत की दृष्टि से त्रैमासिक रिटर्न्स की बाध्यता को समाप्त किये जाने की घोषणा करता हूँ। खानधारकों को अब मात्र वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

222. खानधारकों की मृत्यु के 1 माह के भीतर सूचना देने की अवधि को बढ़ाकर 3 माह तथा म्यूटेशन का आवेदन प्रस्तुत करने की 3 माह की अवधि को 6 माह किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही सूचना देने अथवा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब होने पर मात्र 500 रुपये प्रतिमाह की ही शास्ति आरोपित की जाएगी।

General Relaxations :

223. Renewable Energy को बढ़ावा देना हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। इसी दिशा में आगामी वर्ष से सौर ऊर्जा पर विद्युत्–कर 60 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 40 पैसे प्रति यूनिट करना प्रस्तावित करता हूँ।

इससे आवासीय भवन पर लगाये गये नेट मीटरिंग उपभोक्ता सहित अन्य उपभोक्ता, जो सौर ऊर्जा का उपभोग करेंगे, उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।

224. चारपहिया वाहनों में वर्तमान में डीजल एवं पेट्रोल वाहनों पर अलग–अलग एकबारीय कर देय है। डीजल वाहनों पर इस कर को 2 प्रतिशत कम करते हुये पेट्रोल के समकक्ष किया जाना प्रस्तावित है।

225. Strong Hybrid वाहन ईंधन खपत एवं वायु प्रदूषण में कमी लाने में अधिक दक्ष होते हैं, अतः ऐसे Non-Transport चौपहिया वाहनों को भी एकबारीय कर में 25 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

226. बजट–2021 में वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर देय अतिरिक्त एकबारीय कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी। इस छूट को पुनः प्रदान करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2024 तक स्वामित्व हस्तांतरण पर भी लागू किया जायेगा।

227. राज्य में ग्रामीण एवं अन्य मार्गों पर संचालित स्टेज कैरिज बसों को देय कर में 10 प्रतिशत की कमी करना प्रस्तावित करता हूँ।

228. राज्य में संचालित नगरीय बस सेवा हेतु नई CNG बसें लाने अथवा पूर्व से संचालित बसों को CNG में परिवर्तित करने पर मोटर वाहन कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

229. अन्य राज्यों में पंजीकृत एवं राजस्थान में असाईनमेंट (Assignment) के लिये आने वाले वाहनों पर वर्तमान में देय एकबारीय कर में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की छूट को बढ़ाकर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष किया जायेगा। यह छूट अधिकतम 8 वर्ष के लिये दी जायेगी।

230. राज्य में संचालित एकबारीय कर जमा कराने वाले परिवहन वाहनों के लिये बार–बार "कर चुकता प्रमाण–पत्र" (Tax Clearance Certificate-TCC) प्राप्त करने की व्यवस्था को समाप्त करना प्रस्तावित है।

231. प्रदेश में e-Licence एवं e-Registration Certificate लागू किया जाना प्रस्तावित है। इससे आमजन को इस हेतु स्मार्ट कार्ड के लिए देय फीस की राशि 200 रुपये की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी।

232. प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित **Land Tax** की दरों को **50 प्रतिशत कम** करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक बकाया राशि के Interest एवं Penalty पर पूर्ण छूट के साथ मूल डिमान्ड में भी 50 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है। यह छूट 30 जून, 2023 तक देय होगी।

233. हमने राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत अनुमोदित प्रोजेक्ट के तहत डेवलपर द्वारा निष्पादित Assignment Deed पर स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर 500 रुपये किये जाने का प्रावधान किया था। अब राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2002 के अन्तर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिये भी स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 500 रुपये की जानी प्रस्तावित है।

234. नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित भूखण्डों के संबंध में निष्पादित अपंजीकृत मध्यवर्ती दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को भूमि की आवंटन राशि के 20 प्रतिशत पर लिए जाने की घोषणा करता हूँ।

235. लीज डीड/रेन्ट डीड के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों को Rationalise किया जाना प्रस्तावित है।

236. वर्तमान में पंजीयन हेतु 25 लाख रुपये एवं इससे अधिक के दस्तावेजों में अनिवार्य मौका निरीक्षण तथा 25 लाख रुपये से कम के दस्तावेजों में रैण्डम मौका निरीक्षण की व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाये जाने के दृष्टि से –

I. अनिवार्य मौका निरीक्षण की न्यूनतम सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

II. आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों को सुविधा देने के उद्देश्य से 10 लाख रुपये तक के दस्तावेजों को मौका निरीक्षण से मुक्त किया जाएगा।

III. साथ ही दस्तावेजों के शीघ्र पंजीयन हेतु मौका निरीक्षण के लिये निर्धारित योग्यताधारी युवाओं को **मौका निरीक्षकों** के रूप में Empanel किया जाएगा।

Institutional Strengthening :

237. आमजन के रजिस्ट्री संबंधी कार्य सुगमता व त्वरित रूप से करवाने की दृष्टि से –

I. प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक Sub-Registrar कार्यालयों में एक–एक अतिरिक्त पंजीयन–डेस्क की स्थापना की जायेगी।

II. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सप्ताह के सातों दिन पंजीयन कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

III. यदि किसी स्थल पर किसी संस्थान द्वारा 20 से अधिक दस्तावेजों के पंजीयन के लिये शिविर का आयोजन किया जाएगा, तो

Sub-Registrar द्वारा मौके पर जाकर रजिस्ट्री करने की सुविधा बिना किसी फीस के उपलब्ध करायी जाएगी।

238. नयी तहसील या उप–तहसील के गठन पर उसे पंजीयन के अधिकार स्वतः प्राप्त हो सकें, इसकी घोषणा करता हूँ।

239. जयपुर में दो तथा जोधपुर में एक नया उप–पंजीयक कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित करता हूँ।

240. स्टाम्प के स्टॉक, विक्रय एवं भुगतान हेतु ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जायेगी, जिससे स्टाम्प संबंधी Frauds की सम्भावना समाप्त हो सकेगी।

241. परिवहन विभाग में कार्यकुशलता अभिवृद्धि व प्रवर्तन (Enforcement) की गतिविधियों को मजबूत करने हेतु 100 नये वाहन Service Model पर उपलब्ध कराये जाएंगे। साथ ही, सरदारशहर, चूरू में उप–परिवहन कार्यालय तथा जोधपुर में एक अतिरिक्त RTO कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित करता हूँ।

242. वित्तीय प्रबन्धन और प्रशिक्षण को अधिक Professional बनाने की दृष्टि से राज्य में **Public Financial Management & Training Institute** का गठन किया गया है। इस Institute की आधारभूत संरचना का निर्माण 75 करोड़ रुपये की लागत से किये जाना प्रस्तावित है।

243. GST एवं VAT की प्रक्रियाओं में व्यवहारियों को सहूलियत एवं Hand Holding उपलब्ध कराने की दृष्टि से–

I. 2 हजार Commerce Graduates/Chartered Accountants को मानदेय पर **टैक्स मित्र** (Tax Mitra) के रूप में लगाया जाएगा।

II. व्यवहारियों को Self Tax Scrutiny की प्रथम स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये Artificial Intelligence (AI) आधारित **'e-Tax Officer'** (ETO) Software Platform विकसित किया जाएगा।

244. वर्तमान में प्रचलित 'Rajasthan Electricity Duty Act, 1962' असामयिक हो चुका है, अतः इसे Repeal कर नया अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है।

245. समस्त राजस्व अर्जन विभागों में अपील की प्रक्रिया को Online किया जाएगा तथा सुनवाई के लिये भी VC के माध्यम से सुविधा का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है।

सामाजिक सुरक्षा :

246. हमने कराधान को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम बनाने के लिये अभिनव प्रयास किये हैं। आज भी मेरे ध्यान में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी **कवि रामधारी सिंह 'दिनकर'** की कृति **कुरुक्षेत्र** की ये पंक्तियाँ आती हैं –

"शान्ति नहीं तब तक, जब तक,
सुख–भाग न नर का सम हो।
नहीं किसी को बहुत अधिक हो,
नहीं किसी को कम हो।।"

अर्थात्/भावार्थ

"मानव जीवन में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती, जब तक सभी मानवों का सुख में समान अधिकार सुनिश्चित नहीं होता।

यह सुख–भाग ऐसा हो कि इसमें न तो किसी को बहुत अधिक मिले और न ही किसी को बहुत कम मिले।"

247. हमारी सरकार ने समस्त जरूरतमंद वर्गों के उत्थान एवं जन–उपयोगी कार्यों से सम्बन्धित संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिये **SSIPS-2021 (Social Security Investment Promotion Scheme-2021)** लागू की थी। अब मैं, इस योजना को और वृहद् रूप देते हुए **SSIPS-2023** लाकर, इस हेतु **100 करोड़** रुपये का **SSIPS Fund** बनाने की घोषणा करता हूँ। इस SSIPS-2023 के अन्तर्गत –

I. वर्तमान में देय ब्याज अनुदान को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने के साथ ही ब्याज पुनर्भरण की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना प्रस्तावित करता हूँ।

II. Customised Package हेतु पात्रता के लिये न्यूनतम निवेश की सीमा को 5 करोड़ रुपये से घटाकर 3 करोड़ रुपये तथा लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या को 100 से घटाकर 50 किया जाएगा। Customised Package के रूप में आवश्यक Capital and Revenue Grant भी प्रदान की जा सकेगी।

III. ऐसी संस्थाएँ, जो SSIPS-2021 के लागू होने के पूर्व से कार्यरत हैं और उन्हें सामाजिक सरोकार का कार्य करने के कारण भूमि की Lease निःशुल्क दी गई थी, उनके Lease Renewal को भी निःशुल्क किया जाएगा।

248. गत बजट के माध्यम से नजूल सम्पत्तियों पर वर्ष 2000 से पूर्व के काबिज अल्प आय वर्ग के रिहायशी कब्जेधारियों को छूट का लाभ दिया गया

है। यह छूट वर्ष 2010 के पूर्व से काबिज ऐसे रिहायशी कब्जेधारियों को भी दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

249. आधुनिक समाज में एकल जीवन तथा Nuclear Family की अवधारणा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बच्चों और बुजुर्गों के देखभाल की नवीन चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में इनके लिये Social Infrastructure के समुचित विकास हेतु **Old Age Home, Crèche, Day Care Center** आदि को भी RIPS-2022 के Incentives दिया जाना प्रस्तावित है।

250. बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपये तक के फ्लैट की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट दी गई है। इस छूट का लाभ 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

251. साथ ही दिव्यांगजन के पक्ष में निष्पादित Immovable Property के हस्तान्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

252. स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रीकरण हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र/घोषणा–पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी निःशुल्क किये जाने की घोषणा करता हूँ।

253. 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन तथा 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता के जनों के निवास स्थान पर रजिस्ट्री करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

254. परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित समझौते (Settlement) पर रजिस्ट्रीकरण फीस समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

255. हमने पूर्व में पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, पोता–पोती, दोहिता–दोहिती के पक्ष में निष्पादित Gift Deed को पूर्णतया निःशुल्क किया था। वर्तमान में माता–पिता, पुत्र, भाई–बहन, पति के पक्ष में निष्पादित Gift Deed पर स्टाम्प शुल्क 2.5 प्रतिशत की दर से देय है। अब मैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के माता–पिता के पक्ष में Property Gift करने तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के माता–पिता द्वारा पुत्र के पक्ष में Property Gift करने पर स्टाम्प ड्यूटी पर पूर्ण छूट देने की घोषणा करता हूँ।

256. मुझे एहसास है कि कोविड एवं अन्य आर्थिक कारणों की वजह से सभी वर्गों के लिये अलग–अलग चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। अतः **उपरोक्त कर–प्रस्तावों में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि आगामी वर्ष हेतु 1750 करोड़ रुपये से अधिक की राहत** प्रदान की जा रही है।

257. इन कर–प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन (Amendment) प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

258. इन प्रस्तुत कर–प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये तथा अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएँ जारी की जा रही हैं।

259. मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम आगे भी अपने कुशल वित्तीय प्रबन्धन से विकास एवं राहत प्रदान करने की गति बनाये रखेंगे।

राज्य में विकास के नये आयाम

260. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमान (RE) एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक अनुमान (BE) के विवरण को प्रस्तुत करते हुए मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से राज्य ने सभी क्षेत्रों (Sectors) में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं–

I. माननीय सदस्यगणों को यह जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकार के वित्तीय प्रबन्धन के फलस्वरूप स्थिर मूल्यों (Constant Prices) पर GSDP की वृद्धि दर (Growth Rate) के क्रम में समस्त राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में, हमारा राज्य, जहाँ वर्ष 2018–19 में 2.37 प्रतिशत के साथ 31वें स्थान पर था, वहीं वर्ष 2021–22 में हम 11.04 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर आ गये हैं।

II. इसी प्रकार प्रचलित मूल्यों (Current Prices) पर प्रदेश की GSDP की विगत 3 वर्षों की औसत वृद्धि दर 9.68 प्रतिशत रही है, जोकि भारत सरकार की GDP की औसत वृद्धि दर 8.10 प्रतिशत से भी अधिक है।

III. वर्ष 2018–19 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts) 1 लाख 37 हजार 873 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 कोविड–19 से प्रभावित होने के बावजूद भी वर्ष 2021–22 में कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2018–19 की तुलना में

33.40 प्रतिशत बढ़कर 1 लाख 83 हजार 920 करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं।

IV. हमारी सरकार के 'Efficient कर प्रबन्धन' के फलस्वरूप वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23 (माह दिसम्बर तक) में राज्य की जीएसटी (GST) वृद्धि दर क्रमशः 32.50 एवं 31.22 प्रतिशत रही, जो देश के CGST collection की वृद्धि दर वर्ष 2021–22 व 2022–23 (माह दिसम्बर तक) क्रमशः 29.56 व 29.78 प्रतिशत से अधिक रही है।

V. वर्ष 2021–22 में पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन पर 24 हजार 152 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) किया गया, जो कि न केवल अब तक का सर्वाधिक है अपितु गत सरकार द्वारा 2018–19 में किये गये वास्तविक व्यय 16 हजार 638 करोड़ रुपये से भी 45 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं के विकास कार्य हेतु 38 हजार 61 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि गत सरकार के वर्ष 2018–19 में किये गये व्यय का 229 प्रतिशत है।

वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान

261. मैं, वित्तीय वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमानों का विवरण माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं:–

1. राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts)	2 लाख 15 हजार 786 करोड़ 67 लाख रुपये
2. राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)	2 लाख 48 हजार 96 करोड़ 80 लाख रुपये

3. राजस्व घाटा (Revenue Deficit)	32 हजार 310 करोड़ 13 लाख रुपये
4. पूंजी खाते में प्राप्तियाँ (Receipts in Capital Account)	1 लाख 66 हजार 580 करोड़ 22 लाख रुपये
5. पूंजी खाते में व्यय (Expenditure in Capital Account)	1 लाख 34 हजार 149 करोड़ 74 लाख रुपये
6. पूंजी खाते में आधिक्य (Surplus in Capital Account)	32 हजार 430 करोड़ 48 लाख रुपये
7. शुद्ध व्यय (मार्गोपाय अग्रिम सहित) (Net Expenditure including Ways & Means Advance)	3 लाख 82 हजार 246 करोड़ 54 लाख रुपये
8. शुद्ध व्यय (मार्गोपाय अग्रिम रहित) (Net Expenditure excluding Ways & Means Advance)	2 लाख 98 हजार 246 करोड़ 54 लाख रुपये

262. वर्ष 2023–24 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

1. राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts)	2 लाख 33 हजार 988 करोड़ 1 लाख रुपये
2. राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)	2 लाख 58 हजार 883 करोड़ 68 लाख रुपये
3. राजस्व घाटा (Revenue Deficit)	24 हजार 895 करोड़ 67 लाख रुपये
4. पूंजी खाते में प्राप्तियाँ (Receipts in Capital Account)	1 लाख 56 हजार 954 करोड़ 97 लाख रुपये
5. पूंजी खाते में व्यय (Expenditure in Capital Account)	1 लाख 31 हजार 972 करोड़ 80 लाख रुपये

6. पूंजी खाते में आधिक्य (Surplus in Capital Account)	24 हजार 982 करोड़ 17 लाख रुपये
7. शुद्ध व्यय (बजट साईज) (मार्गोपाय अग्रिम सहित) (Net Expenditure including Ways & Means Advance)	3 लाख 90 हजार 856 करोड़ 48 लाख रुपये
8. शुद्ध व्यय (बजट साईज) (मार्गोपाय अग्रिम रहित) (Net Expenditure excluding Ways & Means Advance)	3 लाख 25 हजार 856 करोड़ 48 लाख रुपये
9. वसूलियाँ (Recoveries)	12 हजार 690 करोड़ 77 लाख रुपये
10. सकल व्यय (वसूलियों सहित) (Gross Expenditure including Recoveries)	4 लाख 3 हजार 547 करोड़ 25 लाख रुपये

वसूलियों में मुख्य रूप से राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF), राज्य सड़क विकास निधि एवं अन्य विभिन्न आरक्षित निधियों से पुनर्भरण तथा निर्माण विभागों के संस्थापन व्यय इत्यादि की वसूली सम्मिलित है। शुद्ध व्यय में वसूलियों को जोड़ते हुए सकल व्यय राशि 4 लाख 3 हजार 547 करोड़ 25 लाख रुपये है।

कृषि बजट :

263. कृषि बजट के अन्तर्गत कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु Budgetary and Extra Budgetary प्रावधानों का योजनावार एवं बजट मदवार विस्तृत विवरण बजट खण्ड 4-द में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

264. इस कृषि बजट के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में समेकित निधि (Consolidated Fund), राज्य की स्वायत्तशाषी, सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के

स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 89 हजार 190 करोड़ 24 लाख रुपये का कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु प्रावधान किया गया है। कुल कृषि बजट में से राशि 46 हजार 723 करोड़ 32 लाख रुपये Consolidated Fund से व्यय की जायेगी।

केन्द्र सरकार से सम्बन्धित मुद्दे :

265. हमने कई चुनौतियों के उपरान्त भी विकास की गति को निरन्तर बनाये रखा है। मैं, माननीय सदन के संज्ञान में केन्द्र सरकार से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दु लाना चाहूँगा–

I. **CSS में केन्द्रीयांश (Central Share) को समेकित निधि (Consolidated Fund) में हस्तान्तरण नहीं करना:** जैसा कि माननीय सदन को विदित होगा केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 से जल जीवन मिशन का केन्द्रीयांश, राज्य के Consolidated Fund में ना दिया जाकर सीधे Bank Account में दिया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (CSS) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राशि राज्य की Consolidated Fund से बैंक खातों (SNA) में हस्तान्तरण करने के निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही, वर्ष 2023–24 से केन्द्र सरकार द्वारा Pilot आधार पर कुछ केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (CSS) के क्रियान्वयन हेतु Alternate Fund Mechanism प्रस्तावित किया गया है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीयांश एवं राज्यांश दोनों की राशि पहले राज्य की समेकित निधि से वहन की जायेगी तत्पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीयांश का राज्य को पुनर्भरण किया जायेगा। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है कि इस प्रस्तावित व्यवस्था से राज्य की वित्तीय स्थिति पर अत्यन्त ही

प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमने केन्द्र सरकार से अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

II. **ऊर्जा क्षेत्र :**

(a) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में उदय योजना शुरू की गई। इस योजना में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को किसी भी तरह का अनुदान नहीं दिया गया, अपितु विद्युत वितरण कम्पनियों के बकाया ऋणों की 75 प्रतिशत राशि 62 हजार 422 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में अधिग्रहित की गई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य को लगभग 5 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ब्याज भुगतान करना पड़ रहा है।

(b) इसी क्रम में और आगे जाते हुए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 से विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों को राज्य द्वारा अधिग्रहित करने की योजना लायी गई, जिससे राज्य के Revenue Deficit एवं Fiscal Deficit में 2 हजार 995 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुंई तथा ऋण एवं अन्य दायित्वों में राशि 11 हजार 300 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई।

राजकोषीय संकेतक (Fiscal Indicators)

266. इस प्रकार वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों में राशि 24 हजार 895 करोड़ 67 लाख रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है।

केन्द्र सरकार ने राज्य स्तर पर विद्युत क्षेत्र में निष्पादन (Performance) संबंधी कतिपय मानकों को पूरा करने पर वर्ष 2021–22 से 2024–25 के मध्य 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण अनुमत करने के दिशा–निर्देश

जारी किये हैं, जिनमें राजकीय विद्युत वितरण कम्पनियों (DISCOMs) का घाटा वर्ष 2025–26 तक चरणबद्ध रूप से Takeover करना भी शामिल है। इस कारण वर्ष 2021–22 की ही भांति वर्ष 2022–23 में भी अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर आना अनुमानित है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राशि 62 हजार 771 करोड़ 92 लाख रुपये अनुमानित किया गया है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.98 प्रतिशत है।

267. मैं, सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार की इन आर्थिक नीतियों के बावजूद हमारी सरकार के बेहतर राजकोषीय प्रबन्धन (Efficient Fiscal Management) के परिणामस्वरूप राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमत सीमा में ही है, जबकि केन्द्र सरकार का वर्ष 2023–24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.90 प्रतिशत अनुमानित है जो राज्य के राजकोषीय घाटे से लगभग डेढ़ गुणा है।

268. हमने प्रदेश के विकास हेतु और अधिक संसाधन जुटाने के अभिनव प्रयास के रूप में विभिन्न वर्तमान (Existing) एवं नव गठित (Newly Established) राजकीय उपक्रमों के स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों को leverage कर alternate/additional funding की व्यवस्था भी की है। RTDC के माध्यम से पर्यटन विकास कोष, कृषि मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से कृषक कल्याण कोष, राजस्थान जल–प्रदाय तथा सीवरेज निगम (RWSSC) के माध्यम से जल जीवन मिशन, ERCP निगम के माध्यम से ERCP तथा RUDSICO के माध्यम से शहरी सड़कों का कार्य हाथ में लिया जाना इसके मुख्य उदाहरण हैं। इससे आमजन को उपलब्ध कराये जाने वाली Service Delivery को वृहद् रूप में लिये जाने के साथ–साथ इसमें गुणात्मक सुधार भी होगा।

269. मैं, वर्ष 2023–24 का वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही, FRBM Act की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले 'मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण' (Medium Term Fiscal Policy Statement) और 'राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण' (Fiscal Policy Strategy Statement) भी सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अन्य बजट खण्डों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

270. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने गत 4 वर्षों में प्रदेश की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर, आमजन व जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए तथा सामाजिक क्षेत्र में विकास के साथ–साथ आजीविका के संसाधन उपलब्ध करा, प्रदेश में खुशहाली लाकर राजस्थान को देश का मॉडल राज्य बनाने का प्रयास किया है। मैं, प्रदेश की जनता को माननीय सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम प्रदेश को खुशहाली के पथ पर निरन्तर आगे लेकर जायेंगे–

"खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है,
जमीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है।
लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ऐ नादाँ,
जितनी गहराई अन्दर है, बाहर उतना तूफान बाकी है।।"

इसी संकल्प के साथ मैं, बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

–: जयहिन्द :–